खण्ड-315, अंक-2
बुधवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1897
(2 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 315 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	115–119
प्रश्नोत्तर	119–160
उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, 1974 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	160
उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	161
उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	161
श्री फजलुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना ..	161
मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	161–164
खाद्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	164–165
वन मंत्री के विरुद्ध श्री मोतीलाल वेहलवी द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	165–167
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित लाल गेंहूं खाने से कथित मृत्युओं के सम्बन्ध में वक्तव्य	167–173
आजमगढ़ हाइडिल डिवीजन में कथित भ्रष्टाचार एवं पूरे आजमगढ़ जनपद में बिजली बन्द होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	173–178
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	178–182
1975–76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 45––सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या 66––स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण तथा अनुदान संख्या 77––सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	182–224
व्यवस्था का प्रश्न	224
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 108, 109 व 110 के अधिकार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को देने का संकल्प (स्वीकृत)	225–239
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	239–241
नाम्यां]	242–247

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 2 अप्रैल , 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 359

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील एडवोकेट (उर्फ जिमी मियां,) श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नश्तर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दीप नारायण बन महन्थ श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी,
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री

प्रेम दत्त, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल बीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनी राम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव" श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर

राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद धौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजीलाल केन श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री

रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पान्डे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी,
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री

सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:--सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार 2 अप्रैल, 1975

अल्पसूचित तारांकित, प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की दो बसों के फैजाबाद के निकट दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजा

** 1--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की देवरिया डिपो की तथा लखनऊ केसरबाग डिपो की दो बसें जो लखनऊ से कसया तथा गोरखपुर से लखनऊ व कानपुर जा रही थी 15/16 मार्च, 75 को आधी रात में फैजाबाद के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गयीं, जिसमें अनेकों व्यक्ति मृत एवं घायल हुये ? यदि हां, तो दुर्घटना का विवरण क्या है ? दुर्घटना में मृत तथा अंग-भंग यात्रियों को सरकार मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

जी हां । आपस में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली बसें लखनऊ क्षेत्र के चारबाग डिपो तथा गोरखपुर डिपो की थी । दुर्घटना में दोनों बसों के कुल 43 यात्रियों, जिनमें रोडवेज विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, को मरहम पट्टी सिविल अस्पताल, फैजाबाद में की गई । घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद मुक्त कर दिया गया लेकिन 16 मार्च, 1975 को सायंकाल तक 17 व्यक्ति सिविल अस्पताल में रह गये थे । इनमें से श्री जगत नारायण सिंह, चालक का देहान्त हो गया है जिसके उत्तराधिकारी को एक हजार रुपया अन्तरिम सहायता के रूप में दे दिया गया है । अंग-भंग यात्रियों को मुआवजा देने के प्रश्न पर राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा जिलाधिकारी से मुआवजे के बारे में संस्तुति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विपरीत दिशाओं से आने-जाने वाली बसों में कुल कितने यात्री यात्रा कर रहे थे और दुर्घटना कितने बजे हुई और घायलों को कब चिकित्सा प्राप्त हुई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि हर बस में कितने-कितने यात्री थे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि जिन बसों की दुर्घटना हुई है, उनके ड्राइवर शराब पीकर बसों का संचालन कर रहे थे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

एक ड्राइवर के बारे में रयूमर थी जिसका नाम श्री विश्वनाथ है कि वह शराब पिये हुये था लेकिन जब तक फैजाबाद के मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इस बारे में बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री कृष्णा राय—

दुर्घटना में जो मर जाते हैं वो तो मर ही जाते हैं लेकिन जिनके अंग-भंग हो जाते ह वे अपने घर वालों पर भार हो जाते है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको सहायता देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, उनको तो अधिक सहायता देनी चाहिये ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

सहायता की जो बात है उसके लिये यह देखना होता है कि किस व्यक्ति को कितनी चोटें आयीं और किस प्रकार की चोटें आयीं,जिला अधिकारी पूरा विवरण देखकर कि किस घायल व्यक्ति की हड्डी टूटी है या उसका कोई अंग बेकार हुआ है, इन सब बातों को देखकर ही तय करते हैं।

जहां तक वर्कमेंस कम्पेन्शेसन ऐक्ट के अनुसार जितना मुआवजा देना होता है, उसके हम देनदार होंगे ।

श्री कृष्णा राय—

आपने कहा है कि कुछ लोगों के अंग-भंग हो गये हैं लेकिन अभी कहा कि उनको उन्हें जानकारी नहीं है। स्पष्ट है कि आपको जनकारी है। तो ऐसे कितने आदमी हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पुरूषोत्तम कौशिक—

जिन बसों की दुर्घटना हुई, उनमें नाइलोन के टायर लगे हुए थे, या रबरिंग के टायर थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कैसे बता देंगे ?

श्री पुरूषोत्तम कौशिक—

पिछले साल भी गोंडा में एक दुर्घटना हुई थी, उसमें भी चालक मरा था और कुछ लोग भी। उस बस में रबरिंग के टायर थे जो बहुत घिस जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि परिवहन विभाग में नाइलोन टायर की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

एक ओर तो कहा जाता है कि ड्राइवर पिये हुये थे और दूसरी ओर कहा जाता है कि उनमें रबर के टायर थे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैंने यह कब कहा कि ड्राइवर पिये हुए थे। यह तो परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से जान बूझकर कहा जा रहा है ड्राइवरों के ऊपर लांछन लगाने के लिये ताकि उनको विभाग द्वारा मुआविजा न देना पड़े। वे बिलकुल भी पिये हुए नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में काफी लाभ है। तो 1 हजार रुपया उसके उत्तराधिकारी को देने से काम नहीं चलेगा। इसलिये क्या उसके उत्तराधिकारी को, उसकी बेवा के जीवन निर्वाह भत्ता देंगे और उसके लड़के या अन्य आश्रित को नौकरी भी देंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट में जो भी मुआविजा जिलाधीश तय कर देंगे वह देने के लिये हम बाध्य हैं।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

बसों के एक्सीडेण्ट के बाद क्या किसी टैक्निकल जानकार अधिकारी से जांच करायी गयी और क्या किसी टैक्निकल खराबी के कारण दोनों बसें लड़ीं या किसी अन्य कारण से ?

श्री राज मंगल पांडेय--

दोनों गाड़ियां करीब करीब नयी थीं। न तो उन गाड़ियों में कोई टेक्निकल खराबी थी और न टेक्निकल खराबी के कारण लड़ीं। चूंकि मध्य रात्रि में दोनों बसें जा रही थीं तो कभी लाइट की चकाचौंध से ड्राइवर इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरे, जो विश्वनाथ नाम का चालक था, जिसके बारे में यह अफवाह थी कि शराब पिये हुये था और एक माननीय सदस्य ने पूछा भी कि शराब पीने के कारण तो ऐक्सीडेंट नहीं हुआ तो मैंने कहा कि सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकूंगा। टेक्निकल खराबी का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। बल्कि एक कारण यह हो सकता है कि आमने सामने गाड़ियां आ रही थीं और लाइट के चकाचौंध में जितना मार्जिन देना चाहिये वह नहीं दे पाये। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ड्राइवर पिये हुये था तो वह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन टेक्निकल कोई खराबी नहीं थी।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

जिस समय गवर्नमेंट रोडवेज थीं उस समय शासन की ओर से यह आदेश थे कि दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान कर दी जाय। लेकिन जब से सड़क परिवहन निगम बना है तब से उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल एक निश्चित मात्रा में सहायता उपलब्ध करा दी जाय और वर्कमेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट से जो निर्णय हो वह शेष धनराशि बाद में दे दी जाय ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि दो ड्राइवर मर गये। पहले एक के मरने की खबर आयी थी लेकिन बाद में दूसरा भी मर गया। तो दोनों को एक-एक हजार रुपये की अन्तरिम सहायता दे दी गयी। बाकी के बारे में सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। अब अगर किसी को ब्रूज हो जाय तो कम्पेन्सेशन तो देंगे नहीं। कम्पेन्सेशन देने के कुछ कायदे बने हैं। तो जब तक सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट न आ जाय कम्पेन्सेशन देना सम्भव नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

रोडवेज की हर एक बस पर ड्राइवर की सीट पर आगे लिखा हुआ है कि शराब पीना विष से भी भयंकर है। तो क्या इस प्रकार के आदेश ड्राइवर के लिये हैं कि वे शराब न पिये ? यदि हैं, तो उसका पालन कराने के लिये कौन-कौन से कदम उठाय गये हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

यह तो जब ड्राइविंग लाइसेन्स उनको देते हैं उसके कायदे कानून में ही यह स्पेसिफिकली दर्ज है कि कोई व्यक्ति शराब नहीं पियेगा और गवनमेंट सर्वेन्ट्स कांडक्ट रूल्स में है। इसके अलावा कोई भी चालक शराब के नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलायेगा। इसके बाद भी अगर कोई पीता है तो वह दण्ड का भागी होता है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)---

आज कल चूंकि रास्तों में रोडवेज के एक्सीडेन्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और यह देखा जाता कि घायल यात्रियों की चिकित्सा हेतु मेडिकल एड समय से नहीं पहुंचती, काफी देर में पहुंचती है, तो क्या सरकार हर डिपो में एक मोबाइल एम्बुलेन्स रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

अभी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि यह किया जा सके। हमारी बसों की केयर भी रेलवे के थर्ड क्लास से भी कम है। जब वित्तीय स्थिति ठीक हो जायेगी तब देखा जायेगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

जिन पैसेन्जर्स के ऐसी चोटें लगी हैं जिसके कारण वे काम करने लायक ही नहीं रह गये हैं, ऐसे लोगों के सम्बन्ध में सहायता देने की सरकार की क्या नीति है ? क्या रेलवे की तरह यहां भी ऐसे लोगों को सहायता दी जायेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

हमने कहा है कि हम चोटों का विवरण मंगा रहे हैं। अगर कोई ऐसा गम्भीर रूप से घायल हुआ है कि वह काम करने लायक नहीं रह गया है तो हम उसको कम्पेनसेशन देंगे। हमारे अतिरिक्त थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स ऐक्ट के मातहत भी उनको मिलेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, 80-82 लोग आहत हुये, दो चालक मर गये, यात्रियों के भी मरने की खबर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन गाड़ियों की तकनीकी जांच करायी गयी थी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

श्रीमन्, यह दोनों गाड़ियां ठीक हालत में थीं, सही सलामत थीं, इनके ब्रेक आदि सब पुर्जे ठीक थे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 क नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शारदा सहायक परियोजना का तखमीना तथा उसके खण्ड 19 के ठेकेदारों का भुगतान

*1---श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के पूर्ण निर्माण करने के लिये कुल कितने रुपये का तखमीना कितने वर्षों में खर्च करके कार्य को पूर्ण करने के लिये बनाया गया था और अब तक कितना रुपया व्यय करके पूरे कार्य का कितना भाग बनाया गया है? तथा क्या यह भी सही है कि शारदा सहायक खण्ड 19 (बाराबंकी) में कार्य करने वाले ठेकेदारों का लाखों रुपया भुगतान न होने के कारण कार्य बन्द हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)---

शारदा सहायक परियोजना के बारे में पूरी सूचना संलग्न है।

इस खण्ड के बारे में सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 242 पर)

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---

मान्यवर, संलग्नक से पता चलेगा कि तखमीना 99.61 करोड़ से बढ़कर 199 करोड़ से अधिक हो गया और सिंचाई का जो लक्ष्य था वह भी पूरा नहीं हुआ है। सिंचाई केवल 2.27 लाख हेक्टर में हुई है, जब कि खर्चा 111 करोड़ का अधिक हो चुका है और अभी 115 करोड़ हेक्टर में जमीन की सिंचाई बाकी है। तो तखमीने से अधिक जो खर्च हुआ है, उसका क्या कारण है और क्या अभी यह तखमीना और बढ़ेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

पहले इब्तदाई काम में खर्चा ज्यादा हुआ करता है, उसकी बिना पर यह हुआ है। अब जितना काम हो रहा है वह ठीक तरीके से हो रहा है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 171 अनुबन्धों पर जो कार्य करने का निर्णय लिया गया था उनमें से 78 अनुबन्धों पर कार्य पूरा कर लिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि 78 अनुबन्धों पर सरकार ने कितना रुपया दिया है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय---

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन 171 अनुबन्धों पर कुल कितना व्यय करने का तखमीना था?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इसके लिये अलग से कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को यह सूचना देते हुए प्रश्न करता हूं कि सारे के सारे अधिकारीगण ने बाराबंकी के इस शारदा सहायक खण्ड (19) के अन्तर्गत अपने-अपने रिश्तेदारों को बुला कर ठेके पर लगा रखा था और वही सब बीच में काम छोड़ कर चले गये। तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि कौन-कौन ठेकेदार हैं जो बगैर काम पूरा किये हुए ही उसे छोड़कर चले गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? उनकी सिक्योरिटी जब्त हुई या नहीं हुई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

उसके बारे में जांच हो रही है और यकीनन जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

जो ठेकेदार शारदा सहायक खंड 19 में काम कर रहे हैं उनको आपके द्वारा चेक इश्यू कर दिया गया है लेकिन बैंक उन चेकों का भुगतान नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

कुछ रुपये की कमी भी थी इस दौरान। अब दे दिया जायेगा।

श्री राम अधार--

सवाल यह है कि चेक तो आपके विभाग द्वारा दे दिया गया है लेकिन बैंक द्वारा उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

कह तो रहे हैं कि रुपये की कमी हो गयी थी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

आपके जवाब में है--"अधिक सिंचाई सुविधा एवं तब तक बढ़े हुए मूल्यों के अनुसार इसके प्राक्कलन 199.87 करोड़ रुपये के लिये पुनरीक्षित करके अक्तूबर 1972 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग की स्वीकृति हेतु भेजा गया है।"

सन् 72 में भेजा गया था, तो उसका कोई जवाब आया कि नहीं आया इस बारे में ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इसे सरकार का दिवालियापन ही कह सकते हैं कि 199.61 की योजना थी।

(व्यवधान)

इस तरह से दालभात में मूसलचन्द की तरह से श्री काशी नाथ जी बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं ?

. . . जिसके द्वारा 16.77 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई होती। एक मर्तबा इसके ऊपर 64.84 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गयी थी जो अब बढ कर 199.87 करोड़ की योजना हो गयी है और जिस पर अब तक लगभग 111.06 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इससे साफ जाहिर है कि आपकी इस योजना में लूट खसोट मची हुई है और मुझे दिखलाई पड़ता है कि जहां आप पहाड़ खोदने चले थे उसमें से निकली चुहिया ही है। इसमें 1.27 लाख, हैक्टर भूमि के सिंचित करने की ही योजना है। इसमें बड़े पैमाने पर गोलमाल हुआ है। तो इस सिलसिले में जनता से जो शिकायतें मिली हैं उनको देखकर आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में कुछ काम बढ़ गया, कुछ दूसरी बातें हुयीं कि कुछ हिस्सा पहले कच्चा था और यह तय किया गया कि इसको पक्का बनाया जाय। इस तरह की चीजें हुयीं जिनकी वजह से इस्टीमेट को बढ़ाना पड़ा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

अध्यक्ष महोदय, 42 ठेकेदारों ने काम बन्द कर दिया है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री शिव चरन लाल का नाम पुकारने पर)

ठेकेदार काम छोड़कर चले गये हैं।

श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्री मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो ठोकेदारों को बकाये का भुगतान नहीं किया गया है, यह सारे प्रदेश में एक समस्या बन गयी है। मेरे जिला आगरा में बम्बा रुका पड़ा है। तो क्या जो बकाया है इसका ठेकेदारों को भुगतान कर देंगे जिससे काम आगे बढ़ सके ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

चूंकि इस सिलसिले में आपने पूछा है और हमारे माननीय सदस्यों ने पूछा है तो मैं एक सूचना देना चाहता हूं। वह यह है। इनमें से चेकों का भुगतान इसलिये नहीं हो पाया कि बाद में हमें शिकायतें मिलीं कि कुछ करप्शन था। और इसकी इनक्वायरी हो रही है, बड़ी तेजी से। तो इसी बिना पर चेकों का भुगतान रोकना पड़ा। इसका कारण है यदि भुगतान करते तो एतराज होता कि इनके चेकों का भुगतान हो गया। तो यह सारी चीजें हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, इस तरह की चीज नहीं है।

श्री मधुकर दिघे--

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि चेकों के भुगतान पर रोक लगा दी है। और मंत्री महोदय ने खुद अभी कहा है कि कमी के कारण पैसा नहीं दिया है।

श्री ऊदल (जिला बाराबंकी)--

मंत्री महोदय, कृपा करके इधर ध्यान दें। अभी मैंने हाल ही में बाराबंकी, आजमगढ़, प्रतापगढ़, जहां-जहां शारदा सहायक की शाखायें बन रही हैं, पुरानी नहरें, कई जगह पर देखा कि काम बंद है। नहर कट गयी है। तो क्या इन जिलों में इसकी जांच जल्दी से जल्दी करायेंगे और जो पुरानी नहरें कट गयी हैं उनको कम से कम जुड़वा देंगे, क्योंकि गन्ने की फसल अभी बोयी जायगी। तो मेरा कहना है कि क्या इन जिलों में जांच कराकर नहरों का काम पूरा करवा देंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इसके बारे में मैं जरूर देख लूंगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है। मंत्री जी ने अभी बताया कि वहां करप्शन था, यह बहुत अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि करप्शन की इन्क्वारी हो रही है तो यह किस अधिकारी के खिलाफ हो रही है और क्या मामला है ? श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मोहन लाल कपूर का नाम पुकारने पर)

श्री त्रिवेणी सहाय--

यह बड़ा अहम सवाल है। श्रीमन्, मैं खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप तो हमेशा खड़े रहते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

केवल एक सवाल मान्यवर, बड़ा अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो खत्म हो गया, इसका जवाब भी हो गया। अभी इसका जवाब हो गया है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

माननीय, केवल एक सवाल ।

श्री अध्यक्ष---

आधा घंटा 2 सवालों पर हो गया । अब नहीं लिखा जायगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

माननीय, केवल एक सवाल है ।

श्री अध्यक्ष---

सिंचाई विभाग के बजट पर आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया ? इसका जवाब हो चुका है, आपका प्रश्न भी नहीं है । सवाल का जवाब दिया जा चुका है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगर महापालिकाओं की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को नवीन वेतनमान का भुगतान

*1---श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी कौन-कौन नगर महापालिकायें हैं जिनमें प्राइमरी पाठशालाओं (बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत) के अध्यापकों को नवीन वेतन मान के अनुसार अभी वेतन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगा ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोहन लाल कपूर---

माननीय, मैंने इसको 25-1-75 को दिया था । अभी तक इसकी इन्क्वायरी चल रही है । कहते हैं कि सूचना एकत्र हो रही है । सरकार का ऐसा एक रवैया हो गया है कि सूचना को टालने के लिये ऐसा उत्तर दे दिया जाता है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई हो रही है ? अभी आपने उत्तर नहीं दिया । तो क्या इसका उत्तर अगले हफ्ते तक दिला देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इतना विलम्ब नहीं लगना चाहिये । बहुत बिलम्ब हुआ है । 15 दिन बाद यह फिर आयेगा ।

श्री मोहन लाल कपूर---

माननीय, केवल 5 नगर महापालिकाओं के बारे में पूछा है और फिर भी उत्तर नहीं दे रहे हैं । पता लग जाय कि कितना समय लेंगे और यदि ज्यादा समय लगे तो नगरपालिकाओं को भी जोड़ लें अन्यथा 5 का ही उत्तर दें ।

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय, यह जो सम्मानित सदस्य ने शंका व्यक्त की है उससे मैं भी सहमत हूं । सवाल मिलने के तुरन्त बाद थोड़े-थोड़े समय के अन्तर से टेलीग्राम देकर सूचना मंगवाने का

प्रयत्न किया कि पांचों नगर महापालिकाओं की सूचना हमारे सामने आ जाय। बात केवल 5 नगर महापालिकाओं की है लेकिन उनमें सैकड़ों स्कूल हैं और यदि किसी स्कूल के शिक्षक की कोई चीज रह जाती तो आप कहते कि जानबूझकर कोई चीज छोड़ी गयी है। इसलिये प्रयत्न किया जा रहा है कि सूचना पूरी होनी चाहिये।

श्री मोहन लाल कपूर---

मान्यवर, वेतनमान स्थिर नहीं हुये और पुराने वेतनमान से भी वेतन नहीं मिल रहा है। तो क्या मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, लिख कर दे दें तो उसकी जांच करवा लेंगे।

सेठ राधाकृष्ण पोद्दार विद्यालय, चित्रकूट, जिला बांदा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन

*2---श्री नन्हे लाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सेठ राधाकृष्ण पोद्दार विद्यालय चित्रकूट, जिला बांदा में वर्ष 1973-74 में कुल 4 या 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य करते थे परन्तु इस अवधि में 14 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन निकाला गया है ? यदि हां, तो इस गड़बड़ी में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी शामिल है तथा सरकार इस अधिक रुपये की वसूली के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी नहीं। सम्बन्धित विद्यालय में वर्ष 1973-74 में न्यूनतम 7 एवं अधिकतम 11 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का वेतन निकाला गया जिन्हें प्रबन्धक ने लिखित रूप से कार्यरत बताया है। अतः रुपये की वसूली अथवा किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा परिषद्, बस्ती में प्रधान लिपिक की नियुक्ति

*3---श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा परिषद् (भूतपूर्व जिला परिषद्), बस्ती में प्रधान लिपिक पद पर किस व्यक्ति की नियुक्ति हुयी और कब की गयी है ? और उक्त पद पर नियुक्ति वरिष्ठता क्रम सूची के आधार पर नहीं की गयी है ? तत्सम्बन्धी विषय पर दो व्यक्तियों में विवाद है ? यदि हां, तो उसके निराकरण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी---

जिला बेसिक शिक्षा परिषद्, बस्ती के कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर श्री दुर्गा प्रसाद की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 4-5-73 को वरिष्ठता सूची के आधार पर की गयी है।

वरिष्ठता के संबंध में अब कोई विवाद नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वरिष्ठता की लिस्ट पूरी आयी है और उसमें किन-किन का नाम है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, समझ में नहीं आया ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह--

मान्यवर, वरिष्ठता की जो लिस्ट आयी है उसमें श्री दुर्गा प्रसाद और एक आदमी का विवाद है। श्री दुर्गा प्रसाद को वरिष्ठ मानते हैं तो केवल उन्हीं का नाम है या और दूसरा नाम भी लिस्ट में है ? यह मंत्री जी बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह विवाद इस प्रकार खड़ा हुआ कि श्री वंशीधर द्विवेदी हेडक्लर्क थे तो उनकी जगह पर श्री भगवान सहाय को एडहाक पर 28-4-73 को नियुक्त किया गया। इसके एक सप्ताह के अन्दर श्री दुर्गा प्रसाद जो सूची में सीनियर थे, उनको नियुक्त कर दिया गया।

श्री चन्द्र शेखर सिंह--

मान्यवर, मुझे जो सूचना मिली है उसके आधार पर श्री दुर्गा प्रसाद जी का नाम अवैधानिक है। 26-4-73 को श्री भगवान सहाय का नाम लिया गया था लेकिन प्रध्यक्ष और बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ने उनको हटाकर श्री दुर्गा प्रसाद को किया। गोरखपुर में आयुक्त महोदय को दरख्वास्त दिया और उन्होंने श्री दुर्गा प्रसाद के स्थान पर श्री भगवान सहाय को नियुक्त करने के आदेश दिये, लेकिन श्री दुर्गा प्रसाद को ही रखा गया। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां पर तमाम अनियमितताएं हैं उनकी जांच करके जो चीज उचित हो उसको करें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो तथ्य माननीय सदस्य ने बताये उनके आधार पर मैं उनको सूचित करना चाहूंगा कि 7, मई 1974 को जो भी नियुक्ति की गयी है उसका एप्रूवल डाइरेक्टर (बेसिक) के वहां से चला गया था। कुछ नई चीजें बतलायेंगे तो उनकी जांच कर लेंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो विवादग्रस्त व्यक्ति हैं जो क्लेम कर रहे हैं, उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

जिला परिषद्, लखीमपुर खीरी के जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को वेतन वितरण तथा जे०टी०सी० अध्यापकों की पदोन्नति

*4--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

क्या शिक्षा मन्त्री (बेसिक) यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद, लखीमपुर द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को नये वेतन नहीं दिये जा रहे हैं ? कई माह का वेतन बकाया है तथा राजकीय आज्ञाओं के होते हुये भी जे०टी०सी० ग्रेड अध्यापकों को सी०टी० ग्रेड में अभी तक पदोन्नति नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा इन अनियमितताओं को दूर कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद् को स्थानान्तरित जिला परिषद्, लखीमपुर खीरी के जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों को नये वेतन-मानों में वेतन वितरित किया जा रहा है तथा किसी माह का वेतन बकाया नहीं है।

जे0 टी0 सी0 ग्रेड के अध्यापकों को सीधे सी0 टी0 ग्रेड में पदोन्नति किये जाने हेतु कोई शासकीय आदेश नहीं है। अतः किसी अनियमितता का प्रश्न ही नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि नये वेतनमान के अनुसार वितरण की घोषणा किस .ास से की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, इसकी पूरी सूचना मंगवा लें क्योंकि प्रश्न अब यह उठता है कि उनको एरियर्स देना है, वह मिला है कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो भी एरियर्स हैं, जो बकाया धन है, वह जिस तिथि से बकाया है, वह उनको पूरा दिया जायेगा। जहां तक जे0 टी0 सी0 ग्रेड्स के बारे में प्रश्न है, जो सीनियर बेसिक स्कूल में काम कर रहे हैं, वहां इस तरह की पदोन्नति देने का प्राविधान नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, जैसा मंत्री जी जानते हैं जे0 टी0 सी0 का टीचर जब 5 वर्ष कार्य कर लेता है तो उसकी पदोन्नति का अवसर दिया जाता है, तो क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि इस तरह से पदोन्नति क्यों नहीं हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है, वह सही है। लेकिन ऐसा प्राविधान केवल वहीं है जहां हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट की कक्षायें भी उसी कालेज में हों, वहां पर पदोन्नति खुद-ब-खुद हो जाती है। जहां तक सीनियर बेसिक स्कूल का सम्बन्ध है, वहां ऐसा नहीं है। जहां सीनियर बेसिक स्कूल का सम्बन्ध है, वहां ऐसा नहीं है। जो सीनियर बेसिक स्कूल का डेलीगेशन मिला था, उनकी एक मांग यह भी है।

[2 अप्रैल, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*1--श्री बाबू लाल वर्मा--

[3 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्थरित।]

*2--श्री बाबू लाल वर्मा--

[19 फरवरी, 1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 14 द्वारा उत्थरित।]

शिक्षा पुनर्व्यवस्था के अन्तर्गत अध्यापकों का स्थायीकरण तथा श्री रामदास कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना

*3-4--श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अप्रैल, 1965 में स्थायी घोषित किये जाने के उपरान्त भी उसके अन्तर्गत 1954 या उसके बाद से कार्य कर रहे कितने प्रसार अध्यापकों, शिल्प शिक्षकों तथा ग्रुप सुपरवाइजरों को अभी भी स्थायी घोषित नहीं किया गया है और किन कारणों से ?

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पुनर्व्यवस्था योजना का मूल्यांकन करने वाली श्री रामदास कमेटी की 1963 की रिपोर्ट "कन्क्लूजन्स एण्ड रिकमेंडेशन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रसार शिक्षकों, शिल्प शिक्षकों, प्रवक्ताओं, कृषि पर्यवेक्षकों आदि की सेवाओं के सम्बन्ध में क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त कमेटी की उपरोक्त सिफारिशों को सदन के पटल पर रखते हुये बतायेगी कि उन्हें अब तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मान्यवर, आप देखें कि 30-1-75 को यह प्रश्न किया गया था लेकिन जो उत्तर आया है उसमें केवल यही लिखा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । जहां तक सूचना एकत्र करने का सवाल है, वह यहीं लखनऊ हेडक्वार्टर्स से मांगी जा सकती है, कहीं बाहर से नहीं आनी है । तो म आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सत्र के अन्दर सूचना आ जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह जो प्रश्न है यह लगभग 2556 प्रसार अध्यापक और बाकी कई हजार अध्यापकों का प्रश्न है । मैंने अपने विभाग से पूछा है कि किसकी वजह से यह देरी हुई है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय कि सूचना क्यों नहीं दी गई ?

श्री हरीश कुमार गंगवार--

मान्यवर, जहां तक प्रश्न संख्या 4 का सम्बन्ध है, श्री रामदास कमेटी, 1963 की रिपोर्ट यहीं सचिवालय में होनी चाहिये । इस कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की जरूरत है । आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि ठीक प्रकार से उत्तर भेजा जाया करे ।

श्री अध्यक्ष--

यह सही है । यह तो सूचना यहां मिलनी चाहिये । इसमें सूचना की जरूरत नहीं है । इसको अगले दिन रखेंगे ।

*5--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया ।]

मिर्जापुर के राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों का वेतन निर्धारण

*6--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के राजकीय इन्टरमीडियेट कालेजों में कार्यरत ऐसे कौन-कौन अध्यापक हैं जिनका 1 अप्रैल, 1965 से लागू नवीन वेतन-मानों

के अन्तर्गत दिनांक 15 जनवरी, 1975 तक भी वेतन निर्धारण नहीं हुआ है और क्यों ? वेतन निर्धारित नहीं होने के कौन उत्तरदायी हैं तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है तथा उपरोक्त अध्यापकों के वेतन कब तक निर्धारित कर किये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं। ऐसे किसी अध्यापक का वेतन निर्धारण शेष नहीं है।

ग्राम सभा, टेकापार, जिला बस्ती की चकरोड को ऊंचा करना

*7--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा, टेकापार विकास खंड, जिला बस्ती के प्रधान द्वारा इस आशय का कोई पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1975 से 20 जनवरी, 1975 के बीच मिला कि ग्राम की चकरोड को बाढ़ से बचाने के लिये ऊंचा कराया जाय ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां। ग्राम टेकापार विकास खण्ड, बस्ती के प्रधान का इस आशय का एक पत्र जिलाधिकारी के जरिए सिंचाई विभाग को 26-2-75 को मिला था, जिसमें ग्राम के चकरोड को बाढ़ से बचाने के लिये ऊंचा करने की दरख्वास्त की गयी है। प्रस्तावित कार्य का सर्वे कराने के आदेश दिये गये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जिस एरिया में यह गांव है उस एरिया में दो, चार, दस गांव ऐसे हैं जिनसे तीन फर्लांग की दूरी पर पक्की सड़क है लेकिन बरसात अथवा बाढ़ के दौरान सड़क कट जाने से नमक अथवा तेल फरोख्त नहीं किया जा सकता। फिर विकास खंड, बस्ती नहीं है, विकास खंड, बांसी है तो पहले माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनका तात्पर्य विकास खंड, बस्ती से है अथवा विकास खंड, बांसी से ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

विकास खंड, बांसी से है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर बरसात अथवा बाढ़ के दिनों में लोग नहीं पहुंच पाते हैं, आप उनका सर्वे करा रहे हैं तो क्या सरकार उन रास्तों को ऊपर उठाने अथवा बंधा बंधवाने का यहां प्रबन्ध करेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जहां तक चकरोड को ऊंचा करने का सवाल है, यह हमारे विभाग का कार्य नहीं है। यह मामला चूंकि जिलाधिकारी ने भेजा था कि इसको सर्वे करा लो तो हमने सर्वे करा लिया। वह रुपया देंगे तो यकोनन कर दिया जायगा। इसलिये आप वहां के डी0 एम0 से बात करें। वह जहां-जहां के लिये लिखेंगे सब करा लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

चकरोड आपके विभाग का नहीं है और सिंचाई विभाग बंधों से सम्बन्धित है। तो क्या सरकार कृपा करेगी कि उनको बन्धों से कनेक्ट कर दें अथवा सड़क को उस गांव से इस तरह से कनेक्ट करा दें कि लोग बरसात में जा सकें ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इस वक्त मामला इस सड़क का है। आप लिखकर भेजेंगे तो जरूर इस बारे में विचार कर लेंगे इसके बारे में।

नैनीताल जले में बैगुल, नानक सागर तथा शारदा सागर डैमों के निर्माण हेतु ली गई भूमि पर अनधिकृत कब्जे

*8--श्री मुंशी लाल (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला नैनीताल में तहसील सितारगंज व खटीमा के अन्तर्गत बने बैंगुल, नानक सागर तथा शारदा सागर डैमों के निर्माण हेतु ली गयी हजारों एकड़ जमीन पर अनधिकृत कब्जे चल रहे हैं ? यदि हां, तो शासन ने इनको खाली कराने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी, हां नाजायज कब्जों को खाली कराने के लिये की गयी विभागीय कार्यवाहियों में सफलता न मिलने से कुछ नाजायज कब्जों को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश निष्कासन (इविक्शन) अधिनियम, (22) 1972 के अन्तर्गत संबंधित परगना अधिकारियों की अदालत में मुकदमें दायर किये गये थे तथा उनमें से कुछ मुकदमों में बेदखली के आदेश जारी किये जा चुके हैं अन्य मामलों में मुकदमा दायर करने की कार्यवाही की जा रही है।

*9--श्री शिवपाल सिंह तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त।]

*10--श्री शिवपाल सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री अब्दुल वहीद--

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त।]

गोरखपुर जिले में मिटौली-कमता सड़क का निर्माण

*11--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के मिटौली कमता सड़क निर्माण के लिये कुल कितना रुपया शासन ने स्वीकृति किया था ? यदि मेरी सूचना को सही मानकर कि इसी प्रस्तावित सड़क के 1 फर्लांग की दूरी पर धर्मपुर कमता सड़क पुरानी है और इसके पुनर्निर्माण के लिये प्रस्तावित धन का चौथाई ही व्यय होता है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अन्तर्गत नई सड़क को प्रस्तावित किया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)--

मिटौली-कमता मार्ग का निर्माण 5,25,000रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया था। धरमपुर-कामता सड़क का पुनर्निर्माण उपरोक्त स्वीकृत धन की चौथाई लागत में संभव नहीं है। यह कंकड़ की पुरानी नीची तथा कम चौड़ी सड़क है। इस पर कई जगह कम अर्धव्यास के मोड़ हैं, कई जगह यह गावों की आबादी के मध्य से संकीर्ण चौड़ाई में गुजरती है। इन कारणों से नया संरक्षण प्रस्तावित किया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

यह जो प्रस्तावित सड़क 5 लाख 25 हजार रुपये की बन रही है यह पुरानी सड़क से 1 फर्लांग पर हटकर बन रही है और मेरा प्रश्न था कि एक चौथाई लागत से वह पुरानी सड़क बन सकती थी तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आखिर पुरानी सड़क को बनवाने में कुल कितना खर्चा होता ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

पुरानी सड़क का बनाना संभव नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि 8 वें किलोमीटर पर एक चिलवा ताल नामक तालाब है जिस पर ब्रिज बनाना पड़ता है और उसकी अकेली लागत साढ़े 4 लाख रुपया आ जाती। जैसा प्रश्न में कहा गया कि पुरानी सड़क एक चौथाई लागत में बनाई जा सकती है, यह सही नहीं है। इन कठिनाइयों की वजह से दूसरी सड़क बनानी पड़ी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है वह बिलकुल सही नहीं है। जो नई सड़क प्रस्तावित हुई है, उसके सबूत हमारे मौजूदा माननीय सदस्य, वीर बहादुर सिंह जी तथा एक नये माननीय सदस्य भी हैं। उस सड़क में बालू बीच में पड़ी हुई है और अभी 6 किलोमीटर ही बन पायी है। वास्तविकता तो यह है वहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके दरवाजे से इस नई सड़क को जाना चाहिये, इसलिये नई सड़क प्रस्तावित हुई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने राजकीय दबाव में आकर धन का दुरुपयोग कर नई योजना बनाई है उनके खिलाफ जांच करके आवश्यक कार्य वाही करेंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

इसकी कोई सूचना नहीं है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का राजकीय दबाव पड़ा हो। जहां तक लम्बाई का सवाल है यह सड़क 10.3 किलोमीटर लम्बी है। इस पर 5 लाख 25 हजार रुपया स्वीकृत किया गया था। मेरी सूचना यह है कि अगर हम पुरानी सड़क का निर्माण करते तो जैसा मैंने बताया उसके आंठवें किलोमीटर पर जो तालाब है उस पर पुल बनाना पड़ता जिसमें काफी खर्चा होता। इसके अलावा जो पुरानी सड़क है वह कई गांवों से होकर जाती है और उसके बाई-पास का भी झगड़ा हो सकता था। इसलिये इन सब चीजों को मद्दे-नजर रखते हुए दूसरा इलाइनमेंट रखा गया।

श्री वीर बहादुर सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मिट्टौली कमता मार्ग जिस पर मिट्टी का काम हो चुका है और उसमें कोई पुल भी नहीं पड़ते हैं। इसलिये इस बात को देखते हुये कोई दूसरी सड़क बनाना सम्भव नहीं है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं और इसी वजह से दूसरी सड़क बनाई जा रही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी इस विवाद को तय करेंगे क्यों कि एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पुरानी सड़क ठीक है और उस पर कम खर्च होगा तथा दूसरे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दूसरी सड़क सीधी है तो क्या आप स्वयं मौके पर जायेंगे या किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जांच के लिये वहां भेज कर इस मामले को तय करायेंगे कि कौन सी सड़क ठीक है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

आवश्यकता नहीं है, मिट्टी का काम हो भी चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, जो नई सड़क बनाई जा रही है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना ही बेकार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात से मुझसे सहमत होंगे कि जो पुरानी सड़क है जिससे 50 गांवों से सम्बन्ध है, वे नई सड़क से कवर नहीं हो पाते हैं इसलिये क्या वे पुरानी सड़क क बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

बहराइच जिले में अब्दुल्लागंज से पूरब जाने वाले मार्ग पर पुलों के पुनर्निर्माण की मांग

*12--श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खन्ड, जमुनहा, जिला बहराइच में अब्दुला गंज जंगल की ओर से पूरब जाने वाले मार्ग पर जो लकड़ी के पुल अनेक स्थलों पर बने हुये थे, उन्हें किन कारणों से सरकार ने नष्ट कर दिये तथा आवागमन में जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उन पुलों का पुनः कब तक निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

प्रश्नगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं है । सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न उनके विभाग से संबंधित नहीं था तो उसके बावजूद भी उन्होंने उत्तर दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। उन को उत्तर लगाना ही नहीं चाहिये था। इस प्रश्न का उत्तर किस विभाग से मिलेगा, कब तक मिलेगा, यह वह बता दें ? वे कहते हैं कि हम डिसओन कर रहे हैं क्योंकि वह उनसे संबंधित नहीं है .....

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है । सम्बन्धित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य---

यही मेरा निवेदन है कि उनको उत्तर लगाना ही नहीं चाहिए था···

श्री अध्यक्ष---

आप बहस कर रहे हैं, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है....
आप आगे सवाल करना चाहें तो करें नहीं तो यह 15 दिन के बाद फिर आयेगा।

*13--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

ग्राम पनियाली, जिला नैनीताल की असिंचित भूमि की सिंचाई व्यवस्था

*14--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी के अन्तर्गत ग्राम पनियाली की असिंचित भूमि की सिंचाई के प्रबन्ध हेतु तत्कालीन सिंचाई मन्त्री द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 1972, 10 फरवरी, 1972 तथा 8 मई, 1972 को जो आदेश सिंचाई विभाग को दिये गये थे, उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

समाई–चावली सड़क को पक्की करने को मांग

*15––श्री शिव चरन लाल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 जुलाई, 1974 का कोई पत्र समाई से चावली सड़क जो 5 मील लम्बी है, को पक्की करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उसमें शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह––

जी हां। इस कार्य का प्रारम्भिक आगणन तैयार करवा लिया गया है परन्तु धनाभाव के कारण मार्ग का निर्माण स्वीकृत करना संभव नहीं है।

श्री शिव चरन लाल––

मान्यवर, यह धनाभाव की बात पहले से कहते आ रहे हैं पता नहीं यह समाप्त कब होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब धन आ जायेगा तो इस सड़क को बनवाने में वरीयता देंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह––

वरीयता की जहां तक बात है वह तो कई चीजें उस वक्त सामने आयेंगी उस समय विचार किया जायेगा।

श्री शिव चरन लाल––

मेरे प्रश्न का जबाव नहीं आया।

श्री अध्यक्ष––

आप काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं।

श्री शिव चरन लाल––

धन आने पर इस सड़क को प्राथमिकता दिलवायेंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह––

धन उपलब्ध होगा तो इस पर विचार किया जायेगा लेकिन वरीयता का प्रश्न नहीं उठता है।

बरेली–बदायूं मार्ग पर रामगंगा पुल के टोल टैक्स से आय-व्यय

*16––श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राम गंगा का पुल बरेली-बदायूं मार्ग पर बरेली से निकट जो 1962 में बना था उस पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है ; यदि हां, तो क्यों तथा पुल बनने में कितनी लागत आयी और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी आय टोल टैक्स से हुयी और कितना व्यय हुआ ? और अब तक कुल कितना रुपया वसूल हो चुका है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह––

जी हां। इस प्रकार के पुलों पर शासन की वर्तमान नीति के अनुसार पथकर वसूल किया जाता है। शेष सूचना निम्नवत् है:––

(1) पुल बनाने की लागत .. .. .. रुपया 59,06,922.00

[श्री शिव प्रसाद सिंह-]

(2) पिछले तीन वर्षों में इस पुल पर पथकर वसूली से हुई आय तथा पथ कर की वसूली पर हुआ व्यय

वर्ष	आय		व्यय	
	रुपया	पैसा	रुपया	पैसा
1971-72	5,62,333.	45	16,355.	00
1972-73	5,30,212.	88	16,263.	00
1973-74	5,11,252.	84	18,978.	00

(3) इस पुल पर जनवरी, 1975 तक पथकर से रुपया 49,73,281.65 पैसे वसूल क हैं ।

राजकीय चर्म संस्थान, आगरा के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

*17--श्री शिव चरन लाल--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24 अप्रैल, 1974 को प्रधानाचार्य राजकीय चर्म संस्थान, आगरा के पद के लिये जो समाचार-पत्र में विज्ञापन दिया गया था उसके अनुसार उक्त पद के लिये कितने लोगों ने आवेदन-पत्र दिये और उनका साक्षात्कार कब किया गया ? मुख्य मंत्री जी क्या यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि साक्षात्कार किये बिना ही उक्त स्थान को भर लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

24-4-1974 को समाचार-पत्र में दिये गये विज्ञापन के अनुसार प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान, आगरा के पद के लिये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में 6 लोगों ने आवेदन-पत्र दिये। आवेदन कर्त्ताओं का साक्षात्कार नहीं किया गया। आवेदन कर्त्ताओं में से श्री जसोदा लाल माही को छोड़ कर शेष अभ्यर्थी अर्हतायें पूरी नहीं करते थे अतः निदेशक, प्राविधिक शिक्षा की संस्तुति पर प्रशिक्षण के हित में श्री जसोदा लाल साहा, उप-प्रधानाचार्य राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर को अगले आदेश तक अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी की नियुक्ति तक जो भी पहले घटित हो अस्थायी तथा तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया है।

फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत कन्था नाला व काली नदी पर पुल निर्माण की मांग

*18--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कमालगंज विकास खंड के अन्तर्गत बियासर ग्राम सभा में बाढ़ के समय आवागमन बिलकुल अवरुद्ध ही रहता है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में कन्था नाला व काली नदी पर पुल बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अनवार जमील--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह गांव ऐसा है जो काली नदी पर पड़ता है .....

श्री अध्यक्ष--

यह फिर आयेगा 15 दिन बाद ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

दरअसल यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग गया था वहां से हमारे पास आया इस वजह से सूचना नहीं मिल पाई है ।

श्री अध्यक्ष--

15 वें दिन में फिर आयेगा ।

जिला परिषद्, पौड़ी-गढ़वाल के अध्यापकों को वेतन तथा अन्य अवशेषों का भुगतान

*19--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल के जिला परिषद् के अध्यापकों को सन् 1967 से 1970 के परीक्षा कालीन का अवशेष वेतन सन 1967 से 1971 तक स्थानान्तरण तथा आडिट भत्ता 1969 से अप्रैल, 1971 तक दक्षता रोक का एरियर, फरवरी, 1971 के संशोधित वेतन क्रमों का एरियर सी0 टी0 डी0 पास बुकों में सन् 1971 में अधिक कटौती की वापसी तथा मेडिकल छुट्टी का वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । जिला परिषद् पौड़ी-गढ़वाल ने अभी तक प्रश्नगत अवशेष धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित नहीं की है जिसके कारण अध्यापकों को अवशेषों का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विषय 1967 से लेकर लगातार अब तक विचाराधीन है । तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् को उन्होंने इस संबंध में कोई आदेश दिये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र अध्यापकों का वेतन दिया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 25 जुलाई, 72 जब बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन हुआ उसके पूर्व इन स्कूलों की जिम्मेदारी जिला परिषदों के ऊपर थी । उसक गठन से पूर्व जो भी बकाया धन देना था वह जिला परिषदों को देना था पौड़ी-गढ़वाल तथा प्रदेश भर की जो जिला परिषदें ह जिन पर यह धन देय है उनसे कहा गया कि वह बेसिक शिक्षा परिषद् को दे द । इस संबंध में आदेश भी आज जारी किये गये हैं कि एक महीने के अन्दर जो एरियर है, टीचर्स का जो रुपया है उसे वह वापस कर दें । इस संबंध में कार्यवाही की जा चुकी है । पौड़ी-गढ़वाल के शिक्षाधिकारी को कहा गया है कि वह जिला परिषद् से संपर्क कर रुपया वापस करवायें ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब से बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन हुआ है, उसके बाद से इन अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन मिल रहा है ? क्योंकि आपने कहा है कि पहले तो जिला परिषद् द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया था, तो जब से बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन हुआ तब से तो मिलना चाहिये, यह दिया गया या नहीं ? नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

यह तो अलग प्रश्न है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि दिया जा रहा होगा। यदि नहीं, तो माननीय सदस्य बता दें, दिखवा लिया जायगा।

प्रबन्धक, जे० पी० इन्टर कालेज, कम्पियरगंज, गोरखपुर के विरुद्ध जांच

*20--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक, जे0 पी0 इन्टर कालेज, कम्पियरगंज (गोरखपुर) के विरुद्ध अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई जांच की जा रही है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और शासन ने जांच रपट पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां, मुख्य शिकायतों की तालिका संलग्न है । जांच रिपोर्ट पर विचारोपरान्त संस्था में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 243 पर)

नलकूप खण्ड, अलीगढ़ (द्वितीय) के उपखंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में जांच

*21--श्री कल्याण सिंह (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि नलकूप खण्ड, अलीगढ़ (द्वितीय) के उपखण्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 17 जनवरी, 1975 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किसके विरुद्ध क्या आरोप है, जांच किसने कब की है, जांच का निष्कर्ष क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जी हां । ज्ञापन में एक अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता तथा एक क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं के आरोप हैं । मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जरूरी कार्यवाही की जायेगी।

गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान

*22--श्री मूल चन्द्र राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या शिक्षा मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को दिनांक 30 सितम्बर, 1971 से कोई भी बढ़ाया हुआ महंगाई भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मूल चन्द्र राजपूत---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसी सत्र में इसका उत्तर अवश्य आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष---

अब यह 15वें दिन आयेगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

यह सवाल प्रदेश भर के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बारे में है, इसकी परिधि बहुत बड़ी है। वैसे प्रयास किया जायगा, हो सकेगा तो आ जायेगा ।

श्री मूल चन्द्र राजपूत--

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसे इसी सत्र में मंगवाने की कृपा करें ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्रता की जाये, जिससे सम्मानित सदस्य को मिल जाये ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

मैं आपकी इसमें व्यवस्था चाहता हूं, मंत्री लोग अनेक सवालों का जवाब दे देते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो यह समय की अवधि आप कितनों दिनों की देते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

15वें दिन वह फिर आता है । वह सवाल फिर आता है, फिर नहीं आयेगा तो फिर 15वें दिन आ जायगा ।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

मंत्रियों पर आप इसके लिये कोई प्रतिबन्ध रखें ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रतिबन्ध रखें । आप तो उस दल के हैं, आप अपने दल के मंत्रियों पर तमाम तरह से प्रतिबन्ध रख सकते हैं । आप नियंत्रण रखें तो हम भी रखेंगे, हम आपकी मदद करेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह तो ठीक है, उनके दल से सम्बन्धित है, उनको ध्यान रखना चाहिये, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ऐसे प्रश्नों का मंत्री लोग इस तरह से जवाब दे देते हैं, तो आप देखें कि क्या जनहित में यह आवश्यक है और क्या यह सही है कि सूचना एकत्र की जा रही है, या उसका उत्तर दिये हुये समय मिल सकता है या नहीं नहीं तो यह बेलगाम हो जायेंगे ।

*23--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*24--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[12 मार्च, 1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित ।]

पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रसार शिक्षकों की पदोन्नति

*25--श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा सन् 1957 में प्रसार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी परन्तु 20 वर्ष के बाद भी न तो उनका कोई प्रमोशन चैनल ही बनाया गया है और न ही सीनियारिटी ही प्रकाशित की गयी है तथा विभागीय प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें ट्रेन्ड घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---

तो यह पहला स्थगन मंत्री जी मांग रहे हैं । पहले, गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों व कर्मचारियों के बारे में था, वह तो आपकी बात ठीक थी । लेकिन इसमें हम कोई अनुचित नहीं समझते हैं, यह बहुत व्यापक सूचना मांगी गई है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

3 बार यह असेम्बली में सवाल किया गया और जब जब सवाल आया, उत्तर यह आया कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---

उसको तो हमने अनुचित कहा है, उत्तर देना चाहिये । लेकिन अब इसका तो पहला स्थगन है । यह 15 दिन दिन बाद आ जायगा । इसमें कोई अनुचित बात नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं प्रश्न संख्या 25 के बारे में यह प्रश्न करना चाहता हूं कि इसमें लगभग 20-25 साल हो गये, जो प्रसार अध्यापक हैं उनका न तो कोई प्रमोशन हुआ है और न सीनियारिटी लिस्ट में वे आये है । तो अब सरकार की क्या नीति है अन्य विभागों में तो वे सीनियारिटी लिस्ट में आ जाते है और उनका प्रमोशन भी हो जाता है ? इन अध्यापकों के बारे में सरकार की क्या नीति है प्रमोशन के सम्बन्ध में ?

श्री अध्यक्ष---

सवाल है--

पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा सन् 1957 में प्रसार शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी परन्तु 20 वर्ष के बाद भी न तो उनका कोई प्रोन्नति-माध्यम (प्रमोशन चैनल) ही बनाया गया है और न ही वरिष्ठता सूची (सीनियारिटी लिस्ट) ही प्रकाशित की गयी है तथा विभागीय प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें ट्रेन्ड (प्रशिक्षित) घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

तो सरकार की नीति क्या है उनके प्रमोशन के लिये और कोई सीनियारिटी लिस्ट बनी या नहीं, जब और विभागों में प्रोमोशन भी होता है और सीनियारिटी लिस्ट भी है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो सवाल उठाया यह सरकार के विचाराधीन है और इसका सम्बन्ध जो सवाल नम्बर 3, 4, थे, तीनों मिले जुले है, उसमें भी था, इसके लिये सूचना एकत्र करवा रहे हैं, चूंकि विचाराधीन यह था इसमें बहुत से तथ्य सरकार की जानकारी के लिये दूसरी जगह से मंगवाने हैं । इस वजह से कहा गया है कि सूचना एकत्र करवायी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---

कहां से सूचना मंगवा रहे हैं ? (सीनियारिटी) वरिष्ठता आपको तय करनी है ।

श्री अम्मार रिजवी--

निदेशालय, इलाहाबाद से ।

श्री अध्यक्ष--

15 दिन काफी है ।

श्री मूल चन्द्र राजपूत--

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि कितने वर्षों से विचाराधीन है और कितने वर्षों तक विचाराधीन रहेगा ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारने पर)

मेरा जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल फिर आयेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह बता दें कि कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आगे पूछ लीजिये । वह नहीं जानते हैं । जब जवाब देंगे तब सवाल पूछा जायगा ।

फर्रुखाबाद जिले के गुरसहायगंज कस्बे में बाइपास का निर्माण

*26--श्री अनवार जमील--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान होने के बावजूद अभी तक फर्रुखाबाद जनपद के गुरसहायगंज कस्बे में बाइपास का निर्माण-कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो सका है ? जब कि इसका सर्वे दो साल पहले हो चुका था ? क्या सरकार इसके निर्माण की ओर ध्यान देगी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत उप मार्ग के सर्वेक्षण में प्रति-प्राविधिक कारणों से परिवर्तन करना पड़ा है । अब नये सर्वेक्षण के अनुसार उसका पुनरीक्षित आगणन बनाया जा रहा है जिसकी स्वीकृति होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

श्री अनवार जमील--

मैं जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायगा और कार्य कब तक शुरू करवा देंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

इसमें सर्वेक्षण हो जाने के बाद उसका एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन के लिये जायगा । ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के बाद फाइनेंस में जायगा और वहां की स्वीकृति के बाद तब कार्य प्रारम्भ हो सकेगा । इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा ।

श्री अनवार जमील--

माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जी0टी0 रोड पर गुरसहायगंज है । इसलिये इसके महत्व को देखते हुये वरीयता देने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

उसका सैक्शन पहले से है ही । बनायी तो जायगी लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से इसमें एक दो परिवतन करने पड़े हैं, उसमें खच में भी, एस्टीमेट में भी, पहले एस्टीमेट साढ़े आठ

लाख का था, उसको दोबारा देखा गया, बीच में कुछ गोदाम पड़ते थे, उसको बदलना पड़ेगा, कुछ फार्म पड़ते थे, दूसरे रेलवे क्रॉसिंग थी, रेलवे का झगड़ा पड़ा, अब सर्वेक्षण किया जा रहा है । उसमें करीब 14 लाख का एस्टीमेट हो गया । लिहाजा उसमें विचार करना पड़ेगा तब उसका प्राविधान होगा । तब कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

सिंचाई यांत्रिक मण्डल, इलाहाबाद के लिपिकों का वेतन

*27--श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई यांत्रिक मंडल, इलाहाबाद के अन्तर्गत खंडों में कितने ऐसे लिपिक हैं जो सन् 1969 से अब तक बेसिक वेतन पुराने वेतन-क्रम में ही पाते चले आ रहे हैं ? वेतन वृद्धि तथा नया वेतन-क्रम इनको न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सिंचाई यांत्रिक मंडल, इलाहाबाद के अन्तर्गत रिग्स प्रखंड इलाहाबाद में कार्यरत दो ऐसे लिपिक हैं जो सन् 1969 से अब तक बेसिक वेतन पुराने वेतन-क्रम में पाते चले आ रहे हैं । ये लिपिक अलग-अलग खंडों में कार्यरत रहे अतः इनकी सेवा पुस्तिकायें अभी तक पूरी न हो सकी जिसकी वजह से उन्हें वेतन वृद्धियां तथा नये वेतन-क्रम न दिये जा सकें ।

मकरन्दपुर कहिंजरी जूनियर हाई स्कूल, कानपुर के भवन निर्माण में विलम्ब

*28--चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला परिषद् की ओर से मकरन्दपुर कहिंजरी जूनियर हाई स्कूल के भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो कब ? क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण में केवल नींव भर कर डाल दी गयी है और भवन निर्माण में जानबूझ कर बिलम्ब और लापरवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों, उक्त भवन निर्माण की अवधि कब तक थी ? अब कब तक निर्माण-कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

26 अक्तूबर, 1971 को ।

जी हां ।

भवन निर्माण-कार्य को समाप्त करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1972 थी ।

नया टेण्डर स्वीकार हो चुका है । ठेकेदार द्वारा बन्धन-पत्र भर जाने के 3 माह के अन्दर निर्माण-कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जायगा ।

मिर्जापुर स्थित आर्य कन्या इन्टर कालेज के भवन के कुछ भाग का हस्तान्तरण

*29--श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला मिर्जापुर स्थित आर्य कन्या इन्टर कालेज के भवन का कुछ भाग दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 को किसी दूसरी संस्था को हस्तान्तरित कर दिया गया है जिससे छात्राओं के पठन-पाठन में कष्ट हो रहा है और जनता में असन्तोष है ? यदि हां, तो क्यों तथा वहां के प्रधानाचार्या या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री अम्मार रिजवी--

उपलब्ध सूचना स्पष्ट न होने के कारण पुनः विवरण मांगा गया है जो अभी प्राप्त नही हुआ है ।

'हमारी दुनिया हमारा समाज' नामक पुस्तक के एक अंश में संशोधन

*30--श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)--

क्या सरकार को जानकारी है कि कक्षा 3 की सामाजिक विषय की 'हमारी दुनिया हमारा समाज' नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 57 पर महात्मा बुद्ध नामक शीर्षक पाठ की द्वितीय पंक्ति में महात्मा बुद्ध का वंश "शाक्य वंश" के स्थान पर "गौतम वंश" छापा गया है ? यदि हां, तो भारतीय शाक्य युवक संघ द्वारा मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षा निदेशक को त्रुटि सुधार के लिये जनवरी, 1975 में दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । भारतीय शाक्य युवक संघ के पत्र दिनांक 18 जनवरी, 1975 तथा उससे पूर्व बैरंजा महिला परिषद् एवं प्रश्नकर्ता के पत्रों के प्राप्त होने पर अगस्त, 1974 में ही पाठ के सम्बन्धित भाग में यथा वांछित संशोधन पर दिया गया था ।

*31--श्री अठई राम--

[प्रथम सत्र 1975 के पहले बुधवार के प्रश्न संख्या 19 पर उत्तरित ।]

मथुरा जिले के सादाबाद इन्टर कालेज के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

*32--श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जनपद के सादाबाद इन्टर कालेज में व्याप्त अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हाल ही में कितने शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुये हैं तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

तीन शिकायती-पत्र प्राप्त हुये । इन आरोपों पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक से उत्तर मांगा किन्तु उन्होंने कोई आख्या प्रस्तुत नहीं किया । फलस्वरूप विद्यालय के लेखों की जांच मंडलीय सम्प्रेक्षकों द्वारा कराई गई है । उनकी आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

बलिया जिले के दहताल के पानी की निकासी तथा भेड़ी नाले की सफ़ाई

*33--श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के दहताल का पानी पर्वतपुर रेगुलेटर के शीघ्रता से निकलने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, 1974 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, 34.4 कि0 मी0 लम्बे भेड़ी नाले का सर्वे कर लिया गया है । सफाई का काम धन उपलब्ध होने पर किया जायगा ।

*34--श्री निर्भय नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला स्थित तुर्तीपार श्री नगर बन्धा के पर्वतपुर रेगुलेटर पर इस समय भी पानी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

दहताल का पानी भेड़ी ड्रेन के जरिये से पर्वतपुर रेगुलेटर होकर घाघरा नदी में गिराया गया है । पर्वतपुर रेगुलेटर के ऊपर व नीचे भेड़ी ड्रेन की मौजूदा तली जगह-जगह पर ताल के पानी से ऊंची है, इस कारण रेगुलेटर के ऊपर व नीचे पानी रुका हुआ है । ड्रेन की सफाई का इंतजाम किया जा रहा है ।

असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) से असिस्टेंट इंजीनियर्स (मेकेनिकल) को अलग करने सम्बन्धी आदेश

*35--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के असिस्टेन्ट इंजीनियर्स (सिविल) सिंचाई विभाग के असिस्टेन्ट इंजीनियर्स (मैकेनिकल) से अलग करने के सम्बन्ध में कोई आदेश दिनांक 31 जुलाई, 1971 को प्रसारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका प्रदेश में पूर्ण रूपेण पालन हुआ और क्या कुल 14 असिस्टेन्ट इंजीनियर्स (मैकेनिकल) की पदोन्नति उक्त आदेश के अमल दरामद न होते हुये भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, सिविल एवं यांत्रिक अभियन्ताओं के कार्यक्षेत्र निर्धारित करने हेतु उक्त आदेश निर्गत किया गया था । उन आदेशों का अधिकांश अनुपालन हो चुका है । अब केवल 4 सिविल अभियन्ता ऐसे हैं जिन्हें यांत्रिक अभियन्ताओं के कार्यक्षेत्र से हटाना शेष रह गया है ।

विभाग में अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों को भरने के लिये सहायक (यांन्त्रिक) अभियन्ताओं को प्रोन्नत किया गया था ।

*36--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[मंत्रि मंडल में सम्मिलित होने के कारण निरस्त ।]

इटावा जिले में सरकारी ट्यूववलों का बन्द होना

*37--श्री मुलायम सिंह यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इटावा जिले में अधिकांश सरकारी ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं ? जिससे खेती सूख रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना मगाई जा रही है ।

इलाहाबाद जिले के विकास खण्ड प्रतापपुर के बन्द ट्यूबवेलों को ठीक करने की मांग

*38--श्री अलई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के विकास खंड प्रतापपुर में खखैया नलकूप नं0 130, एच, बेलाखास, नं0 126--एच रामपुर, 58-एच, देवली, मिश्रो, व बन्दी

पट्टी लगभग 6 माह से बन्द पड़े हैं, जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इन नलकूपों को तुरन्त ठीक कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और कब तक यह ठीक हो जायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना मंगाई जा रही है ।

इटावा के अस्थानिक अभियन्ता, चतुर्थ अस्थायी विभागीय निर्माण संगठन (भव०) के विरुद्ध जांच

*39--श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अस्थानिक अभियन्ता चतुर्थ अस्थाई विभागीय निर्माण संगठन (भव0) सा0 नि0 विभाग, इटावा के खिलाफ आरोप-पत्रों पर जो दिनांक 6 मई, 1974 व 24 जुलाई, 1974 को मुख्य मंत्री को भेजे गये हैं और जिनमें चार सौ बीस के चार मामले अभियन्ता के विरुद्ध हैं, सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी जा रही है ।

*40--श्री सत्य प्रकाश तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[छठें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 28 पर स्थानान्तरित ।]

मूसानगर मार्ग गजनेर-कानपुर का निर्माण

*41--श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मूसानगर-गजनेर-कानपुर मार्ग में कुछ काम होने के बाद बन्द कर दिया गया है और इस मार्ग का निर्माण अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक इस मार्ग का निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

इस मार्ग का निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया है, बल्कि वर्ष 1974-75 में अनुदान कम प्राप्त होने के कारण कार्य की प्रगति मन्द है । यदि आवश्यकतानुसार अनुदान मिल सका तो इस मार्ग का निर्माण-कार्य मार्च, 1976 तक पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है ।

जिला बहराइच में इकौना-पिपराघाट सड़क तथा पुलियों के निर्माण की मांग

*42--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जनपद के विकास खंड, हरिहरपुर रानी में इकौना पिपराघाट की सड़क एवं बीच में पड़ने वाले नाले पर पुल के अभाव में सामान्य जनता को महान कष्ट है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क एवं उस पर पड़ने वाली पुलियों के निर्माणार्थ क्या विचार करेगी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां । प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई, 22 किलोमीटर है जिसमें से प्रथम 5 किलोमीटर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है और बन चुके हैं । मार्ग का शेष भाग जिला परिषद् का है जिसका निर्माण तथा पूरे मार्ग पर पड़ने वाले पुलों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है । धनाभाव के कारण इन कार्यों को स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है ।

जिला बहराइच में भकला नदी पर बांध बनाने की मांग

*43---श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड जमुनाहा, जिला बहराइच में भकला नदी के कारण वर्षा ऋतु में उसके समीप के तमाम गांव बाढ़-ग्रस्त हो जाते हैं तथा हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है ? क्या इस क्षति को बचाने के लिये सरकार उक्त नदी के ऊपर ग्राम सोनपुर अथवा उसके समीप कोई बांध या रिजर्वायर बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नही तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

भकला नदी की बाढ़ से आस-पास के 30 ग्रामों का लगभग 7000 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हो जाता है । ग्राम सोनपुर और उसके नजदीक भकला नदी पर बांध व रिजर्वायर के बनाने की कोई योजना इस समय प्रस्तावित नहीं है ।

मेरठ जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को संशोधित वेतन का भुगतान

*44---श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले में सिंचाई विभाग में संशोधित वेतन की दरें लागू होने के परिणाम स्वरूप वाजिब बकाया वेतन का भुगतान अमीन, पनरौल, हरकारा, बेलदार, मेट आदि कर्मचारियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आर्य कन्या इन्टर कालेज, मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायतें

*45---श्री आशाराम यादव---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के आर्य कन्या इन्टर कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय आदेशों की अवहेलना की सूचना सन् 1970 से बराबर शासन को मिल रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां ।

विभाग द्वारा कई बार प्रशासकीय कार्यवाही हेतु प्रबन्धक को सचेत किया गया । संस्था अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं के निराकरण करने के लिये उन्हें समय दिया गया । परन्तु पुनः भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के कारण विद्यालय में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति की कार्यवाही विचाराधीन है ।

हाटा इन्टर कालेज, देवरिया का आडिट कराने की मांग

*46---श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा इन्टर कालेज से, जुलाई 1973 से जनवरी, 1975 तक का 20 प्रतिशत का प्रबन्धक एकाउन्ट तथा 50 प्रतिशत विज्ञान शुल्क का बैंक में जमा न होने के क्या कारण है ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक इसके दोषी नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार को एकाउन्ट का आडिट न कराने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी---

शुल्काय के 20 प्रतिशत तथा विकास शुल्क के 50 प्रतिशत का लेखा प्रबन्धक रखते हैं। इसके लिये जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार नहीं है । सम्बन्धित संस्था में प्रबन्धकीय विवाद होने के कारण सही स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी है । विद्यालय के लेखे का आडिट कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

चरगहवा नदी तथा कठहा नाले पर पुलों के निर्माण में रुकावट

*47--श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)---

क्या सरकार कृपया यह बतायेंगी कि शोहरतगढ़ से बलरामपुर रोड पर बढ़नी और पचपेड़वा के बीच में बढ़नी के पश्चिम करीब तीन मील की दूरी पर चरगहवा नदी पर सेतु का निर्माण कराने की योजना सरकार के पास थी ? यदि हां, तो किस कारण से कार्य रोक दिया गया ? क्या यह सच है कि वहां पर चार क्वार्टर भी अपूर्णावस्था में बने हैं और वहां पर एकत्रित पुल निर्माण के तमाम सामानों का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां । तराई क्षेत्र की कठिनाइयों तथा धनाभाव के कारण कार्य रुका हुआ है । वहां पर चार क्वार्टर अपूर्ण अवस्था में बने पड़े हैं परन्तु सामान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है । धन की व्यवस्था हो जाने पर यह कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

*48--श्री राम रेखा यादव--

क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि गोंडा और बस्ती के सरहद पर स्थित कठहा नाला का पुल निर्माण करने की सरकार के पास योजना थी ? यदि हां, तो निर्माण-कार्य क्यों रुका हुआ है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिले में भैंसवार माइनर का निर्माण

*49--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री शिव सम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि धोरावल रजबहा, जनपद मिर्जापुर से निकाले जाने वाली धोरावल ब्लाक की भैंसवार माइनर का निर्माण सर्वे हो जाने तथा लाइन बन जाने के बाद भी क्यों नहीं कराया गया जब कि ग्राम भैंसवार पूर्णतः असिंचित है और प्रतिवर्ष सूखे की चपेट में आ जाता है ? क्या भैंसवार माइनर को इस वर्ष के मिर्जापुर जनपद के सूखा से सहायता कार्यक्रम में बनाये जाने का प्राविधान है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रथम भाग---भैंसवार माइनर का सर्वेक्षण कार्य करीब 20 साल पहले हुआ था उस समय के रिकार्ड उपलब्ध नहीं है इसलिये यह बताना सम्भव नहीं हैं कि लाइन लगी कि नहीं व निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया ।

द्वितीय भाग---जी नहीं ।

'कार्य अनुभव योजना' के अन्तर्गत अध्यापकों को पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप वेतन

*50--श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश में "कार्य अनुभव योजना" के अन्तर्गत सहायक अध्यापक कृषि जो राजकीय आदर्श विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, इनको पे कमीशन की (1971-73) रिपोर्ट के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक निर्धारित वेतन क्रम दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

पे कमीशन की रिपोर्ट में इन पदों का उल्लेख नहीं किया गया था। अन्ततोगत्वा इनका वेतनमान भी पुनरीक्षित किया गया परन्तु शासनादेश में "कार्य अनुभव योजना" के स्थान पर "पुनर्व्यवस्था योजना" का उल्लेख कर दिया गया। उक्त शासनादेश का संशोधन जारी कर दिया गया है और अब अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा सकेगा।

मथुरा जिले में नहर शाखा सादाबाद रजवहा से पानी की सप्लाई

*51--श्री राम प्रकाश यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मथुरा के अन्तर्गत नहर शाखा सादाबाद रजबहा गत वर्ष तथा अब तक कभी चला है ? यदि हां, तो इसकी टेल एदलपुर, मडनई आदि में पानी न पहुंचने का क्या कारण है और कब तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्न का पहला भाग--

जी हां ।

प्रश्न का दूसरा भाग--

किसानों द्वारा नहर को पटरी गैर कानूनी तौर से काट लने की वजह से इस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच सका। नहर विधान के अन्दर उन किसानों के खिलाफ, जिन्होंने पटरी काटी, मुनासिब कार्यवाही की जा रही है, ताकि टेल तक पानी पहुंच सके।

शाहजहांपुर जिले में बड़ा तथा कलान मिर्जापुर के सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायतें

*52--श्री मोहम्मद रफी खां--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिले के बड़ा क्षेत्र के तथा कलान मिर्जापुर क्षेत्र के सहायक अभियन्ताओं ने जनवरी, फरवरी व मार्च, 1974 में लाखों रुपये का गबन व दुरुपयोग किया जिस पर निश्चित गम्भीर आरोप लगा कर शाहजहांपुर के दो विधायकों और प्रश्न कर्त्ता से लिखित शिकायत मंत्री जी को अप्रैल-मई, 1974 में की थी और जिसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता (सर्वे), लखनऊ द्वारा लगभग तीन माह पूर्व की गयी ? यदि हां, तो आज तक उन भ्रष्ट सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित शिकायती, पत्र शासन में प्राप्त हुये जिन पर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट शासन में प्राप्त हो गई है जिसके अनुसार अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता तथा एक ओवर सियर को दोषी पाया गया है। इन्हें दन्ड दिये जाने की कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है।

बहराइच जिले की अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की सेवा समाप्ति

*53--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंके कि बहराइच जिले की कौन-कौन अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की वर्ष 1973-74 के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण में न जा पाने के कारण सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ? क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशक, लखनऊ के पत्र संख्या शि0 मु0 उ0 वि0 नि0 आई (1) 1-475--31-41 (4) 74-75, दिनांक 31-8-74 के अनुसार बहराइच जिले में सेवा समाप्त अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं में से कितनी को अब तक सेवा में पुनः पद स्थापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के कार्यालय में अग्निकांड

*54--श्री तीरथ राम कोहली--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 6-11-74 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में भीषण अग्निकांड हुआ ? यदि हां, तो अग्निकांड का कारण क्या था तथा उससे क्या-क्या क्षति हुयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिनांक 5/6 नवम्बर, 1974 की रात में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के हाई स्कूल स्क्रूटिनी विभाग में आग लगी थी ।

आग लगने के कारण का निश्चित पता नहीं लग सका है, परन्तु अनुमान है कि यह आग बिजली की शार्ट सर्किटिंग से चिनगारी निकलने या किसी की लापरवाही से जलती सिगरेट फेकने के फलस्वरूप लगी थी ।

आग से भवन, बिजली की वायरिंग, जंबी हुई उत्तर पुस्तकों तथा अन्य सामान्य की क्षति हुई । क्षति का अनुमान लगभग 4,68,478 रु0 आंका गया है ।

*55--श्री बृजपाल सिंह यादव--

[छठें बुधवार के लिये स्थगित।]

ट्रेनिंग प्राप्त डिप्लोमा इंजीनियरों की नियुक्ति

*56--श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में सितम्बर, 73 से 31 जुलाई, 1974 तक कितने डिप्लोमा इन्जीनियर ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और इन ट्रेंड इन्जीनियरों में कितने को 15 नवम्बर, 74 तक सेवा में ले लिया गया है और शेष को कब तक सेवा पर ले लिये जाने की संभावना है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

इस अवधि में कुल 415 डिप्लोमा इन्जीनियरों (विद्युत् एवं यांत्रिक) ने ट्रेनिंग प्राप्त की । किसी प्रशिक्षण प्राप्त डिप्लोमा इन्जीनियर को नियुक्त नहीं किया गया ।

भविष्य में भी उन्हें सेवा में लेने की सम्भावना नहीं है क्योंकि कार्य नहीं है ।

*57--श्री शिव प्रसाद--

[छठें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 73 पर स्थानान्तरित।]

स्वर्गीय सुदामा पांडेय (धूमिल) के परिवार को आर्थिक सहायता

*58---श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि हिन्दी के आधुनिक एवं क्रांतिकारी कवि स्वर्गीय सुदामा पांडेय (धूमिल) की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश ने उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है ? अगर हां, तो उक्त धनराशि कितनी है और क्या यह उनके परिवार के सदस्यों को दे दी गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी---

स्वर्गीय "श्री धूमिल" के परिवार को मुख्य मंत्री जी ने अपने "पीड़ित सहायता कोष" से 2,000 रु० स्वीकृत किया है। उक्त धनराशि वितरण हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी को भेज दी गई है।

*59---श्री हरिकेवल---

[छठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 पर स्थानान्तरित।]

अधिशासी अभियन्ता फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के कार्यालय के विरुद्ध शिकायतें

*60--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, 74 में शासन को सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियन्ता फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के कार्यालय द्वारा फर्जी मस्टर रोल (टेस्ट वर्क) बनाने व अवैधानिक रुप से कई लाख रुपये के घोटाला किये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां।

इस पर जांच कराने के आदेश मुख्य अभियन्ता को दे दिये गये हैं।

*61---श्री मधुकर दिघे तथा श्री केशरी लाल--

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित।]

*62---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[छठे बुधवार के लिये स्थगित।]

*63---श्री रागेश्वर नाथ चौबे---

[छठें बुधवार के लिये स्थगित।]

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं का स्थायीकरण

*64---श्री राम अधार---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में सेवारत तीन साल के सभी अस्थायी सहायक अभियन्ताओं का स्थायीकरण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह मामला अभी शासन के जेरेगौर है।

*65--श्री हिम्मत सिंह--

[19 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर उत्तरित।]

उपविद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति

*66--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर, 1972 में कितने उपविद्यालय निरीक्षकों का चयन किया गया था? इनमें से कितनों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है और क्यों?

श्री अम्मार रिजवी--

चौदह इनमें से 12 अभ्यर्थियों को दिनांक 3 अप्रैल, 1975 को कार्यभार ग्रहण करने के लिये निश्चित रुप से उपस्थित होने के लिये शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1975 को आदेश जारी किये गये हैं। शेष दो अभ्यर्थियों में से एक को राज्य चिकित्सा परिषद् ने अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया था और उनकी पुनः स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिये दिनांक 21 मार्च, 1975 को शासनादेश भेजे गये हैं। दूसरे अभ्यर्थी की नेत्रों की ज्योति निर्धारित स्तर से कम पाये जाने के कारण राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा उन्हें विद्यालय उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

अस्थायी अध्यापकों का स्थायीकरण

*67--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जिन अस्थायी अध्यापको की सेवायें लगातार तीन वर्ष की पूर्ण हो चुकी है उन्हें अब तक स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है तथा उनपर लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की शर्त का उन्मूलन क्यों नहीं किया जा रहा है जब कि शासन द्वारा समय-समय पर तीन वर्ष की लगातार अस्थायी सेवा पूर्ण करने वालों के स्थायीकरण की घोषणा बार-बार की जा चुकी है?

श्री अम्मार रिजवी--

राजकीय कर्मचारियों को, सेवा नियमानुसार विधिवत् औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही, स्थायी किया जाता है। लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन की शर्त का उन्मूलन जनहित में नहीं है।

*68--श्री हुकुम सिंह

[छठे बुधवार के लिये स्थगित।]

*69--श्री विमल प्रसाद तिवारी

[छठे बुधवार के लिये स्थगित।]

*70--श्री बल्देव

[छठे बुधवार के लिये स्थगित।]

*71--श्री शिव सम्पति राम तथा श्री सूबेदार प्रसाद

[चौथे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 49 पर स्थानान्तरित।]

व्यायाम शिक्षा को एक विषय की स्वीकृति देना

*72--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या सरकार बतायेगी कि शिक्षण संस्थाओं में व्यायाम शिक्षा को अब तक एक विषय के रूप में स्वीकृति न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस विषय में कोइ शीघ्र निर्णय लेने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी --

शिक्षण संस्थाओं (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) में सभी छात्रों के लिये व्यायाम शिक्षा का विषय अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल एवं इन्टरमिडिएट के परीक्षार्थियों के लिये इस विषय का पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है परन्तु यह अभी परीक्षा का विषय नहीं है।

*73--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[छठें बुधवार के लिये स्थगित।]

*74--श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

[छठें बुधवार के लिये स्थगित।]

राजकीय पालीटेक्निक में विभागाध्यक्षों की ज्येष्ठता

*75--श्री सुक्खन सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक में कार्यरत विभागाध्यक्षों की ज्येष्ठता निर्धारित करने में लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

राजकीय पालीटेक्निकों में कार्यरत विभागाध्यक्षों की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर ही निर्धारित की गयी है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*76--श्री मुमताज मोहम्मद खां--

[छठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 29 पर स्थानान्तरित।]

*77-78--श्री गिरिजा शंकर पाठक--

[छठें बुधवार के लिये स्थगित।]

*79--श्री उदल--

[छठें बुधवार के लिये स्थगित।]

*80--डाक्टर मलखान सिंह--

[छठें के लिए स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

बड़ी गंडक नहर निर्माण से देवरिया जिले के कुछ गांवों में जल निकासी की समस्या

1--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ी गंडक नहर के निर्माण से आवश्यक साइफन न होने से बरबा रतनपुर कौवासार, पसरमापुर, खरटिया, मितलापुर, सिंगहा (देवरिया गांवों में पानी के जमाव) (वाटर लागिंग) से फसलों के बचाव हेतु उचित व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमद अली खां--

जी हां ।

बरवा रतनपुर कौवासार, खैरटिया, सितलापुर, सिंगहा, पसरामपुर आदि गांवों के जल निकासी हेतु नाले साइफन तथा इनलेट बनाने का प्रस्ताव है जो धन की उपलब्धता के अनुसार बनाया जायेगा ।

पदमपुरी–मनाघेर मार्ग निर्माण में अर्जित भूमि का प्रतिकर

2--श्री इन्द्र लाल--

विधान सभा की बैठक दिनांक 31 जुलाई, 74 के नत्थी (ग) में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पदमपुरी-मनाघेर मोटर मार्ग के निर्माण के लिये किन-किन ग्रामों की भूमि अर्जित की गयी थी और ऐसी अर्जित की गई भूमि का प्रति कर स्थानीय किन-किन व्यक्तियों को दिया गया ? क्या जो विज्ञप्ति केवल धानाचुली ग्राम के सम्बन्ध में दिनांक 22 जुलाई, को जारी की गयी है उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जिला नैनीताल में पदमपुरी–मनाघेर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों में भूमि अर्जित की गयी है:--

(1) ग्राम अधरिया चक ग्वालाकोट ।
(2) ग्राम सरना ।
(3) ग्राम लतफोड़ा भल्ला ।
(4) ग्राम लतफोड़ा तल्ला ।
(5) ग्राम धानाचुली ।

जिन व्यक्तियों को अब तक प्रतिकर दिया जा चुका है उनकी सूची सदन के पटल पर रखी है। ग्राम धानाचुली से सम्बन्धित विज्ञप्ति की भी प्रतिलिपि† सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

चकिया तहसील, जिला वाराणसी के बन्धों की डूब की जमीन के पट्टे

3--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकिया तहसील, जिला वाराणसी के कितने बंधों की कितने एकड़ डूब की जमीन सन् 71 से लेकर जून, 74 तक किन-किन लोगों को किस मात्रा में पट्टे पर दी गयी और उनके नाम पते क्या हैं ? उसमें कितने रुपये की आमदनी सिंचाई विभाग को हुयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

तहसील चकिया, जिला वाराणसी के 8 बंधों की 1045 एकड़ डूब की भूमि का पट्टा अप्रैल, 1971 से जून, 1974 की अवधि में जिन व्यक्तियों के नाम किया गया उनके नाम एवं पते और भूमि की मात्रा की सूची† अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखी है । इससे सिंचाई विभाग को वर्ष 1971–72 से 1973–74 तक 4938.98 रुपये की आमदनी हुई ।

---

†छापी नहीं गई ।

नौगढ़ ब्लाक, जिला वाराणसी में बन्धियों का निर्माण

4—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में बंधियों के निर्माण हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन दिया गया और किन बंधियों का निर्माण पूरा हुआ कितनी अधूरी हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

नौगढ़ ब्लाक तहसील चकिया, जिला वाराणसी में चौथी पंचवर्षीय योजना में 22.61 लाख रु0 बन्धियों के निर्माण हेतु व्यय किया गया। जय मोहनी पोस्ता, केसार, उदितपुरसुरा, जमसोत, देवखात, पंडी, देवरी, खुर्द, नबेदापुर हथनी, गोहिला, झुमरिया, गंगापुर, परसिया, बरबसपुर, मुनवट, बौदलपुर, गोलावाद, पथरौर, भरवटिया धनकुमारी, पढ़ौती प्रथम देवरी तथा शाहपुर बन्धियों का निर्माण पूरा हुआ तथा टिकुरिया, विजयपुर, विजौरा विनायकपुर एवं लौआरी खुर्द बन्धियों कुछ कार्य अवशेष हैं।

जलकुंडी परियोजना

5—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जलकुंडी परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुयी और यह योजना कितने लागत की है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जलकुंडी बांध पर अभी विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है क्योंकि बांध स्थल पूर्णतः नैपाल राज्य में है। विस्तृत सर्वेक्षण के लिये नैपाल राज्य की अनुमति एवं सहमति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को लिखा गया है। परियोजना की लागत का अनुमान सर्वेक्षण के पश्चात् लगाया जा सकेगा।

टिहरी बांध परियोजना का निर्माण-कार्य

6—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टिहरी-गढ़वाल में टिहरी बांध परियोजना पर जो निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया गया है उसे पूर्ण करने हेतु सरकार कितनी धनराशि कुल परिव्यय के लिये स्वीकृत की गयी है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस बांध के पूर्ण करने में कितना समय और लगने की संभावना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

टिहरी बांध परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों के लिये अब तक नीचे लिखा हुआ धन दिया गया है:—

वर्ष	रुपये
71—72	18,81,000
72—73	1,13,64,000
73—74	1,65,02,000
74—75 लगभग	2,15,00,000

इस वक्त तो परियोजना के प्रारम्भिक कार्य ही चल रहे हैं। जिस वक्त से परियोजना के मुख्य कार्यों पर काम पूरी तेजी से शुरू किया जायेगा उस वक्त से मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक परियोजना के पूरे होने में 12 साल लगने का अन्दाजा है।

आजमगढ़ जिले में बुढ़नपुर–अम्बारी तथा फूलपुर–मार्टकिनगंज सड़कों के निर्माण की प्रार्थना

7––श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बुढ़नपुर में अम्बारी तथा फूलपुर से मार्टीकिनगंज तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में वर्ष 1974 में वहां के किन-किन विधायकों द्वारा कब-कब प्रार्थना-पत्र दिया गया? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह––

सूचना एकत्रित की जा रही है।

8––श्री मोहन लाल कपूर––

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

मधुसूदनदास हायर सेकेंडरी स्कूल, जसपुरा, बांदा में अध्यापकों की नियुक्ति

9––श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)––

9––क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मधुसूदन दास हायर सेकेंड्री, स्कूल जसपुरा, जिला बांदा में कुछ अध्यापकों की नियुक्ति हेतु मास जुलाई, 74 में समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर उम्मीदवारों से प्रार्थना-पत्र मांगे गये और जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त में साक्षात्कार किया गया? यदि हां, तो किस किस विषय के लिये किन-किन योग्यताओं के उम्मीदवार साक्षात्कार में उपस्थित हुए और किन-किन को स्कूल में अध्यापक के पदों पर कब नियुक्त किया गया ? क्या इस चुनाव में योग्यता व शैक्षिक अनुभव का भी ध्यान रखा गया था ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां। अभ्यर्थियों के नाम, उनकी योग्यता, चुने गये अध्यापक एवं उनकी नियुक्ति की तिथि से संबंधित विवरण संलग्न है। प्रबन्धक के कथनानुसार चुनाव में योग्यता एवं शैक्षिक अनुभव का भी ध्यान रखा गया था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 244-245 पर)

देवरिया के बाबा राघवदास इंटर कालेज के अध्यापकों तथा चपरासियों को वेतन तथा महंगाई भत्ते का सरकारी खजाने से भुगतान

10––श्री श्रीनारायण––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया के बाबा राघवदास इंटर कालेज में सरकारी खजाने से चेक द्वारा वेतन देने की विधि लागू होने के पूर्व कालेज में कुल कितने छात्र कितने अध्यापक तथा कितने चपरासी नियुक्त थे तथा उस विद्यालय को सरकारी खजाने से कितना अनुदान दिया जाता था तथा विद्यालय को प्रतिमाह चपरासियों तथा अध्यापकों को कुल कितने रुपये वेतन मंहगाई भत्ता आदि देने पड़ते थे ?

श्री अम्मार रिजवी---

देवरिया जनपद के बाबा राघव दास इंटर कालेज में सरकारी खजाने से चेक द्वारा वेतन देने की विधि लागू करने के पूर्व (31-3-71) कालेज में छात्रों की संख्या 757, अध्यापकों की 33, लिपिकों की 4 तथा चपरासियों की संख्या 15 थी । उक्त विद्यालय को सरकारी खजाने से वर्ष 1970-71 में 97,395.58 रु० का अनुदान मिला था।

विद्यालय को अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन महंगाई आदि पर लगभग 13,097 रु0 प्रति माह व्यय करना पड़ता था ।

इटावा जिले की जसवन्तनगर-कचौराघाट सड़क को पक्की करने की मांग

11---श्री मुलायम सिंह यादव---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के 6वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के संबंध में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की जसवन्तनगर से कचौराघाट सड़क को वित्तीय वर्ष 75-76 में पक्की कर दिया जायगा जिसे इस वर्ष 74-75 में धनाभाव के कारण पक्की नहीं किया जा सका है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

जी नहीं । धनाभाव के कारण वित्तीय वर्ष 75-76 में भी इस सड़क को पक्का कराना संभव नहीं है ।

अलीगढ़ जिले में सड़कों का निर्माण

12---श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अलीगढ़ की व जिला परामर्शदात्री समिति की दिनांक 21-5-74 की बैठक में पंचम पंचवर्षीय योजना काल में निर्माणार्थ प्रस्तावित किन-किन सड़कों को क्या-क्या प्राथमिकतायें निर्धारित करके अपनी संस्तुति की है ? उपरोक्त सड़कों की क्या क्या लम्बाई है तथा उन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है? उक्त सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कें निर्माण के लिये शासन ने स्वीकार कर ली है और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलीगढ़ की व जिला परामर्शदात्री समिति की दिनांक 21 मई, 1974 की बैठक में पंचम पंचवर्षीय योजना काल में निर्माणार्थ प्रस्तावित 50 सड़कों की सूची संलग्न है जिसमें सड़कें प्राथमिकता के आधार पर अंकित है तथा प्रत्येक की लम्बाई दर्शाई गयी है।

धनाभाव के कारण इसमें से कोई भी सड़क निर्माण के लिये स्वीकार नहीं की जा सकी है । अतः उन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है और वह कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी, इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 246-257 पर)

बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा बी०टी०सी० के प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन

13---श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वर्ष में बी0 टी0 सी0 के प्रशिक्षण में प्रवेश प्राप्त करने हेतु जिला अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़ को किस-किस अभ्यर्थी

ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये और उनमें से किन-किन को प्रवेश प्रदान करने हेतु चयन किया गया ? समस्त अभ्यर्थियों की विभिन्न (हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आदि) परीक्षाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या-क्या है ? चयन का आधार क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूची† संलग्न है ।

अभ्यर्थियों को उसके द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षाओं और श्रेणियों के आधार पर निम्न अंक प्रदान किया जाएगा । यदि दो अभ्यर्थी सामान्य अंक प्राप्त करें तो उसमें से वरीयता निर्धारण हाई स्कूल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जायगा ।

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय तथा पूरक परीक्षा श्रेणी
हाई स्कूल	15	6	3
अथवा समकक्ष			
इंटर अथवा समकक्ष	20	8	4
बी0 ए0 अथवा समकक्ष	30	12	6
एम0 ए0 अथवा समकक्ष	35	14	7

हाई स्कूल तथा इन्टर परीक्षा में असफल छात्रों द्वारा जमा स्क्रूटनी शुल्क

14--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1974 की इंटर तथा हाई स्कूल परीक्षा में असफल कितने छात्रों ने परिषद् के नियमानुसार स्क्रूटनी के लिये निर्धारित शुल्क जमा किया ? स्क्रूटनी का कार्य कब पूरा हुआ ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों तथा न होने की दशा में क्या शुल्क वापस कर दिया गया है अथवा कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

1974 की हाई स्कूल परीक्षा के 3,468 परीक्षार्थियों ने स्क्रूटनी के लिये आवेदन-पत्र दिया था । इन समस्त परीक्षार्थियों के एक विषय की सम्निरीक्षा कर ली गई थी । परन्तु नवम्बर, 1974 में हाई स्कूल स्क्रूटिनी विभाग में आग लग जाने से हाई स्कूल परीक्षा की अधिकांश उत्तरपुस्तिकायें जल गई । इस कारण उत्तर पुस्तिकाओं की सम्निरीक्षा सम्भव न होने के कारण संबंधित परीक्षार्थियों द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस किया जा रहा है ।

इंटरमीडिएट परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाओं की सम्निरीक्षा हो चुकी है, परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या तथा सम्निरीक्षा समाप्त होने की तिथि के संबंध में सम्प्रति सूचना उपलब्ध नहीं है ।

†छापी नहीं गयी ।

गोरखपुर जिले की नौतनवां–ठूठीवारी सड़क का निर्माण

15––श्री अब्दुल रऊफ लारी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में नौतनवां-ठूठीवारी रोड जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण हो रहा है कब तक तैयार हो जायेगी तथा इसका निर्माण कब से आरम्भ किया गया और अब तक इस पर कितना धन व्यय हुआ है?

श्री शिव प्रसाद सिंह––

इस मार्ग का निर्माण कार्य मार्च, 1974 में पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य 1964 में प्रारम्भ हुआ और फरवरी, 1975 तक कुल 29,10,600 रुपये व्यय हो चुके हैं।

नार्मल स्कूल, ताड़ीखेत जिला अल्मोड़ा के लिपिक का कथित स्थानान्तरण

16––श्री इन्द्र लाल––

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4–7–74 व 7–8–74 में नार्मल स्कूल, ताड़ी खेत, जिला अल्मोड़ा के किसी लिपिक के स्थानान्तरण किये जाने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो क्यों और अब तक स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी––

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले की सफ़दरगंज–बदोसराय सड़क का निर्माण तथा व्यय

17––श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी की निर्माणाधीन सड़क सफ़दरगंज-बदोसराय पर अब तक निर्माण-कार्य में सरकार ने कितना रुपया व्यय किया है? कार्य पूरा होने में कितना समय और धन अभी और लगेगा? क्या सरकार द्वारा निर्धारित समय में उक्त मार्ग का निर्माण-कार्य पूरा नहीं होगा? यदि हां, तो क्यों?

श्री शिव प्रसाद सिंह––

प्रश्न गत मार्ग के निर्माण कार्य पर फरवरी, 1975 तक 8,94,140 रुपया व्यय किया गया है? कार्य पूरा होने में अभी लगभग एक वर्ष का समय तथा 8,05,860 रुपया और लगने की संभावना है। इस कार्य के पूर्ण होने का लक्ष्य जुलाई, 1975 था परन्तु धनाभाव तथा सामग्री न उपलब्ध होने के कारण मार्च, 1976 तक इस कार्य के पूर्ण होने की संभावना है यदि वांछित धन उपलब्ध हो सका।

रामगंगा रेहनी बांध पर व्यय तथा ठेकेदारों के रेट

18––अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा रेहनी बांध विधान सभा क्षेत्र स्योहारा, जिला बिजनौर में जो 1973–74 में बांध बांधा गया इस पर सरकार की कुल कितनी धनराशि व्यय हुयी? इसमें कितने ठेकेदारों ने काम किया है और उनके नाम क्या क्या हैं? और कुल कितने ठेकेदारों ने टेंडर दिये थे और किन-किन रेटों पर?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां––

रामगंगा नदी पर रेहनी बांध जो वर्ष 1973–74 में बनाया गया उस पर अब तक 6,56,229 रुपया व्यय हुआ। इस काम पर कुल दस ठेकेदारों ने काम किया जिनके

नाम साथ की लिस्ट† संख्या 1 में दिये हैं । इस काम के लिए चार लाट में टेंडर मांगे गये थे और कुल 14 ठेकेदारों ने टेंडर दिये थे । जिन दरों पर टेंडर दिये थे उन दरों की प्रत्येक लाट की लिस्ट† क्रम सं0 2 से 5 अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखी है ।

सिंचाई विभाग की जिलेदारी परीक्षा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

19—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 26-8-74 को एक प्रार्थना-पत्र सिंचाई विभाग में 1974 की जिलेदारी की परीक्षा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में दिया था? इस संबंध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-8-74 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ बल्कि इस संबंध में उनका एक पत्र दिनांक 20-8-74 का प्राप्त हुआ था । इस पत्र पर छानबीन करवायी गयी । जिलेदारों की सेवा-नियमावली में अनुसूचित जाति के लिये अलग से कोई अर्हकारी परीक्षा का प्राविधान नहीं है और न ही प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र में बताये गये शासनादेशों में अर्हकारी परीक्षा में अनुसूचित एवं जन जातियों के लिये कोई आरक्षण का उल्लेख है ।

गोरखपुर जिला परिषद् से सम्बन्धित प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक (महिला एवं पुरुष) को पेंशन

20—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की जिला परिषद् से सम्बन्धित प्राइमरी व जू0 हाई स्कूलों में कितने ऐसे प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक (महिला एवं पुरुष) हैं जो सन् 1964 से 73 के बीच सेवा निवृत्त हुये तथा मरे हैं? इनमें से कितने लोगों को तथा उनके आश्रितों को पेंशन आदि की सुविधा प्रदत्त की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बी० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापकों के स्थान पर अनुत्तीर्ण बी० टी० सी० छात्रों की प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्ति

21—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1973-74 में बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड अध्यापकों को प्राइमरी पाठशालाओं में जगह न देकर अनुत्तीर्ण बी0 टी0 सी0 छात्रों को जगह दे दी गयी है? यदि हां, तो वह कौन-कौन हैं तथा ऐसा करने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर जिले के परतावल तथा घुघली विकास क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पाठशालाओं के भवन

22—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के परतावल तथा धुधली विकास क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कितनी पाठशालायें हैं? कितनी पाठशालाओं के

---

†छापी नहीं गई ।

पास भवन ही नहीं हैं तथा कितनी पाठशालायें ऐसी हैं जिनके भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? क्या मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि खंडित भवन के जीर्णोद्धार एवं नये भवनों के निर्माण कब तक हो सकेंगे?

श्री अम्मार रिजवी--

98 पाठशालायें हैं। 18 पाठशालाओं के पास भवन नहीं हैं। 8 पाठशालाओं के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

शीघ्र बनवाने का प्रयास किया जा रहा है।

कानपुर नगर की प्रारम्भिक पाठशालाओं में १० वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अध्यापक

23--श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर की प्रा० पाठशालाओं में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक एक ही स्कूल में कार्य कर रहे हैं? उनके स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी--

204 सामान्यतयः प्रशासनिक या प्रोन्नति के आधार पर स्थानान्तरित किये जाते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं आई, अतः स्थानान्तरण नहीं किये गये।

जिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा अध्यापकों के वेतन का भुगतान

24--श्री दया किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् गठन के पूर्व जिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा कितने अध्यापकों का कितना रुपया अवकाश आदि के शेष वेतन का देना है और इन अध्यापकों में से कितने अध्यापक इस समय तहसील चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ में नियुक्त हैं और उक्त शेष वेतन के भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक यह भुगतान सरकार कर सकेगी?

श्री अम्मार रिजवी--

573 अध्यापकों का 1,11,623 रुपया देना है।

उपरोक्त में से 77 अध्यापक तहसील चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ में नियुक्त हैं। इन अवशेष वेतनों का भुगतान जिला परिषद् को करना चाहिये था परन्तु उसने नहीं किया। शासन अब इसके भुगतान हेतु विचार कर रहा है।

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 जनवरी, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 1 मार्च, 1975 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश न्यायालय फ़ीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा---

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा---

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति 26 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

श्री फ़जलुर्रहमान, सदस्य विधान सभा, की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना आपको देनी है कि श्री फजलुर्रहमान, सदस्य विधान सभा, बहराइच की गिरफ्तारी की सूचना सदन को 31 मार्च, 1975 को दी गई थी । अब अधीक्षक, जिला कारागार बहराइच ने अपने तार दिनांक 29 मार्च, 1975 तथा जिलाधिकारी बहराइच ने अपने पत्र दिनांक 29 मार्च, 1975 द्वारा यह सूचित किया है कि माननीय सदस्य 29 मार्च, 1975 को भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत जिला कारागार, बहराइच में रखे गये थे । जिलाधिकारी बहराइच ने अपने पत्र दिनांक 31 मार्च, 1975 द्वारा यह भी सूचित किया है कि माननीय सदस्य 30 मार्च, 1975 को जाती मुचलका देने पर बन्दीगृह से रिहा कर दिये गये हैं ।

मुख्य मन्त्री तथा खाद्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल माननीय मुहम्मद असरार अहमद, श्री सत्य-प्रकाश मालवीय और श्री मधुकर दिघे ने उठाया है । माननीय श्री सत्य प्रकाश मालवीय, माननीय श्री राम प्रकाश यादव, माननीय श्री मुहम्मद असरार अहमद तथा माननीय श्री मधुकर दिघे ने सूचना दी है कि 31 मार्च, 1975 की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर देते हुये माननीया खाद्य मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा 1974 में इस आशय का कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि हर न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा मोटा अनाज लोगों को पहुंचाया जायगा । सूचना देने वाले माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना के साथ माननीय मुख्य मंत्री का पत्र ग्राम प्रधानों के नाम, 5 सितम्बर, 1974 की प्रतिलिपि संलग्न की है जिसमें यह लिखा है कि "..... सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया है कि हर न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकान द्वारा मोटा अनाज लोगों को पहुंचाया जायेगा ।" सूचना देने वाले माननीय सदस्यों का यह कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री के उक्त पत्र तथा माननीय खाद्य मंत्री के उपरोक्त उत्तर में विरोध है और जान बूझ कर सदन को भ्रम में रखा गया है और गुमराह किया गया है । अतः

[श्री अध्यक्ष]

उन्होंने माननीय श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, मुख्य मंत्री तथा माननीया डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, खाद्य मंत्री के विरुद्ध सदन का अवमान करने तथा विशेषाधिकार भंग कराने का प्रश्न उठाने की सूचना दी है।

जो पुस्तिका नत्थी की है उसमें मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि "इस दैवी आपत्ति का साहस और सब लोगों की मदद से ही सामना किया जा सकता है। सरकार भरसक कोशिश कर रही है। गल्ला, दवाइयां, सुई से बीमारी की बचत, कुओं के पानी में दवा का छिड़काव, बाढ़ग्रस्त स्कूली बच्चों के लिये फीस माफी का ऐलान (चाहे वह किसी भी दर्जे में क्यों न हो) पशुओं के लिये सरकारी जंगलों में चरने की छूट आदि कई कदम लिये गये हैं ताकि बाढ़ग्रस्त इलाके की जनता को राहत पहुंचा सकें। अब राहत काम भी शुरू होंगे और सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया है कि हर न्याय पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकान द्वारा मोटा अनाज लोगों को पहुंचाया जायगा।" यह बाढ़ग्रस्त स्थिति के लिये है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, जो पत्र है उसमें इस बात को स्पष्ट लिखा है कि...

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मुख्य मंत्री का पत्र ग्राम प्रधानों के नाम है और माननीया खाद्य मंत्री का वक्तव्य अलग विषय है। इसका कैसे जोड़ हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

ऐसे पत्र व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। यह नेता की हैसियत से लिखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जानने की बात कोई भी उठा सकता है और यह सही है कि माननीय काशीनाथ मिश्र ने जैसा कहा है जो पुस्तिका संलग्न की गई है वह ग्राम प्रधानों से संबंधित है, जिसके सन्दर्भ में है वह सही नहीं उतरती है। इसके बारे में उनका कहना है। एक तो यह बात है, इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि विशेषाधिकार का सवाल ध्यानाकर्षण का सवाल नहीं बनाया जा सकता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष--

सिर्फ मुख्य मंत्री जी के पत्र का हवाला इसमें है। यह मैं लौटा ले देता हूं। आप जब नियमानुसार लिख कर देंगे तब विचार करूंगा। यह अनियमित है। इसको मैं खारिज करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, कैसे अनियमित है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीया खाद्य मंत्री जी का हवाला आपने पहले दे दिया। खाद्य मंत्री ने बयान क्या है, उसमें उन्होंने क्या कहा, प्रमाण देना चाहिए। जो आपको अपने कथन के पक्ष में आधार देना चाहिए वह आपने नहीं दिया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है ।

श्री अध्यक्ष---

हर पंचायत में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की सूचना जो है वह माननीया खाद्य मंत्री से संबंधित है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक सूचना दी है ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मालवीय जी वह चीज आपके सामने रखना चाहते थे, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी ग्राम पंचायतों को पत्र लिखकर एक नीति का हवाला दिया है ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आपकी यह मंशा सिर्फ है कि कुछ प्रचार ध्यानाकर्षण के रूप में रख कर करें, तो यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है । विशेषाधिकार तब उठाना चाहिए जब मंत्री ने जानबूझकर झूठ बोला हो ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ घोषणा करें और माननीया खाद्य मंत्री जी कुछ घोषणा करें तब तो विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

बाढ़ग्रस्त इलाके के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, अगर आप बोलेंगे, तो उसका जवाब भी दिलवाऊंगा । जब आपने लिखा है और लिखकर भी दिया है, विधान सभा में कही दो बातों का टकराव नहीं है ।

*खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं, आपने जो विशेषाधिकार के प्रश्न को डिस-एलाऊ किया । माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए और सैटिस्फैक्शन के लिए यह कहना चाहती हूं कि जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा और जो मैंने कहा उसमें दो बात नहीं है । इस तरह के जब प्रश्न हाउस में किये गये थे, तब मैंने भी उसी प्रकार का जवाब दिया था । यह 30 दिसम्बर, 1974 की जो विधान सभा की कार्यवाही है, उसके उद्धरण से यह साफ हो जाता है कि जब श्री राज ब्रजराज सिंह ने यह कहा था कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक सस्ते गल्ले की दुकान खोली जायगी । यह योजना सरकार की कब से लागू होगी । तब मैंने कहा कि "बाढ़ के दिनों में जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी वहां के लिए यह बात कही थी । अभी पूरे प्रदेश में 14 जिले हैं जहां हम नहीं खोल पाये हैं । वहां भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स पर जनवरी से सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने जा रहे हैं ।" फिर माननीय बाबूलाल वर्मा ने कहा कि 5 सितम्बर, 1974 को मुख्य मन्त्री जी ने ग्राम प्रधानों के नाम एक पत्र भेजा है । जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य कर रहे हैं । तब मैंने कहा था कि जहां तक माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि हर न्याय पंचायत में राहत कार्य के लिए दुकानें खोली जायेंगी तो राहत कार्य एक लिमिटेड समय के लिए होता है और गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में जहां बाढ़ आई हुई थी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

आजमगढ़ और कुछ हिस्सों में जहां सूखे की स्थिति थी, राहत कार्य के लिए दुकानें खोली गई थी। ग्रामीण अंचलों में हर न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने की व्यवस्था अभी सरकार की तरफ से नहीं है। तो यह राहत कार्य के लिए था। हमारा स्पष्ट जवाब था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी इसी सन्दर्भ में कहा। तो हमारी बात में और उनकी बात में कोई अन्तर नहीं है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, खाद्य मन्त्री जी कहती हैं कि देंगी नहीं और किसी विशिष्ट समय के लिए देंगी और मुख्य मन्त्री जी का कहना है कि हर न्याय पंचायत में जहां बाढ़ आयी है देंगे। बाढ़ वाले इलाके की न्याय पंचायतों को देंगे। खाद्य मन्त्री जी बयान देती हैं कि केवल विशिष्ट समय के लिए देंगी।

श्री अध्यक्ष—

बार-बार अखबारों में आना कि अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया यह स्थिति इस सदन के गौरव और गरिमा के अनुरूप नहीं है। अगर आप सचमुच ठीक समझते हैं तो उठाया करें। अन्यथा यह भ्रम सारे देश में फैल सकता है कि अध्यक्ष बहुत अस्वीकार करते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जो भ्रम फैले उसको दूर करने की कोशिश की जाय।

खाद्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय पुरुषोत्तम कौशिक ने सूचना दी है कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 का, जो उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित किया गया था, उद्देश्य राज्य के स्वास्थ्य मन्त्री एवं खाद्य मन्त्री ने न केवल अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता प्रकट की है अपितु इस सदन में किये गये अपने वायदों को तोड़कर सदन की मर्यादा को भंग किया है तथा आये दिन, झूठे वायदों से सदन को गुमराह किया है। आप इस प्रशासन को, इस गवर्नमेंट को एक अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं अगर बहुमत है, लेकिन यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

* * * *

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

* * * *

श्री अध्यक्ष—

माननीय पुरुषोत्तम कौशिक का नहीं लिखा जायगा।

नोट—[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

* * * *

श्री अध्यक्ष---

ध्यानाकर्षण और विशेषाधिकार में अन्तर है। यही मैं कह रहा हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

[* * *]

वन मन्त्री के विरुद्ध श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय श्री मोतीलाल जी देहलवी ने नियम 63 के अन्तर्गत सूचना दी है कि माननीय वन मन्त्री ने 24 मार्च, 1975 को सदन में यह कहा कि---

"मेरे तथा मेरे लड़के के नाम चिनहट के पास कोई जमीन नहीं है।" माननीय श्री देहलवी का कहना है कि माननीय वन मन्त्री ने यह बयान जानबूझकर गलत दिया है और सदन से वास्तविकता को छिपाकर सदन का अवमान किया है। माननीय श्री देहलवी ने खतौनी के उद्धरण की नकल की अपने द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की है।

अब मैंने जैसा कहा था और देहलवी जी को बता भी दिया था, परसों या उसके पहले दिन, कि मैंने वन मन्त्री जी से स्पष्टीकरण मांग रखा है। तो अब उनका स्पष्टीकरण आ गया है जो इस प्रकार है :---

"माननीय अध्यक्ष

श्री मोतीलाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा ने जो मेरे इस कथन पर कि 'मेरे या मेरे लड़के के नाम चिनहट के पास कोई जमीन नहीं है' विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि मेरा उक्त कथन सही है। सूचना के साथ जो इन्तखाब खतौनी की नकल दी गयी है, उसमें ग्राम धावा में मेरे पुत्र अजय प्रताप सिंह के नाम साढ़े सात बीघे यानी लगभग पौने पांच एकड़ जमीन का उल्लेख है। ग्राम धावा चिनहट के पास नहीं है बल्कि उससे लगभग पांच छः मील दूर देवा रोड पर है। उस दिन जो प्रश्न विशद रूप से उठाया गया था वह चिनहट के पास जमीन के अनधिकृत कब्जे के बारे में था और मैंने भी इसी बात को दृष्टि में रखते हुए कहा था कि मेरे पुत्र या मेरे नाम से चिनहट के पास कोई जमीन नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जब यह प्रश्न उठा था मैं उपस्थित नहीं था और काफी देर के बाद सदन में आया और शुरू से ही मैं पूरी बातों को नहीं सुन सका। इसलिए यदि कोई भ्रम हुआ है तो उसके लिए मुझे खेद है।"

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष---

खेद प्रकाश के बाद भी आप कुछ कहना चाहेंगे।

(कई सदस्यों ने खड़े होकर एक साथ कहा कि जब खेद प्रकट कर दिया तब इन को कहने की इजाजत नहीं होनी चाहिये।)

नोट:---[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री मोती लाल देहलवी--

मुझे आप दो मिनट सुन लें। 16 मार्च के 'जागरण' अखबार में यह खबर छपी थी और उसके बाद हमने कामरोको प्रस्ताव इसी सम्बन्ध में पेश किया था जिस पर आपने वक्तव्य कराया था।

श्री अध्यक्ष--

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

माफी तो मिल जावे तब तो उनको बन्द करावें।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

माफी तो आप देते हैं, उनको देने का कोई अख्तियार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो हम देंगे ही लेकिन आपने सुना होगा और मुझे याद आता है शेक्सपियर में शायलाक का मामला..!

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि विशेषकर देहलवी जी से कि एक ऐसा ही प्रसंग आया था माननीय मुख्य मन्त्री जी और मेरे बीच और मैंने उनके द्वारा खेद प्रकाश के बाद समाप्त कर दिया था तो माननीय देहलवी जी भी अगर उन्होंने खेद प्रकट कर ही दिया है तो तथ्य चाहे कुछ भी हों लेकिन मेरा ख्याल है अच्छा यही होगा कि वे अब इस प्रसंग को न बढ़ावें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं लेकिन प्रश्न खेद का नहीं है प्रश्न, मान्यवर, प्रदेश की जनता का है और इसलिए मुझे इस बात का खेद है कि मैं उनके खेद से सन्तुष्ट नहीं हो सका हूं। मान्यवर, आज भी देखें कि आज भी माननीय जन मन्त्री जी सही बात नहीं कह रहे हैं और इसका मुझे और भी ज्यादा सख्त अफसोस है कि वे अब भी काफी बातें छिपा रहे हैं।

मान्यवर, जिस दिन वक्तव्य आया मैंने बराबर कहा था आप कार्यवाही मंगा कर देख लें कि वह धावा की जमीन है और धावा मुश्किल से चिनहट से तीन मील की दूरी पर है। मैंने खुद इनका फार्म देखा है, बहुत बड़ा फार्म है और इन्हीं के नाम से मशहूर है। मान्यवर, यह साढ़े सात बीघे का पट्टा तो इनके लड़के के नाम है इनकी बीवी के नाम अलग है, इनके नौकरों के नाम भी हैं, और भी पट्टे हैं इसलिए मैं आपसे कहूंगा....

श्री अध्यक्ष--

अब आप यह नया विषय उठा रहे हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष--

आपने जो बात अभी कही है वह नयी बात है वह बात पहले नहीं दी थी।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैं उस दिन भी बराबर कह रहा था कि यह धावा की जमीन का मामला है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिये कि

यह गांव चिनहट के समीप है। यह तो बहुत गलत चीज है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि चिनहट के पास इधर-उधर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के जितने गांव हैं। माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने यह बात कही थी। तो अब यह कहना कि धोखा हो गया समझ में नहीं आ पाया था यह तो सदन को और ज्यादा गुमराह करने वाली बात हो जाती है। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है, कि सदन की अवमानना का प्रश्न स्पष्ट है। मैंने खतौनी की नकल दी थी। मेरे पास और भी नकलें हैं, मैं सब दाखिल कर सकता हूं। इसमें जानबूझ कर सदन को गुमराह किया गया है। माननीय वन मन्त्री जी स्वयं फार्म पर आते जाते रहे हैं। ऐसी हालत में मेरी प्रार्थना है कि मेरा विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सामने जाना चाहिये। इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है, और इन्तिखाब चाहें तो उनको भी दाखिल कर दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैंने यह कहा है कि यह प्रश्न सदन के सामने आया है कि राजा अजीत प्रताप सिंह वन मन्त्री, ने गलत बयानी की है और उस बारे में उन्होंने सही सूचना नहीं दी है। उस पर माननीय मोतीलाल देहलवी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। उन्होंने आज यह जवाब दिया कि उन्होंने उस वक्त सुन नहीं पाया था और यदि ऐसा भ्रम पैदा हुआ है तो उसके लिए उन्हें खेद है। तो उन तथ्यों को उठाने के लिए अनेक फोरम हैं, आप सदन के सामने उठायें लेकिन जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है सदन में यह परम्परा रही है कि जब ऐसी स्थिति हो तो मामला समाप्त कर दिया जाता है। तो उसी के लिये मैंने कहा था कि उस परम्परा को निबाहने के लिए माननीय मोतीलाल जी मान जायं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

जब माननीय वन मन्त्री जी ने स्वयं खेद प्रकट कर दिया है तो मैं समझता हूं कि इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, तो अब यह अस्वीकार किया जाता है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, 103 में मैंने भी एक सूचना दी थी ?

श्री अध्यक्ष---

अभी मेरे पास नहीं आई है, आ जायगी तो देखूंगा।

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित लाल गेहूं खाने से कथित मृत्युओं के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किया जाने वाला गेहूं केन्द्रीय पूल से प्राप्त होता है। केन्द्रीय पूल में गेहूं स्थानीय खरीद तथा अन्य देशों से आयात कर के एकत्रित किया जाता है अतः समय समय पर जिस किस्म का गेहूं भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में उपलब्ध होता है वही राशन की दुकानों पर वितरित किया जाता है। पिछले वर्ष स्थानीय खरीद से जो गेहूं एकत्रित हुआ था वह केवल 3,12,173 टन ही था जबकि वर्ष 1974-75 में कुल 4,91,000 टन गेहूं का आवंटन उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्रीय पूल से किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से आयात किये गये गेहूं के वितरित किये जाने

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---]

के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है । आयात किया गया गेहूं सामान्यतया देशी गेहूं की अपेक्षा लाल होता है और वही गेहूं मुख्यतया इस समय सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किया जा रहा है ।

सस्ते गल्ले की दूकानों से दिये जाने वाले लाल रंग के गेहूं के खाने से कोई व्यक्ति हैजा अथवा मृत्यु का शिकार हो गया हो, ऐसी सूचना शासन को नहीं प्राप्त हुई है । माननीय सदस्यों द्वारा लखनऊ में लाल गेहूं खाने से मौतें प्रारम्भ हो जाने की जो बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मैं यह विश्वास दिलाती हूं कि यह आरोप पूर्णतया निराधार है । 22 मार्च, 1975 को लाल गेहूं खाने से कालराग्रस्त होकर एक व्यक्ति बलरामपुर अस्पताल में भर्ती होकर मृत्यु हो जाने की जो सूचना दी गई है उसके सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य यह है कि उस दिन सायंकाल 4.35 बजे बलरामपुर अस्पताल में कन्हई नाम का एक व्यक्ति गेस्ट्रो इन्ट्राइट्स से पीड़ित होने के कारण भर्ती हुआ और 24 मार्च, 1975 को ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया । अतः उसकी मृत्यु होने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इसके अतिरिक्त यह व्यक्ति ग्राम राम भरोसे का पुरवा थाना चिनहट जिला लखनऊ का निवासी है और माननीय सदस्यों को विदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से गेहूं का वितरण नहीं किया जा रहा है । अतः लाल गेहूं खाकर कालराग्रस्त होने और मृत्यु के शिकार होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

माननीय सदस्यों द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाल गेहूं सप्लाई होने के कारण स्थानीय पुलिस लाईन में अनेक सिपाही कालरे के शिकार हो गये । इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर जो वास्तविकता पता चली वह यह है कि स्थानीय पुलिस लाइन में 7 भोजनालय हैं जिनमें लगभग 1500 जवान खाना खाते हैं । इनमें से दो भोजनालयों के 9 सदस्यों को 22 मार्च, 1975 को गेस्ट्रो इन्ट्राइटिस हो जाने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया और उपचार के बाद वे ठीक हो गये । लगभग 1500 जवानों ने लाल गेहूं से बना खाना खाया और उनमें से केवल 9 व्यक्तियों को गेस्ट्रो इन्ट्राइटिस हुआ । स्पष्ट है कि इनकी बीमारी का कारण लाल गेहूं खाना नहीं हो सकता क्योंकि यदि बीमारी इस गेहूं के खाने के कारण होती है तो सभी 1500 जवानों को इसकी शिकायत उत्पन्न होती । कानपुर नगर से भी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि लाल गेहूं खाने से कोई व्यक्ति कालरे का शिकार हुआ ।

उपरोक्त परिस्थिति में सस्ते गल्ले की दुकानों से जो लाल गेहूं दिया जा रहा है उसकी बिक्री बन्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । इस समय न तो प्रदेश में कोई खाद्य संकट है और न जनता के बीच किसी किस्म का आतंक फैला हुआ है । इस सदन के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करती हूं कि शासन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जायगी जिससे जनता का विशेष कर पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों का किसी भी तरह से अहित होने की सम्भावना हो ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इस प्रश्न के उठाने का एक बड़ा सार्वजनिक महत्व था जिसके कारण मुझे उठाना पड़ा । मुझे बड़ा खेद है कि खाद्य मंत्री ने जो बयान दिया है यह बिलकुल असन्तोषजनक है । मेरा तो मतलब यह था कि राशन की दुकानों द्वारा जो गेहूं वितरित कराया जा रहा है उसमें ऐसे तत्व मिले हैं जिसके खाने के बाद आदमी बीमार हो जायगा । अनेक शिकायतें आयी प्रान्त भर से । सरकार के पास तक शिकायतें न पहुंची होंगी । यह साधयम है पहुंचाने का । एक केस मैंने लिया और इसलिये लिया कि उसको यह झुठला नहीं सकती थीं अपने अधिकारियो के उत्तर द्वारा क्योंकि वह अस्पताल में भरती हो गया था । मैंने यह कहा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लाल गेहूं खाने के कारण अनेकों आदमियों का पेट खराब हो गया और लगभग 20 आदमी अस्पताल में भरती हुए और एक आदमी जो भरती हुआ वह मर गया। आपने उस मरे हुए आदमी के बारे में जवाब दिया कि वह चिनहट का रहने वाला यहां आया। वह तो यहां से गेहूं पा ही नहीं सकता। यानी, चिनहट का रहने वाला यदि लखनऊ में रहता है तो वह गेहूं पा नहीं सकता। और जो 1500 आदमियों में से 9 आदमी एक ही दिन भरती हो गये उनको भी गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस थी और उस एक आदमी को भी गैस्ट्रो इन्टाइटिस थी। यह कहती हैं कि अगर कालरा का प्रभाव होता तो सभी 1500 आदमी मर जाते। यानी यह कदम तब उठातीं जब सभी 1500 आदमी मर जाते। वह यह भूल गयीं कि जिसमें रैजिस्टैन्स पावर अधिक होती है वह बीमारी को ओवरपावर कर लेगा और जिसमें रेजिस्टैन्स पावर कम होती है वह बीमारी का शिकार हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि एक ही दिन 9 आदमियों का भरती होना और एक आदमी का मर जाना, ऐसा खयाल है कि कुछ उसमें ऐसे तत्व हैं जैसे कि उसमें लोहा, धतूरा तथा मिट्टी आदि मिली रहती है। मैं दूसरे दिन उस गेहूं का नमूना आपको मान्यवर, ला कर दिखाऊंगा, मगर यह स्पष्ट हो गया कि वह आदमी मरा लाल गेहूं खाने से। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस बात का पता लगाया है कि लाल गेहूं में इस प्रकार के तत्व मिले रहते हैं जिसके कारण यह गड़बड़ी हुई है या जब केन्द्र से आपको गेहूं मिलता है तो आपका अधिकारी क्या यह देख लेता है कि यह गेहूं जो हमें मिल रहा है ठीक है या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

लाल गेहूं तो पूरे प्रदेश में पिछले कई महीनों से सस्ते गल्ले की दूकानों के जरिये वितरित किया जा रहा है, मगर इस तरह की शिकायत हमें नहीं मिली जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि चूंकि हमारे पास गेहूं की कमी थी अतः कमजोर वर्ग को खिलाने के लिये हमें यह गेहूं लेना पड़ा। हमारी सरकार के सामने मजबूरी है, हमें तो लोगों को जिन्दा रखना है और जिन्दा रखने के लिये बाहर से गेहूं मंगाकर लोगों को देना है। जब तक नया गेहूं नहीं आ जाता, यह गेहूं दिया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या मन्त्री जी के पास मेडिकल विभाग की या पुलिस विभाग की कोई रिपोर्ट ऐसी मिली है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि इस लाल गेहूं के खाने से गेस्ट्रो इन्ट्राइटिस की बीमारी हो जाती है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय सदस्य तो वकील हैं, मैं उन्हीं के तर्क से जवाब देना चाहती हूं। उस दिन केवल 9 व्यक्तियों की ही बात सामने आयी कि उनको यह बीमारी हुई, मगर सारे सूबे में यही गेहूं दिया जा रहा है। जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं सभी पर यही गेहूं हम खिला रहे हैं। उनकी संख्या कहीं ज्यादा है.... (व्यवधान) कहीं कोई बीमार नहीं पड़ा। इससे स्पष्ट है कि इस गेहूं से यह बीमारी नहीं हो सकती।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)---

यह तो स्पष्ट है कि देशी गेहूं के मुकाबले में यह लाल गेहूं घटिया किस्म का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस लाल गेहूं का क्या मूल्य देती है ?

श्री अध्यक्ष---

यह अलग प्रश्न है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

मान्यवर, बरेली जिले में 1800 बोरी सड़ा हुआ आटा सस्ते गल्ले की दूकानों से बांटने के लिये दिया गया जिसको जनता ने लेने से इन्कार कर दिया और वह आटा बांटा नहीं गया तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उस आटा को बदलवा दें, इसकी जगह दूसरा आटा दिया नहीं गया। इसके अलावा यह जो लाल गेहूं है इससे पेट के तमाम रोग हो जाते हैं, क्या इसकी जांच मन्त्री जी करवायेंगी? (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

इसी गेहूं को खाकर तो माननीय सदस्य इतने मोटे हो रहे हैं (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश---

यह लाल गेहूं से नहीं ..... (व्यवधान)

तो क्या जो वर्तमान लाल गेहूं है उसकी केमिकल जांच करायी जायगी?

श्री अध्यक्ष---

वह तो इसका जवाब दे चुके हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से जो गेहूं का भंडारण होता है, भंडारण की व्यवस्था अच्छी न होने की वजह से निचली तह में रखा हुआ गेहूं सड़ जाता है और उस सड़े गेहूं को खाने वाले लोगों को ही गेस्ट्रो इंट्राइटिस होता है? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई है और उसकी जांच रिपोर्ट आयी है? साथ ही यह भी बतलावें कि गेस्ट्रो इंट्राइटिस और कालरा में वे क्या अन्तर मानते हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

अध्यक्ष जी, जहां तक सवाल है सड़ा हुआ गेहूं देने का, हमारी तरफ से सड़ा हुआ गेहूं तो दिया नहीं जाता। छानबीन कर साफ सुथरा गेहूं देने की व्यवस्था होती है। और अपने ही सिपाही या पी0 ए0 सी0 के लोगों को हम खराब गेहूं दें, यह तो सरकार कर ही नहीं सकती। अब यह कहना कि जानबूझ कर हम ऐसी चीजें देते हैं, मैं समझता हूं कि यह तथ्य के परे है। यह लाल गेहूं जो बाहर से मंगा कर हम देते हैं, विदेशी गेहूं और देशी गेहूं में अन्तर तो है ही, उसके रंग में फर्क है, यह मैं स्वीकार करती हूं। चूंकि पिछले साल फसल कम थी इसलिये भारत सरकार को बड़े पमाने पर विदेशी गेहूं मंगाना पड़ा। माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं, इसमें कोई तथ्य छिपाने का सवाल नहीं है। भारत सरकार के पास जो नयी फसल आती है, वह जब हमें देती है तो उसे प्राप्त करके ही हम उसका वितरण करते हैं। यह तो केन्द्रीय सरकार ही हमें देती है जिसका हम वितरण करते हैं। लाल गेहूं हो या कुछ भी हो, भारत सरकार बाहर से मंगा कर उसका प्रबन्ध करती है। हम किसी को सड़ा गेहूं नहीं देते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुझे बड़ा दुख है कि हमारे काशीनाथ मिश्र जैसे वरिष्ठ सदस्य भी, जहां जीवन और मरण का प्रश्न हो, खाने पीने के सम्बन्ध में भी मखौल करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैंने मजाक तो नहीं उड़ाया। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह रूसी गेहूं है जिसको पचाने के लिये ताकत चाहिये। रूसी गेहूं को पचाने की ताकत जनसंघ में नहीं है, इसीलिये वे इसका एतराज कर रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ठीक है, गरीबों की जिन्दगी के साथ मखौल करें, यही दिन आ गया है ।

मान्यवर, मेरा ख्याल है कि यह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज चारों तरफ से इस तरह की तमाम शिकायतें आ रही हैं और हमारे बस्ती के डिस्ट्रिक्ट अथारिटी के सम्मुख भी यह बात आयी कि राशन की दुकान से लिये गये आटे में बड़े-बड़े कीड़े मिले । इस तरह से राशन की दूकानों पर ऐसे खाद्य पदार्थ आ जाते हैं जिन्हें उपभोक्ताओं को दिया जाता है । तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब ऐसी कोई चीज पायी जाय खाद्य पदार्थ के अन्दर तो ऐसी चीजों का वितरण न हो और संयोग से किसी के घर ऐसी चीज चली जाय तो वह उसको वापस करके उसका क्रेडिट ले सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अगर सरकार के पास ऐसी सूचना आती है तो उसका वितरण रोक दिया जाता है ।

श्री पुरुषोतम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, सरकार की तरफ से कुछ फैशन सा हो गया है कि हर चीज के लिये गेस्ट्रो-इंट्राइटिस कह दिया जाता है । अभी सितम्बर के महीने में खाद्य पदार्थ में जो गेहूं आया देवरिया जनपद में जिससे 300 व्यक्ति उसे खाकर पीड़ित हो गये तो ज्वाइंट डाइरेक्टर, सी0 एम0 ओ0, हेल्थ सेक्रेटरी श्री उषापति भट्ट, स्वास्थ्य निदेशक और यहां तक कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कौशिक जी, यह गेस्ट्रो इंट्राइटिस था, कालरा नहीं था । श्रीमन्, इसका सेम्पुल लिया गया और जांच की गयी तो वह कालरा निकला, गेस्ट्रो-इन्ट्राइटिस नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरी बात कह रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, जब जांच की गयी तो जर्म्स कालरा के निकले ।

एक सदस्य--

इसका असर आप पर तो नहीं पड़ा । क्या आपने नहीं खाया था । (हंसी)

कुंवर श्रीपाल सिंह--

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदया बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या उनको पता है कि आपका लाल गेहूं जो है वह अमेरिका से आया है । यह अमेरिका का रीजेक्टेड गेहूं है । यह वहां के सुअरों के खिलाने के काम आता है, आम आदमी के काम नहीं आता । अखबारों में भी यह चीज आयी थी। क्या इसका आपको पता है ?

(उत्तर न आने पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इनका कहना है कि अखबारों में यह चीज आयी है, इसकी नोटिस क्या आपको है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं समझती हूं कि किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप खिलाती रहें और कहें कि ऐसा प्रश्न ही नहीं करना चाहिये ।

(शोर)

कुंवर श्रीपाल सिंह---

मान्यवर, उन्होंने एक आपत्तिजनक वाक्य का प्रयोग किया है । क्या सम्मानित व्यक्ति वह है जो अपने देश को भाड़ में झोंक दें ? क्या सम्मानित व्यक्ति वह है जो दूसरे देशों के तलुवे चाटे और अपने यहां आदमियों को गलत खाना खिलाये ? क्या सम्मानित व्यक्ति की यही परिभाषा हो सकती है?

(शोर)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को सुवर की कैटेगरी में रखने के लिये तैयार नहीं हूं ।

(व्यापक शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह कदापि उनका कहना नहीं है कि वह सुअर की कैटेगरी में रख रहे हैं । मैं तो कहना चाहता हूं कि आज गोबर से अनाज निकाल कर, लोग खा रहे हैं । देखें, आज गोबर से अनाज निकाल कर खाना पड़ रहा है ।

(शोर)

वह कहते हैं कि जो वहां के जानवर खाते हैं वह यहां आता है । तो क्या इसकी जानकारी इनको है, उन्होंने यह कहा है ।

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

(शोर)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय नेता जनसंघ और सभी माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि इस प्रश्न को इस रूप में न देखा जाय । राष्ट्रीय संकट है, विशेष परिस्थिति में हमको यह गेहूं मंगाना पड़ा है । इसलिये जनता में इसको वितरित करना पड़ा । इसमें किसी प्रकार के इक्साइटमेन्ट की आवश्यकता नहीं है । सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है और हमारी पूरी कोशिश है कि बाहर से कम से कम गेहूं मंगायें तथा अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से अपनी जनता को खिला सकें । ईश्वर की कृपा है कि अबकी फसल अच्छी हो रही है और हमें आशा है कि अगले कुछ महीनों में जब हमारे पास दूसरा गेहूं आ जायगा तो हमको यह गेहूं खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

(श्री हरीश कुमार गंगवार का नाम पुकारने पर)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मान्यवर, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं ।

श्री कुंवर श्रीपाल सिंह---

मैंने यहां की जनता के लिये सुअर शब्द का प्रयोग नहीं किया । मैंने कहा कि अमेरिका वाले जो इनके दोस्त हैं यहां की जनता को सुअर समझते हैं । मैंने कहा कि यह उन्हीं राष्ट्रों के पीछे हाथ जोड़कर घूम रही हैं ।

(सदन में व्यापक शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र---

कुछ लोग अपने गदहों को मालपुआ खिलाते हैं। (शोर) क्या मालपुआ खिलाना बन्द कर दें ?

(शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कुछ लोग तो कुत्तों को खिलाते हैं। (शोर)

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मान्यवर, यह गेहूं जनता के स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं है। बल्कि खराब है। क्या इसको भविष्य में उत्तर प्रदेश में बांटने के लिये नहीं मंगाया जायगा? क्योंकि जनता में इससे भ्रम फैल रहा है। मान्यवर, क्या सरकार ने कोई योजना बना ली है कि पहले यह लाल गेहूं जनता को खिलायेंगे जिससे वह रोज बीमार पड़ें। बीमारी से मर जायें। और मुल्क की खाद्य समस्या इससे हल हो जायगी। यह गेहूं ठीक नहीं है। इस प्रकार का जो भ्रम फैल रहा है वह समाप्त हो तो क्या इस प्रकार के लाल गेहूं को अब दुबारा इस प्रदेश में न बंटवाया जाय, ऐसी व्यवस्था माननीय मन्त्री जी करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, यदि जनता देश की भूखों मर रही होगी तो हमें लाल गेहूं मंगाना पड़ेगा और हम मंगायेंगे। 10 बार मंगायेंगे। देश की जनता को जिन्दा रखना हमारा पहला कर्त्तव्य है।

आजमगढ़ हाइडिल डिवीजन में कथित भ्रष्टाचार एवं पूरे आजमगढ़ जनपद में बिजली बन्द होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)---

विद्युत अनुरक्षण खंड, आजमगढ़ में 12 जून, 1973 से 6 जुलाई, 1974 तक बार-बार अधिशासी अभियन्ता थोड़े-थोड़े समय पर बदलते रहे जिसके कारण कार्य व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल पा रही थी। गत 7 जुलाई, 1974 को श्री वी0 के0 श्रीवास्तव ने अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य भार ग्रहण किया। उन्होंने आजमगढ़ अनुरक्षण खंड में कार्य के सुधार के लिये कुछ ऐसे ठोस कदम उठाये जिससे वहां के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने सुधार के लिये जो कार्य किये उसके कुछ उदाहरण संलग्न है। इससे उत्पीड़ित कर्मचारियों ने अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध एक आन्दोलन प्रारम्भ किया।

इस प्रकार का कोई दृष्टांत सामने नहीं आया है जिसमें कृषकों की बिजली काटकर उद्योग-पतियों को दी गई हो। वास्तव में बिजली की रोस्टरिंग का कार्यक्रम अधीक्षण अभियन्ता (सिस्टम आपरेशन) लखनऊ द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आजमढ़ जनपद में उसी के अनुसार बिजली दी जा रही है।

श्री राम अधार राय जी का अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध एक प्रश्न 6ठे बृहस्पतिवार के लिये उत्तर के लिये निर्धारित है।

राज्य विद्युत परिषद् जूनियर इंजीनियरिंग संगठन, उत्तर प्रदेश की मंडल शाखा का वार्षिक अधिवेशन दिनांक 16 मार्च, 1975 को आजमगढ़ में हुआ था। इस अधिवेशन में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, आजमगढ़ श्री जी0 पी0

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

निगम को मुख्य अतिथि एवं दूसरे अधिकारियों को अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान मुख्य अतिथि एवं दूसरे अधिकारियों के प्रति शोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया और जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष ने स्वयं ही मुख्य अतिथि को सभा से निकल जाने को कहा। इसके शीघ्र पश्चात् इस संगठन के कार्यकर्त्ताओं ने एक उग्र जुलूस का रूप धारण किया और अधीक्षण अभियन्ता के निवास स्थान पर पहुंच कर रात्रि के 11.30 बजे तक धरना दिया और तरह-तरह के नारे लगाये। यह धरना जिलाधिकारी की सहायता से हटाया गया। उसी रात्रि को इस संगठन ने जिलाधिकारी को 17-3-1975 को प्रातः से हड़ताल पर जाने का नोटिस दे दिया। बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन और यू0 पी0 हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिनिस्टीरियल एसोसियेशन के सदस्यों ने भी उनका साथ दिया। इन संगठनों के प्रतिनिधियों और मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत) की बात-चीत के फलस्वरूप इस हड़ताल को 25 मार्च, 1975 को वापिस लेने की घोषणा की गई।

विद्युत् अनुरक्षण खण्ड, आजमगढ़ के अन्तर्गत बिजली की आपूर्ति का औसत 17-3-1975 से 27-3-1975 तक 115.04 घंटे होना चाहिये था जिसके विरुद्ध कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप बिजली 99.11 घंटे दी जा सकी। आजमगढ़ नगर के कुछ भाग में 21 व 22 मार्च, 1975 के बीच केवल 20 घंटे ही बिजली बंद रही। मुबारकपुर टाउन में 176 घंटे औसत की आपूर्ति के स्थान पर 159 घंटे औसत की आपूर्ति हुई। इस खंड के शेष ग्रामीण क्षेत्र में 116.3 घंटे औसत बिजली मिलनी चाहिये थी जिसके विरुद्ध 99.37 घंटे औसत बिजली मिली जिसके कारण ग्रामीणों को असुविधा हुई। आजमगढ़ शहर में जल आपूर्ति के दो केन्द्र हैं। इनमें से एक केन्द्र बराबर चलता रहा और दूसरा केन्द्र 20 घंटे बिजली की सप्लाई न मिलने के कारण बन्द रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में समय-समय पर जो व्यवधान हुए उसको तुरन्त ही ठीक करने की व्यवस्था की गयी। बिजली की आपूर्ति में व्यवधान के कारण कुछ ग्रामीणों को असुविधा हो जाना स्वाभाविक ही था।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है जूनियर इंजीनियर संगठन एवं अन्य संगठनों ने हड़ताल वापिस लेने की घोषणा कर दी है और स्थिति सामान्य हो चुकी है। फिर भी इन सब अप्रिय घटना चक्र की जांच के लिये राज्य विद्युत परिषद् ने एक सदस्यीय जांच समिति श्री गोपाल दत्त पंत, सदस्य, राज्य विद्युत परिषद् की अध्यक्षता में बना दी है जो आजमगढ़ विद्युत अनुरक्षण खंड से संबंधित विषयों की जांच करेगी।

(1) जो विद्युत उपभोक्ता बिजली की धनराशि को न देने के कारण काट दिये गये थे, उनको बिना देय धनराशि के दिये हुए न जोड़ा जाये। इसी प्रकार विद्युत उपभोक्ता जिन्होंने बिजली की देय धनराशि नहीं दी उनकी बिजली काटने का प्रयत्न किया।

(2) आजमगढ़ खंड के स्टोर्स का पुनर्गठन किया जिसमें सभी स्टोर एक ही जगह किये गये।

(3) कुछ विद्युत उपभोक्ताओं को, जिनको बिजली के बिल नहीं भेजे जा रहे थे, उनको बिल भिजवाने की व्यवस्था ठीक की।

(4) कुछ बिल गलत बनाये जा रहे थे जिससे कि उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी, उनको ठीक ढंग से बनवाने के लिये प्रयत्न किये।

(5) उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि जो बिल की धनराशि प्रतिदिन इकट्ठी होती है, वह तुरन्त जमा की जाये।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के सम्बन्ध में जो वक्तव्य आया है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट पिछले कई महीनों से बना हुआ है, विशेषकर आजमगढ़ में और जिस इंजीनियर श्री श्रीवास्तव की इसमें तारीफ की गई है और यह कहा गया है कि चूंकि आजमगढ़ में इंजीनियर बदलते रहे, इसलिये विद्युत व्यवस्था ठीक नही थी और चूंकि यह आ गये है, इसीलिये व्यवस्था बहुत अच्छी है । इस बारे में मुझे यह कहना है कि मेरे प्रश्न के दो खंड है--पहला खंड यह है कि इन पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं, जो वक्तव्य में नहीं कहा गया और दूसरा खंड यह है कि आजमगढ़ में बिजली 4 दिन बन्द रही है । इन इंजीनियर महोदय की ससुराल आजमगढ़ में ही है और वह सरकारी वकील है और इस वजह से वह सारे भ्रष्टाचार को बाई फोर्स दबाना चाहते हैं । आजमगढ़ में जाने से पहले यह 66--67 में फैजाबाद के सोहावल में रहे और इन पर वहां भी गम्भीर आरोप थे और फर्जी मस्टर रोल भरने का आरोप था और वह मामला आज भी विद्युत बोर्ड में जांच के लिये दबा हुआ है, इस पर कुछ नहीं किया गया। सन् 1968 में यह मऊ नाथ भंजन में सहायक अभियन्ता के पद पर रहे और वहां पर भी इन पर गम्भीर आरोप थे और उनकी जांच गोरखपुर के श्री श्रीपाल सिंह ने की थी और आजमगढ़ में भी इनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं जिनके बारे में कई बार लिखा गया । क्या कारण है कि इस भ्रष्टाचार के बुनियादी सवाल को अपने वक्तव्य में नहीं दिया गया ? क्या मंत्री जी को इन आरोप के बारे में जानकारी है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

किसी के प्रति आरोप लगाना एक बात है, उन आरोपों का साबित होना दूसरी बात है और कार्यवाही करना तीसरी बात है । यहां जो सम्बन्धित बात यह है कि उनकी ससुराल आजमगढ़ में है और उनके श्वसुर एडवोकेट हैं । अगर यह बात सही है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी को वहां रहना नहीं चाहिये और न सरकार रखेगी ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, जैसा कहा गया कि आरोप लगाने से पहले आरोप की जानकारी होनी चाहिये तो जैसा मैंने कहा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को उसकी जानकारी है और अगर यह सही है तो फिर आरोपों की फाइल निकलवायेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, चूंकि इस प्रश्न से यह सम्बन्धित नहीं था कि उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है इसलिये माननीय सदस्य की नोटिस में मैं जानकारी करवा लूंगा। इस वक्त प्रश्न यह है कि अगर उनकी ससुराल आजमगढ़ में है और उनके श्वसुर कोई प्रैक्टिसिंग लाइयर हैं, तो ऐसे अधिकारी को वहां न रखा जाय, लेकिन जहां तक जांच का प्रश्न है वह मैं करवा लूंगा ।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ससुराल का होना क्या जुर्म है या उनकी हरकतें ही खराब हैं । मान्यवर, मैंने भी पत्र भेजे और उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन मेरे पत्र उनको भेज दिये गये और आजमगढ़ के चौराहे पर कर्मचारियों ने वह पत्र दिखाये है लोगों को और कहीं है कि यह पत्र फलां एम0एल0ए0 ने लिखा है । लेकिन यह सही है कि बिना 500 रुपये लिये कनेक्शन नहीं लगाते, गांव में ट्यूबवेल को नहीं दिया जाता और जब शिकायत की जाती है तो यह रवैया होता है । ससुराल हो या ननिहाल हो । यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जफर आजमी]

बुरी बात नहीं है । मैं कहता हूं कि वह बहुत ही भ्रष्टाचारी है और आप उनके खिलाफ मुकम्मल जांच करके कार्यवाही करें ।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कई अधिशासी अभियन्ता आये और उनके जमाने में बिजली की इतनी गड़बड़ी नहीं हुई जितनी इनके समय में हुई और भ्रष्टाचार का जहां तक सम्बन्ध है वह भी इनके समय में बहुत अधिक हुआ ? जहां तक ससुराल का सम्बन्ध है सरकारी वकील इन्द्र बहादुर गौड़ के यहां इनकी ससुराल है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

आज की परिस्थिति को दो साल पहले की परिस्थिति से आंकना मुनासिब बात नहीं है । इतना ही नहीं यह भी देखा गया है कि कभी-कभी जितने यूनियन के पदाधिकारी हैं किसी ईमानदार अधिकारी को वहां नहीं रहने देना चाहते क्योंकि उनका भी स्वार्थ उसमें निहित होता है . . .

श्री राम अधार---

सवाल यह है कि कितनी बिजली मिली ?

श्री अध्यक्ष---

आप जवाब ही देने नहीं देना चाहते तो जवाब कैसे दिया जाय ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

रोस्टरिंग का कार्यक्रम लखनऊ से होता है कि इतनी बिजली फलां समय से फलां समय तक मिलेगी । जब तक हड़ताल नहीं हुई थी उससे पहले काफी बिजली मिलती थी यानी जब तक उनका पूरा कोआपरेशन मिला बिजली पूरी मिलती थी लेकिन यह भी सही है कि व्यक्तिगत स्वार्थों के वशीभूत होने के कारण यह भी होने लगा कि पैसा ठीक समय पर जमा नहीं होता, बिजली का बिल ठीक नहीं बनता और अधिकारी जो सख्त कार्यवाही करना चाहता है उसके खिलाफ यूनियनबाजी का नारा लगा कर उसे रहने नहीं देना चाहते । यहां भी बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की नोटिस दी तो अधिकारी को भ्रष्टाचारी मान लिया ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

हड़ताल के दिनों में जो नागरिकों तथा किसानों को बिजली कम मिली और उससे खेती में नुकसान हुआ तो क्या सरकार की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति की जायगी और उपभोक्ताओं से अतिरिक्त किराया नहीं लिया जायगा ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

हड़ताल के दिनों में जो नागरिकों तथा किसानों को बिजली कम मिली तो उससे जो खेती को नुकसान हुआ उसके लिये भी सरकार उत्तरदायी नहीं हो सकती । जहां पर ट्रेड यूनियनिज्म के अन्तर्गत फंडामेंटल राइट हो स्ट्राइक करने का तो स्ट्राइक के दौरान सरकार क्षतिपूर्ति हेतु धन देने लगे तो पूरा धन क्या उसका एक अंश भी नहीं दे सकती । हां, जहां तक ट्यूबवेल को अधिक से अधिक बिजली देने की बात है तो बुवाई के समय सरकार के आदेश है कि काश्तकारों को अधिक से अधिक बिजली दी जाय ताकि उनके खेतों को पानी मिल सके ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

12 जून, 1976 से 6 जुलाई, 1976 तक कई अधिशासी अभियन्ता रहे जिसके कारण व्यवस्था सुचारू रूप से नही चल सकी तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस पीरियड में कितने

लोग बदले और क्यों बदले ? क्या वे इसलिये बदले कि वे ठीक कार्य नहीं करते ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कदम उठाये गये ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इस बीच मे मेरी जहां तक सूचना है, कि तीन व्यक्ति बदले गये है और कुछ ऐसी परिस्थितयां थीं कि जिनसे यह तीनों व्यक्ति स्वतः ही नहीं रहना चाहते थे। कुछ ऐसी परिस्थितयां थीं पोलिटिकल प्रेसर तो नहीं कहूंगा लेकिन जैसे रोजमर्रा होता है कि यह आदमी ठीक नही है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे कल ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में यहां सवाल आया। सब ने कहा कि हम उसको कैसे रखे। सबने इनकार कर दिया। तो क्या हम उसे उत्तर प्रदेश के बाहर भेज देंगे। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि सीतापुर मंत्री जी के जिले में भेज दीजिये तो यह सारी परिस्थितयां है। माधो बाबू जब कोई बात किसी अधिकारी के बारे कहते हैं तो खुद मुझको सोचना पड़ता है कि उस बात को मैं कैसे अस्वीकार करूं।

श्री राम अधार--

मान्यवर, यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिये बहुत गम्भीर बात है। माननीय पाण्डेय जी यह नहीं समझे कि आजमगढ़ ही देवरिया है। आपके ही यहां के माननीय सदस्य आपके द्वारा विद्युत विभाग के इन्जीनियर से मार खाते हैं और आप उसको सपोर्ट करते हैं। यह मै मानता हूं कि वे भ्रष्टाचारी थे। तो आपकी लाइन ही ऐसी है कि आप ऐसे लोगो को सपोर्ट करें। मेरा कहना नो यह है कि उनकी इन्द्रबहादुर गौड़ के यहां ससुराल है। उनकी जीप का वे इस्तेमाल करते हैं। चावल, गेहूं आदि ले जाते हैं। इस तरह से सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो मै यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कब तक उनका स्थानान्तरण कर देंगे कि जैसे कि उन्होंने पूर्व घोषणा की थी।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर मैंने एक चीज कहीं अगर उनकी ससुराल आजमगढ़ में है तो कोई सरकार उनको वहां नही रोकेगी। एक बात उन्होने यह कही कि हम बेइमान इन्जीनियर को मुखालफत करते हैं और ये सपोर्ट करते हैं तो मै इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि जितने ईमानदार हैं वो सब आजमगढ़ भेज दिये जांय (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

जो भ्रष्ट है वो ससुराल में भ्रष्ट रहेंगे और ननिहाल में भी भ्रष्ट रहेंगे।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

मान्यवर ,माननीय राम अधार जी ने कहा है कि ऐसे अफसरों की बदली होती है और उधर के बैठने वाले ऐसे ही लोग हैं। उन्होने कहा कि उधर के लोग पैसा लेकर दलाली करते हैं। वे स्पष्ट नाम बतावें कि कौन ऐसे लोग है। इस प्रकार की बाते मैं भी जानता हूं कि आप कैसे हैं। हम हाउस में किसी पर लांछन नहीं लगाते हैं। वे स्पष्ट बतावें कि ऐसे कौन लोग हैं जो दलाली करते है? नहीं तो वे अपने शब्दों को वापस लें नहीं तो मैं विशेषाधिकार का सवाल उठाता हूं।

श्री राम अधार--

यह बड़े दुख की बात है कि पाण्डेय जी जैसे विद्वान आदमी सदन में मौजूद रहें लेकिन उनका प्रेजेन्स आफ माइन्ड ठीक नहीं है। मैंने तो माननीय परिवहन मंत्री जी के लिये कहा है आपके लिये नहीं कहा है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

आप उनसे कहें कि अपने शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष--

जब वे कहते हैं कि मैंने नहीं कहा तब यह चीज समाप्त हो जाती है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय--

हम भी जानते हैं कि कौन दलाली करता है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है अच्छा होता अगर उसे 51 में दिया होता आपके कहने पर यह मैंने दिया है। इसलिये मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये दिया है। यह बाराबंकी का किस्सा है वहां पर मेडिकल आफिसर के घेराव का किस्सा है। मान्यवर, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिये वहां के डी० सी० सी० के प्रेजीडेन्ट ने कहा मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष:--

आपको जो कहना है वह कह सकते हैं आप जानते हैं कि पढ़ा नहीं जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न से सम्बन्ध रखता है। इसमें किस्सा यह है कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी में वार्डबाय श्री वासुदेव का ट्रान्सफर रुकवाना चाहते थे। मेडिकल आफिसर के ऊपर नाजायज तौर पर दबाव डाला गया और यह कहा गया कि अगर नहीं किया गया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा और उनका घेराव किया गया। उन्होंने सुपरिन्टेन्डेन्ट और मजिस्ट्रेट को लिखा और बड़ी मुश्किल से घंटों बाद कांग्रेस के लोगों ने छोड़ा। एक व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा उन्होंने भी घेराव में भाग लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब रूलिंग दल जो है ऐसा करे तो फिर प्रशासन की स्थिति क्या होगी। इसलिये मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये यह दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी इच्छा है कि शासन द्वारा स्थिति स्पष्ट की जाय। तो ठीक है मैं स्थिति स्पष्ट करने हेतु शासन को भेज देता हूं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

अध्यक्ष महोदय, यह बहराइच जिले के संबंध में है...

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में एक पहले स्वीकार किया है बहराइच का भी इसमें जोड़ दिया जायगा। (व्यवधान) जो पहले से स्वीकार है हेरफेर के साथ आप उस पर बोल लें (व्यवधान) बहराइच जिला उत्तर प्रदेश में ही है वह कहीं बाहर का नहीं है। तब आप बोल लें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, वह ओले का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

यह भी भेज दिया जायगा उसी के साथ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

हमने जो प्रश्न उठाया है...

श्री अध्यक्ष--

आपको उस वक्त मौका देंगे...

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उसमें मान्यवर, ओले के अलावा भुखमरी का है, एक अंग और है...

श्री अध्यक्ष--

तब तो इसे खारिज करते हैं...

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

उसमें दो प्रश्न हैं...

श्री अध्यक्ष--

ओला वृष्टि के बारे में एक स्वीकार किया है। आपका भी उसमें जोड़ दिया जायगा। बहराइच के बारे में आप बोल सकेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, जब कोई मजिस्ट्रेट किसी का चालान करता है और कहता है कि तुमको 5 रुपया जुर्माना किया जाता है और वह कहता है हुजूर यह ज्यादा है तो मजिस्ट्रेट कहता है 8 रुपया किया जाता है और फिर जब वह कहता है कि हुजूर बहुत ज्यादा है इस पर मजिस्ट्रेट कहता है तुम पर 10 रुपया जुर्माना किया जाता है। तो मान्यवर, आप अगर ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह कचहरी का कोई मामला थोड़े है।

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, अगर सरकार मामूली उदारता बरते तो मामला हल हो जायगा। मान्यवर, मेरी जानकारी यह है कि शाही खानदान की भूतपूर्व बेगम अवध ओमती बिलायत महल आज कल दिल्ली स्टेशन में सेकिंड क्लास वेटिंग रूम में 4 महीने से रुकी हुई हैं। जिस वक्त देश का बटवारा हुआ उस वक्त उनके पति पाकिस्तान चले गये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर थे। और वहां पर वह डिफेंस सेक्रेटरी बन गये। लेकिन जब पाकिस्तान में लियाकत खां की हत्या कर दी गई तो वह हिन्दुस्तान आये और पं० जवाहर लाल नेहरू से मिले और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तीन सौ रुपये का उनको वजीफा मंजूर किया और श्रीनगर में एक बंगला दे दिया। लेकिन श्रीनगर में 1971 में उनका मकान जला दिया तो यह लोग लखनऊ आना चाहते हैं। इस सिलसिले में वह केन्द्रीय नेताओं से मिल चुके हैं, प्रधान मंत्री से मिल चुके हैं। जब यह बात हमारी जानकारी में आई तो हमारा सभी का और सरकार का फर्ज है कि हमारे प्रदेश को जो सम्मानित नागरिक हैं वह बेगम हजरत महल की रिश्तेदार हैं। उनके लिये हमारी सूबे की सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिये। उनके बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई हैं। उनका लड़का क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। मंत्रिमंडल के बहुत से सदस्य यहां मौजूद हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि वह यहां आश्वासन दें इस परिवार को उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में बसाने का विशेषकर प्रयत्न किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष---

अब शासन का ध्यान आकर्षित हो गया है। इस पर वह बता देंगे। दूसरे दिन कह देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

यहां चार मंत्री बैठे हुए हैं लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है कि सही काम करने के लिये वह कोई आश्वासन दे सकें। यह सरकार कैसे चल पायेगी। यह तो श्रीमन्, आपके (अध्यक्ष) बलबूते पर चल रही है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति जो परेशान हैं, पार्लियामेन्ट में भी जिसका जिक्र आ चुका है, जो बात सही है उसके बारे में क्यों न उठकर कह दें? इस समय सामुदायिक विकास मंत्री, परिवहन मंत्री, वन मंत्री और आबकारी मंत्री सभी यहां बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष---

आपने एक ध्यान आकर्षण किया है और उदारता की भी आपने अपेक्षा की है। इसको उनके पास भेजे दे रहा हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद ---

(मंत्री द्वारा उत्तर न आने पर) तब तो हम कहेंगे कि इस पर वह वक्तव्य दे दें।

न्याय मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)---

मान्यवर, मैं मलिक जी से यही आशा करता था कि उसकी जानकारी, जैसी कि वह समय-समय पर सूचना दे रहे हैं, देते तो मैं उसकी छानबीन करके देख लेता कि इस सम्बन्ध में नियम क्या हैं और सरकार क्या कर सकेगी, हम कहां तक सक्षम हैं। अभी तक मैंने उनकी कोई जानकारी नहीं की, कोई जानकारी नहीं मिली है। वह मेरे पास भेज दें, तो इतना बताये देता हूं कि स्वभावतया जहां भी किसी व्यक्ति ने इस देश या प्रदेश के हित में काम किया है या हमारी ऐक्टिव सर्विस में रहा हो, उसकी हम हर सहायता करते हैं। जैसा कि आपने देखा घमंडी सिंह आर्य के परिवार के लिये उनकी स्त्री और बच्चों के साथ इस सरकार ने किया है, उन्हें बिना किराये का मकान दिया, एक डी० आई० जी० का खाली कराके दिया। इसलिये मैं परिस्थिति देख लूं, तो जो सम्भव होगा करूंगा। वैसे भी मैं मलिक जी की बात को काटता नहीं हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

यही कह दें कि नियम में आता है तो अवश्य सहायता की जायेगी। उन्हें बड़ी परेशानी है। आपने बंगाल से आये हुओं को बसाया है। नियम कौन से देखे जायेंगे? बंगाल, पश्चिमी बंगाल से आये सभी को बसाया, इनको भी बसाने का प्रश्न है। अपने घर में यह रहने आये हैं, आप उनको रहने देंगे या नहीं अच्छी तरह से जिंदगी बसर करने देंगे या नहीं?

श्री सत्यपाल मलिक---

20 मार्च के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह खबर छपी है। हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि उसके सूचना विभाग द्वारा उसे यह खबर पहले ही मिल जानी चाहिये थी। लेकिन जैसा मंत्री जी ने कहा अब सारे डिटेल्स मैं मंत्री जी के पास भेज दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि चाहे इधर के हों या उधर के, सभी इस सदन के सम्मानित सदस्यों को इस बात की गम्भीर चिन्ता होगी कि एक ऐसा वक्त आये कि कभी इस देश की और प्रदेश की पुलिस और फौज विद्रोह कर के इस देश में जनतन्त्र को मिटा दे। आज जयप्रकाश जी ने देश के सामने एक बड़ी खतरनाक बात कहकर एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने घोषणा की है कि जब वक्त आयेगा तो वह फौज और पुलिस का भी विद्रोह करने के लिये आह्वान करेंगे। यदि ऐसा है तो...

(व्यवधान)

("यह तो ठीक है", "यह तो ठीक है" की आवाजें)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

यह (श्री गर्ग) विद्रोह हमेशा करते रहें हैं, आज बड़े भइया का रिश्ता जुड़ गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

मैं आपसे यही चाहता हूं, मैं जानता हूं कि लोग यही चाहते हैं कि आज सदन में इस बात पर चर्चा होनी चाहिये कि कौन लोग फासिज्म को लाने के लिये, जनतन्त्र को मिटाने के लिये फौजों का आवाहन कर रहे हैं, पुलिस का आवाहन कर रहें हैं जिससे लोग गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकें कि कौन फासिज्म को मिटाना चाहता है और कौन फासिज्म को लाना चाहता है ।

श्री मधकर दिघे---

अगर यही थ्योरी है कि फौज का आह्वान करना गलत है तो लेनिन से लेकर न जाने कौन कौन आपकी थ्योरी में शामिल हो जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

सदन में बहस होनी चाहिये ।

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)---

इस पर चर्चा का मौका दें । यह बड़ा गम्भीर विषय है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)---

जय प्रकाश जी ने इनके भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ एक आह्वान किया है जन विद्रोह के लिये । इनको खतरा है । इनकी कुर्सी पर संकट पैदा हो रहा है । इसलिये आह्वान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश, पूरे देश के बेरोजगार, गरीब लोग यह सत्ताधारी दल जो लूट-खसोट करके शासन कर रहा है, (शोर) इनको गद्दी से हटाने के लिये जुटे हुए हैं । तो परेशानी सत्ताधारी दल के लोगों को होगी ही । परेशानी इस बात की है । यह जितना लूट सकें लूटें, जितना अर्जित कर सकें करें, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक यही इनका काम है ।

श्री अध्यक्ष---

कार्य-स्थगन सभी अस्वीकार हुये । वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक पर मतदान । माननीय सामुदायिक विकास मंत्री । आगे चलिये । वहो नहीं ।

श्री मधुकर दिघे---

मैंने नियम 103 में.....

श्री अध्यक्ष---

(श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग के न बैठने पर) कार्य-स्थगन लिया जाता है ऐसे विषय पर, जिसका सरकार से सीधा सम्बन्ध हो । इससे क्या मतलब ? यानी माननीय जयप्रकाश के विरुद्ध कार्य-स्थगन (एडजर्नमेंट मोशन) स्वीकार किया जायगा ?

श्री धर्मधीर (जिला इलाहाबाद)---

इसको चर्चा के विषय के अन्तर्गत स्वीकार कीजिये ।

(शोर)

श्री आगा जैदी---

आप चर्चा का मौका दीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जय प्रकाश का भय दिखा कर सरकार में शामिल होना चाहते हैं। तो यह करवा दीजिये।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 45--सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या 66-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण तथा अनुदान संख्या 77--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,37,49,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,84,65,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1876 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैंने तीन अनुदान सदन के सामने उपस्थित किये हैं। इनका सीधा संबंध सामुदायिक विकास और पंचायती राज्य संस्थाओं से है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास कार्यों का संबंध इन्हीं योजनाओं से है और इनके ही द्वारा विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जाते हैं। कृषि प्रसार कार्य, निजी लघु सिंचाई कार्य, पशु पालन, सहकारिता, शिक्षा तथा पौष्टिक आहार आदि योजनायें विकास खण्डों के द्वारा चलाई जाती हैं। हमारे प्रदेश में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, हरिजन गृह निर्माण तथा पंचायत घरों के निर्माण आदि के कार्य सामुदायिक विकास के द्वारा ही किये जाते हैं। हमारे प्रदेश में 875 विकास खण्ड हैं जिनमें से 76 पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और 799 मैदानी क्षेत्रों में हैं।

विभाग ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें पिछले वर्ष के कार्यों का उल्लेख किया गया है और इस साल के लिये जो योजनायें प्रस्तावित हैं उनका भी उल्लेख है। यह पुस्तक माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई है। इससे माननीय सदस्यों को इस विभाग की प्रवृत्तियों से पूरी-पूरी जानकारी हो गई है। मैं सदस्यों का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ चीजों की चर्चा जरूर कर देना चाहता हूं।

व्यावहारिक पौष्टिक आहार योजना इस प्रदेश में गत वर्ष 70 विकास खण्डों में चलाई गई और इस साल 81 में चलाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत हम स्कूलों में, पाठशालाओं

में बाटिका बनाने का काम, कुक्कुट इकाइयों की स्थापना, सहयोगी संगठनों को साज-सज्जा देना, मत्स्य पालन के लिये तालाबों का सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक आहार की ट्रेनिंग देना आदि । इसी के साथ-साथ एक विशेष पौष्टिक आहार योजना गतवर्ष से शुरू की गई चार विकास खण्डों में जो इस साल 8 में शुरू की जायेगी । इस योजना के द्वारा हम किसी भी विकास खण्ड में 20 गांव लेते हैं । इसके द्वारा करीब 1500 व्यक्तियों को लाभ होता है । गर्भवती तथा जो धात्री महिलायें हैं और जो छोटे 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है । इससे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिये यह किया जाता है ।

मान्यवर, इसी योजना के अन्तर्गत यह पौष्टिक आहार प्रदेश के 81 विकास खण्डों में इस वर्ष से कायम किये जायेंगे । उसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुछ विकास खण्ड इस पौष्टिक आहार योजना के लिये चयन किये गये हैं, उन्हीं विकास खंडों में यह कार्य चलेगा । मान्यवर, यह योजना पेय जल की योजना है । हमारे प्रदेश में विशेष रूप से हरिजन बस्तियों में पेय जल की अधिक कमी है । एक बार सर्वेक्षण किया गया था, उस सर्वेक्षण के आधार पर यह मालूम किया था कि कितनी बस्तियां ऐसी हैं, जिनमें पानी पीने की कमी है । 90 हजार ऐसी बस्तियां पाई गईं जिनमें पानी पीने की कमी थी । गत वर्ष तक 50,177 कुएं पानी पीने के लिये बनाये जा चुके हैं । मान्यवर, इस वर्ष 15 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और पांचवीं योजना में इस मद में कुल 5 करोड़ रुपये रखे गये हैं । पांच करोड़ रुपये को खर्च करने के बाद भी 8 हजार 366 बस्तियां ऐसी बाकी बची रहेंगी जिसमें पीने के पानी के कुएं की आवश्यकता पड़ेगी । अगर हमें 3 करोड़ रुपये उपलब्ध हो जायं तो हम उन बस्तियों को भी पानी पीने के लिये कुयें दे सकते हैं, परन्तु राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण, संभव नहीं है, फिर भी इन ग्रामों में पानी पीने के लिये एक योजना चालू की गई है ।

एक लघु सिंचाई योजना है इससे अन्न उत्पादन में बहुत बड़ी मदद मिलती है । इस वर्ष 5 लाख 63 हजार हेक्टेयर में सिंचन क्षमता पैदा करनी है और इसके लिये यह कार्यक्रम बनाया गया है कि 24,080 कूप, 14 रहट, 50,500 निजी नलकूप निर्माण कराये जायं । इस कार्यक्रम में लगभग 34 करोड़ रुपये भूमि विकास बैंक के द्वारा और 6 करोड़ रु0 वाणिज्य के द्वारा व्यय होने की संभावना है । मान्यवर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा हमने कायम किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे-छोटे निर्माण के काम हैं, इस सेवा के द्वारा कराते रहते हैं और जिनका कार्य है कि विकास खण्डों के भवनों का निर्माण करना, पशु जलाशयों का निर्माण करना, हरिजन आवासों का निर्माण करना और सम्पर्क मार्ग का निर्माण करना । भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवास स्तर का चयन किया गया है, उनके भी बनाने का कार्यक्रम इसके सुपुर्द किया गया है । इस विभाग द्वारा 4,035 हरिजन आवास निर्माण किये गये । 1,775 और आवास निर्मित होने की सम्भावना है ।

मान्यवर, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हमारे प्रदेश में 21 हैं । इन सेवा केन्द्रों में जो लोग विकास कार्यों के लिये लगे हुये हैं उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके जो नये-नये विकास के कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिये उनको प्रशिक्षित किया जाता है । मान्यवर, 9 प्रशिक्षण केन्द्र ऐसे हैं जिनमें कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और हजारों की तादाद में कृषक महिलायें और कृषक पुरुष आकर प्रशिक्षण लेते हैं । एक प्रशिक्षण केन्द्र हल्द्वानी में है जिसको हम जन विद्यापीठ भी कहते हैं । इसके अतिरिक्त जो लोग छोटे-छोटे व्यवसाय करते हैं जैसे धोबी का काम, हलवायी का काम और इसी तरह के और जो काम हैं जैसे नाई का काम उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह आधुनिक ढंग से काम सीख सकें और अपनी जीविका चला सकें ।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

मान्यवर, इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर 5 दिवसीय शिक्षण का कार्य-क्रम किसानों के लिये चलता है। 5 दिन तक वह प्रशिक्षण केन्द्र में आकर प्रशिक्षण लेते हैं। तो एक बहुत ही उपयोगी योजना है।

मान्यवर, एक योजना सूखा उन्मुख क्षेत्र की है। हमारे प्रदेश में 6 जिले मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर और जालौन ऐसे हैं जहां पर सूखे की स्थिति बराबर बनी रहती है। इस कार्यक्रम में 50 प्रतिशत धन भारत सरकार देती है और शेष 50 प्रतिशत प्रदेशीय सरकार को वहन करना पड़ता है। 5वीं योजना में 28 करोड़ रुपया व्यय होने वाला है। इस वर्ष 4 करोड़ 60 लाख रुपया व्यय करने का विचार है। इसके अन्तर्गत सिंचाई, भू-संरक्षण, पशुपालन आदि का काम है।

मान्यवर, बलिया जिले में 2 विकास खंड—एक बांसडीह और दूसरा रेवती है। यहां पर ग्रामीण रोजगार की गहन योजना 1972 में प्रारम्भ की गयी थी। इसके द्वारा बेरोजगारों को रोजी देने की व्यवस्था की गयी और 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोगों को रोजी दी जा रही है। इसके अन्तर्गत सड़कों का निर्माण संपर्क मार्गों का निर्माण आता है। यह योजना अक्तूबर, 1975 तक चलेगी। इसके लिये 11 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, पंचायतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इस प्रदेश में बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बावजूद इसके कि पंचायतों के पास आय के साधनों का बहुत अभाव है फिर भी जो काम संभव हो सकता है वह कर रही हैं। गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में भी पंचायतें प्रमुख काम कर रही हैं और इसलिये पंचायत उद्योगों को प्रारम्भ किया है। गांव की आवश्यकता की चीजें गांव में ही तैयार की जायें और उनकी वहां पर खपत हो जाये। सरकारी अधिकारी जो गांव में काम करते हैं उनको भी इससे सुविधा हो रही है कि उनको उनकी आवश्यकता की चीजें वहीं पर उपलब्ध हो जाती हैं। सरकार ने निर्णय लिया कि इनको कच्चा माल प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किया जाये। इनको रेट कान्ट्रैक्ट या टेन्डर मांगने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, खुशी की बात है कि गत वर्ष फरवरी तक 65 लाख रुपये का माल इन पंचायत उद्योगों ने तैयार किया है और 60 लाख रुपये का माल बिका। शासन ने यह योजना चलायी है कि टाट पट्टी, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड तथा लोहे की अलमारियां आदि चीजें तैयार हों जिनका प्रयोग बेसिक स्कूलों में किया जा सके। इस तरह से पंचायती उद्योग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने एक पंचायती उद्योग वित्त निगम की स्थापना की है जिससे पंचायतें, जिनके पास पैसे की कमी है वे वित्त निगम से पैसा लेकर के पंचायती उद्योग को चला सकेंगी। इस निगम के द्वारा इस प्रदेश में इस समय 287 पंचायती उद्योग चल रहे हैं और हमारा कार्यक्रम है कि इस वर्ष 875 विकास खंडों में पंचायती उद्योगों को प्रारम्भ करा दें। इससे ग्रामीण क्षेत्र में जहां आर्थिक स्थिति पंचायतों की सुधरेगी वहां साथ ही साथ जो बेरोजगार लोग हैं उनको काम करने का अवसर मिलेगा और रोजी मिलेगी।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि गत वर्ष हमने विकास खंडों में पंचायत सम्मेलनों का आयोजन किया और वह सम्मेलन काफी कामयाब रहे। इसमें यह बताया गया कि करीब एक लाख 84 हजार व्यक्तियों ने भाग लिया और उसके बाद हमने जिला स्तर पर पंचायत सम्मेलनों का आयोजन किया जिसमें 50 हजार आदमियों ने भाग लिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन सम्मेलनों में ग्राम सभाओं ने भाग लिया उनको पुरस्कार देने की भी व्यवस्था की गयी है। उनमें जो सबसे उत्तम ग्राम सभा है उसको 3 हजार रुपया जो दूसरे नम्बर पर ग्राम सभा है उसको 1 हजार रुपया और जो तीसरे नम्बर पर ग्राम सभा आयी उसको 4 सौ रुपये देने की व्यवस्था है और यह पुरस्कार दे भी दिया गया है।

इस वर्ष भी यह योजना वैसी ही चालू रहेगी।

मान्यवर, प्रादेशिक विकास दल इस प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। पहले जब विकास की स्थापना हुई थी तो उस समय इसके पास दूसरा काम था यानी सुरक्षा का काम था। पुलिस के बाद यह विभाग प्रादेशिक सुरक्षा दल था और इसके बाद हमने इसको सामुदायिक विकास के कामों में लगाया और अब यह सामुदायिक विकास के कार्यों को कर रहा है। इसका काम है युवक मंगल दलों का संगठन, युवक सम्मेलनों का आयोजन, उनसे खेलकूद करा ा, या इस तरह के सारे कार्य इस दल के द्वारा होते हैं। इस दल के सदस्यों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिये गतवर्ष जनशक्ति संचालन योजना को भी अपनाया गया है और इस योजना के द्वारा हम लगभग इस प्रदेश के जिलों में जनशक्ति को अपना कर निम ण का काम करायेंगे, यद्यपि पैसे का अभाव है, और इसके लिये बजट में कोई प्राविधान भी नहीं किया है परन्तु विभिन्न विभाग जिनको निर्माण के काम करने होते हैं वह इनको इंगित करेंगे और हमारे निदेशालय को बतायेंगे और वह धन इस प्रादेशिक विकास दल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा वह देहातों में निर्माण का काम करेंगे। हमारा विश्वास है कि इस वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये का काम जनशक्ति योजना के द्वारा, जनशक्ति संचालन योजना के द्वारा पूरा करेंगे।

मान्यवर यह कुछ बातें थीं जिनको मैंने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।

(इस समय 1 बजकर 36 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सदस्यगण इस अनुदान पर विचार करते वक्त इन सब बातों पर भी विचार करेंगे जिससे हम अगले वर्ष इन कार्यों को करने में सफल हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे माननीय सदस्य इन अनुदानों को स्वीकृत कराने में हमारी सहायता करेंगे। धन्यवाद।

(श्रीराम प्रकाश त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने के उपरांत)

श्री उपाध्यक्ष---

आप कितना समय लेंगे ?

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

श्रीमन्, कम से कम मुझे आधा घंटा दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी ने 20 मिनट लिये हैं। आप भी 20 मिनट ले लें ? आपको दुबारा भी बोलने का मौका होगा, यदि आवश्यकता हुई तो उस समय देखा जायगा।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45-सामुदायिक विकास के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--77--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी ने अपने विभाग के सम्बन्ध में कुछ खास-खास बातें बताईं और उन्होंने यह भी कहा कि उनका विभाग बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है, ग्राम पंचायतें बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं और न्याय पंचायतें बड़ा अच्छा कार्य कर रही हैं । मान्यवर, वास्तव में, मैं इसे नियोजन ही नहीं मानता हूं । वह नियोजन और वह विकास की योजना, जिसमें प्रदेश की जनता अपने को हिस्सेदार न समझ सके, वह नियोजन, नियोजन नहीं बल्कि उसे अनियोजित नियोजन (अनप्लान्ड प्लानिंग) ही मैं मानता हूं । प्रदेश की जनता की तरक्की के लिये जो नियोजन किया जा रहा है, वह सही प्लानिंग नहीं है । इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं । आपका नियोजन पूरी तरह से असफल हुआ है । प्रदेश की जनता के विकास के लिये आपने जो नियोजन किया था, उससे जनता का स्तर नीचे गिरता गया । इसके कुछ तथ्य और आंकड़े मैं ही नहीं कह रहा हूं लेकिन अपने प्रदेश में जो भी अभी तक मुख्य मन्त्री आये, उनके बयान पेश करना चाहता हूं । सरकार की यह परम्परा रही है कि जो भी मुख्य मन्त्री आया उसने अपने नियोजन की पूरी असफलता को पूर्व के आये हुए मुख्य मंत्री के सिर पर फोड़ने की कोशिश की वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा उसके प्रमाण में मैं ग्वालियर में छपी एक खबर को पेश करना चाहता हूं । यह अखबार 17 सितम्बर, 1974 का है जिसमें स्वीकार किया है बड़े हेडिंग में उन्होंने कहा है :

"Future planning must rectify past errors: CM"

उन्होंने कहा है कि अब तक की जो योजना हुई है, उसमें अब तक की की गई भूलों का सुधार किया जायगा और उसमें यह भी लिखा है कि अब तक जो नियोजन होता रहा है, वह गलत होता रहा । इसमें साफ लिखा हुआ है कि :—

"Uttar pradesh has to undo the mistakes of the past", observed Mr. Hemvati Nandan Bahuguna, Chief Minister of U.P. while expressing his views on the backwardness of the State.

In an exhaustive exclusive interview to a PAI team of special correspondents, Mr. Bahuguna said, "No proper attention was paid to the problem of the State in the past. There were no doubt a large number of political agitators in Uttar Pradesh but no good administrators."

साफ-साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि अभी तक जो मुख्य मन्त्री आये वह अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे इसलिये नियोजन फेल हुआ । इस नियोजन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति कहां पहुंची इसे मैं बहुत संक्षेप में आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । इस नियोजन में क्या करिश्मा करके दिखाया यह सदन देखने की कोशिश करे । हमारे ग्रामों में 80 प्रतिशत जनता रहती है और 20 प्रतिशत शहरों में रहती है ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिये यह नियोजन किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। उस समय हमारे प्रदेश में गांव वालों की आमदनी शहर वालों की आमदनी का 27 प्रतिशत थी । यानी अगर शहर की आमदनी 100 रुपये थी तो गांव वाले की 27 रुपये थी । दूसरी योजना चली तो गांव वालों की आमदनी शहर वालों की आमदनी का 24 प्रतिशत रह गयी । तीसरी योजना 1961 से 1966 तक चली और उसने अपना चमत्कार दिखाया तो गांव वालों की आमदनी शहर वालों की आमदनी का 20 प्रतिशत रह गयी और चौथी योजना 1966 से 1971

तक रही। उसका परिणाम यह हुआ कि गांव वालों की आमदनी शहर वालों की आमदनी का 18 प्रतिशत रह गयी। और 72-73 के नियोजन का परिणाम यह है कि यह आमदनी 16.7 प्रतिशत रह गयी।

इससे साफ-साफ एक तस्वीर बनती है कि जिस समय हमने नियोजन शुरू किया था उस समय शहर वालों की आमदनी की अपेक्षा गांव वालों की आमदनी का परसेन्टेज एक-चौथाई था और नियोजन का परिणाम यह निकला कि वह एक-चौथाई के बजाय 1/6 पर आ गयी है। इस परिणाम को देखने से मुझे तो एक कहानी याद आती है। गांव के एक साधारण आदमी की ससुराल पड़ोस के एक गांव के एक बड़े खानदान में थी। जब वह आदमी अपनी ससुराल में खाना खाने बैठा तो उसकी धर्मपत्नी भी पास में बैठी थी। वह समझदार थी, बड़े खानदान की लड़की थी। जब वह आदमी खाना खाने लगा तो एक-एक रोटी का एक-एक निवाला करना उसने शुरू कर दिया। उसकी धर्मपत्नी बड़ी लज्जा अनुभव कर रही थी। उसने संकेत दिया, दो अंगुलियां उठाई। उसका मतलब यह था कि एक रोटी का एक निवाला न करके एक रोटी के दो टुकड़े करके खाओ। वह गांव का भोला-भाला आदमी समझ नहीं पाया, उसने दो रोटी एक साथ खाना शुरू कर दिया। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि इससे तो अच्छा जैसे पहले था वैसा ही हो जाय। ठीक यही हाल हमारे नियोजन का है। इससे अच्छे तो हम तब थे 46-47 में जब देहात के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिये कोई चिन्ता नहीं कर रहा था।

हमारे वह गांव जिनके रम्य जीवन की कल्पना कवि लोग करते थे, जिनके बारे में तमाम साहित्य लिखा जाता था और गांव की जो सबसे अच्छी देन थी, उस समय जाति प्रणाली होने के बावजूद गांव के जीवन में एक रागात्मक एकता थी, एक प्रेम था, एक सहयोग था। लेकिन आपके नियोजन के 27 वर्षों का यह परिणाम है कि गांव का जीवन नर्क बनता जा रहा है, जगह-जगह 107/117 चल रही है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि गांव पंचायतें बड़े सुचारु-रूप से काम कर रही हैं। वह तो केवल चुनाव तक सीमित है। मैं तो सरकार से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी उपाय हों, इसके लिये कमीशन बिठाने की आवश्यकता हो तो वह बिठाइये, चाहे इसके विशेषज्ञों से परामर्श किया जाय लेकिन गांव में निर्विरोध चुनाव प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाय जैसा पहले आरम्भ में चला भी था लेकिन अब वह योजना समाप्त कर दी गयी है।

तो निर्विरोध चुनाव कराने वाली गांव सभाओं के लिये कुछ पुरस्कार निर्धारित किया जाय और यदि आवश्यकता समझी जाय तो चुनाव का कोई दूसरा ही मार्ग अपनाया जाय।

मान्यवर, आज गांव का जीवन इन पंचायतों और न्याय पंचायतों के कारण इतना नर्क बन गया है कि किसान का सारा पैसा कचहरियों में तथा वकीलों के पास चला जाता है और जो विकास उनका हो सकता था वह भी नहीं हो पाया। आज गांव में असुरक्षा की भावना इतनी व्याप्त है कि गांव वाले डर कर गावों से शहर की ओर भाग रहे हैं। इसलिये गांव का जीवन सुधारने के लिये अब सरकार को कुछ सोचना होगा। आखिर इन मुख्य मंत्रियों के बयानों से इस प्रदेश की जनता कब तक धैर्य रखेगी। पांचवी योजना का ड्राफ्ट भी जब आया और उसके उद्देश्यों को देखा तो उसमें बड़े सुन्दर आब्जेक्टिव दिये हुए हैं। उसमें लिखा है--"दि रिमूवल आफ पावर्टी एन्ड दि अटेन्मेंट आफ एकोनामिक सेल्फ रिलायन्स आर दि टू मेन आब्जेक्टिज आफ दि फिफ्थ प्लान।" यह बातें तो बराबर कही गयी हैं, बराबर इसी के नारे लगाये गये हैं और जनता को यह आश्वासन दिया जाता रहा कि अबकी योजना आयेगी उसमें सुधार होगा। जब वह खत्म हुई तो कहा गया कि अब की जो योजना आयेगी उसमें यह सब होगा। मैं पूछता हूं कि आखिर कब तक यही क्रम चलेगा? एक किस्सा याद आ गया। एक

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

आदमी के यहां चोर घुस आये। उसने कहा कि देखें अब चोर क्या करते हैं। चोर फिर कमरे में घुस आये। उसने कहा कि देखें अब चोर क्या करते हैं। चोरों ने फिर सारे सामान आदि को निकालना शुरू कर दिया। उस आदमी ने कहा कि देखें अब ये चोर क्या करते हैं। फिर चोरों ने सारा सामान बांध कर चलना शुरू कर दिया। वह आदमी चोरों के पीछे-पीछे चलने लगा और कहा कि देखें अब यह चोर क्या करते हैं। फिर उस आदमी ने बताया कि मैंने उन चोरों को इतना बुरी तरह से डांटा है कि वे जिन्दगी भर याद करेंगे। तो यही हालत यहां देखने को मिलती है। जो भी मुख्य मन्त्री आता है वह यही आकर कहने लगता है कि पहले यह कमी रह गयी, पहले यह नहीं हुआ, आज यह करेंगे, वह करेंगे। इन सारी योजनाओं से कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है।

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि इन न्याय पंचायतों तथा ग्राम सभा के पास आर्थिक श्रोत नहीं हैं। उनके आर्थिक स्रोत बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर रही है? आपकी गांव सभायें निर्धन है, मगर ग्राम समाज का जो 10-10 हजार रुपया खजाने में जमा है जो जुर्माने आदि से वे वसूल करती हैं, उसी पैसे को आप उनको क्यों नहीं दिलवाने के आदेश करते? उस पैसे को ट्रांसफर करने के लिये आपको कौन रोकता है?

मान्यवर, गांव समाज के कोष में आज भी पैसा है, मगर वह गांव सभाओं को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। उसे उनको ट्रांसफर किया जाना चाहिये।

जो विकास शुल्क आप लगा रहे हैं यह किन पर खर्च होगा? यह होगा मंत्रियों की कोठियों पर। आफिसरों पर। मैं कहता हूं कि जिस गांव से आप विकास शुल्क ले उसका 75 फीसदी पैसा उसी गांव के विकास पर खर्च होना चाहिये। आज भी इन अनुदानों के द्वारा जो धनराशि मांगी जा रही है उसका 50 प्रतिशत भी पैसा किसानों तक नहीं पहुंच पाता। अगर 50-60 प्रतिशत पैसा भी किसानों तक पहुंच गया होता तो प्रदेश की तस्वीर ही बदल जाती। आज सामुदायिक विकास की ओर से जितने भी काम हो रहे हैं उसमें कितना घोटाला है? उसकी चर्चा आये दिन यहां सदन में हुआ करती है।

रोज सदन में प्रश्नों के माध्यम से और दूसरे तरीकों से बातें उठा करती हैं।

अब मैं घोटाले के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक अल्प सिंचाई विभाग है जिसके सम्बन्ध में अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे। मैं दूर-दूर की बात नहीं करता हूं, मैं सरकार की नाक के नीचे लखनऊ के अन्दर ही अल्प सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जो कुछ हो रहा है वह कई पत्रों में भी निकला है कि 16 लाख रुपये का घोटाला केवल एक अधिकारी ने किया है। यहां के सहायक अभियन्ता श्री पी0 एन0 टिक्कू हैं जिन्होंने 16 लाख रुपये का घोटाला किया है। उस घोटाले के प्रमाण प्रस्तुत हैं, जांच हुई, जांच अधिकारी ने पहले तो उसका फाइनेन्शियल पावर छीन लिया था लेकिन बाद में पता नहीं कौन दबाव पड़ा, कौन सी सिफारिश आयी कि श्री पी0 एन0 टिक्कू साहब को सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता बना दिया गया और फाइनेन्शियल पावर जो छीन लिये गये थे वे फिर दे दिये गये। उनको प्रमोट करके उनको तरक्की दे दी गयी। इस तरह के कई घोटाले आपके इस विभाग के अन्तर्गत हैं।

इसी तरह से अभी थोड़े दिन ही पहले शायद 72-73 में बिजनौर जिले में गबन की बात है। वह इन्दिरा सरोवर कांड के नाम से मशहूर है। अखबारों में भी प्रकाशित हुआ, बड़ी तेजी के साथ आया। इन्दिरा सरोवर के वास्ते 71-72 में 2 लाख रुपया मंजूर किया गया था। सरकार ने सोचा था कि इससे मछली पालन से 20 हजार रुपया सालाना की आय सरकार को होगी लेकिन एक कच्चा गड्ढा खोद दिया गया और सारा का सारा रुपया अधिकारी लोग खा गये। उसकी जांच हुई, विजिलेंस ने भी कहा कि इसकी खुली जांच

होनी चाहिये लेकिन आज एक साल हो गया, मामला ज्यों का त्यों पड़ा है। इसी तरह से सामुदायिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत जो क्रेश प्रोग्राम चलाया गया, इसके अन्तर्गत न मालूम कितना घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिये। इटावा जिले में भी कई हजार रुपये का गबन है। इसी तरह से फर्रुखाबाद जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत एक ब्लाक हसेरन है। वहां के एक बी0 डी0 ओ0 साहब हैं जिन्होंने वहां हसेरन-राजपुर मार्ग निकाला। उसमें भी घोटाला हुआ जिसकी जांच हुई। आपके ही ग्रामीण अभियन्त्रण मंडल इटावा के एक इंजीनियर ने जांच की। जांच करने के बाद माननीय मंत्री जी ने इस विधान सभा को अपने लिखित उत्तर में बतलाया कि इस घोटाले में 82 हजार रुपये का गबन किया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा विधान सभा में उत्तर देने के बावजूद वह बी0 डी0 ओ0 न सस्पेंड हुआ और न तो उसने अपना चार्ज छोड़ा और एक ब्लाक के बजाय उसे दो ब्लाक दे दिया गया। इसी तरह से एक बी0 डी0 ओ0 ने फर्रुखाबाद के सालिग्राम ब्लाक में 50 हजार रुपये का घोटाला किया है लेकिन वे दोनों बी0 डी0 ओ0 आज भी ब्लाक स्तर पर काम कर रहे हैं। विधान सभा में कई बड़े-बड़े घोटाले के मामले आते रहते हैं और कहा जाता है कि सामुदायिक विकास के जरिये हम प्रदेश की तसवीर को बदलना चाहते हैं।

न्याय पंचायतों और गांव पंचायतों के आर्थिक स्रोत कौन-कौन से बढ़ाये जायं, इसके सम्बन्ध में मैंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये। इसके अतिरिक्त ब्लाक में जो स्टाफ जाता है उसके सम्बन्ध में कुछ सोचकर और अपने सहयोगी सदस्यों से विचार कर मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी विशाल फौज आपने ब्लाक कर्मचारियों की इकट्ठा कर रखी है। वही काम ग्राम सेवक करता है, वही काम पंचायत मंत्री करता है और वही काम ए0 डी0 ओ0 भी करता है। दोनों क्या काम करते हैं। अगर आप अपने विभाग में इफीशियेंसी लाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक न्याय पंचायत में एक ग्राम सेवक रखना होगा। गांव वालों को काफी कठिनाई होती है। अब तो ब्लाक के जरिये आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी होता है। गांव के किसान ग्राम सेवक को ढूंढ़ते-फिरते हैं। उसका पता नहीं चलता। कोई जानता नहीं कि वह कहां रहता है। मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगा कि ग्राम सेवक के लिये आवास भवन बनाये जायें ताकि गांव के किसानों का ग्राम सेवक को ढूंढ़ने में परेशानी न हो और ग्राम सेवक भी जिस तरह से ग्राम प्रधान के यहां या अपने रिश्तेदार के यहां रहता फिरता है उसको भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिये प्रत्येक ग्राम सेवक के भवन की व्यवस्था बहुत जरूरी है। इससे किसानों को उसको ढूंढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और वह समझेगा कि ग्राम सेवक इस स्थान पर है।

दूसरी बात मैं कृषि प्रसार के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें मेरा पहला सुझाव यह है कि जो भूमि-समतलीकरण योजना है तो भूमि समतलीकरण में होता यह है कि ऊपर की परत की मिट्टी हट जाती है जिसके कारण जमीन की फर्टीलिटी कम हो जाती है। नीचे की परत निकल आती है जो कि उतनी उपजाऊ नहीं होती है। इसलिये विभाग के माध्यम से जहां पर भूमि समतलीकरण योजना हो वहां उर्वरक और विशेष तरीके के उर्वरक के लिये अनुदान की व्यवस्था करें ताकि किसानों को सुविधा मिले।

सबसे बड़ी समस्या जो किसान के लिये है वह बीज की है। बीज के लिये कुछ केन्द्र जो अथारिटेटिव हैं वहां इनकी व्यवस्था है। जैसे पंत नगर के बीज और इसी प्रकार के बीज कुछ केन्द्रों पर मिलते हैं लेकिन अब इनमें भी घोटाला आने लगा है। आस-पास के किसानों से बीज इकट्ठा करके पैकेटों में बन्द करके उनके ऊपर पंत नगर के बीज का लेबिल लगा दिया जाता है। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर विकास केन्द्र पर सम्भव न

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

हो तो कम से कम तहसील स्तर पर एक प्रदर्शनी फार्म हो जहां से किसानों को बीज की सुविधा प्राप्त हो सके ।

फसल सुरक्षा के लिये किसानों को सब चीजें समझाने की चेष्टा की जा रही है लेकिन फसलों की जो बीमारियां हैं किसान उससे अनभिज्ञ हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये कम से कम 33 1/3 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम, स्वायल टेस्टिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह टेक्निकल और डिलेइंग प्रक्रिया है । समय पर मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पाता है और 5–7 पैकेट मिट्टी जिले से भेज दी जाती है । समय पर स्वायल टेस्टिंग नहीं हो पाती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक विकास केन्द्र के हर किसान के खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिये प्रत्येक विकास केन्द्र पर एक स्वायल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनायी जाय ।

मान्यवर, फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहता हूं । यह विचाराधीन है । मान्यवर, ओले पड़ जाते हैं किसानों की फसल बरबाद हो जाती है । बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेजों और गन्ना सेठों को इन्श्योरेंश की फैसीलिटी मिल गयी है तो किसान को भी इस फैसीलिटी को देना चाहिये ।

इसी के साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मान्यवर, जहां पर पहले चकबंदी हुयी थी वहां पर चकबंदी इतनी खराब हुयी है कि किसान के लिये खेती करना दुश्वार हो रहा है । आपका विभाग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है । इसलिये आप कोआर्डीनेशन करके जहां पर पहले चकबंदी हुयी हैं वहां पर फिर से चकबंदी कराने का प्रयास करें क्योंकि कृषि भी सहकारिता के अन्दर आती है । मान्यवर, एक आध और सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा ।

मान्यवर, सबस बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी नगर पालिकायें हैं और नगर महापालिकायें हैं, इनके ऊपर आपका एल0एस0जी0 ई0 डी0 है लेकिन इतने हजार ग्राम पंचायतें आपकी हैं पर उनके ऊपर कोई नहीं है । आप उसके लिये एक अलग से सेक्रेटेरियट की व्यवस्था करें । उनके लिये अलग से पोर्ट फोलियो बनायें ।

मान्यवर, इस विभाग को आलू बना दिया गया है । सबके साथ जैसे आलू का इस्तेमाल हो जाता है वैसे ही चाहे अल्प बचत योजना हो चाहे नसबंदी हो इस विभाग कर्मचारियों को सभी कामों में लगाया जाता है । मेरा निवेदन है कि इस विभाग के कर्मचारियों को केवल कृषि प्रसार के जो काम हैं उन्हीं में लगायें । क्योंकि और कार्यों में लगाने से उनका सम्पर्क छोटे-छोटे किसानों से नहीं हो पाता है केवल बड़े-बड़े किसानों से ही इनका सम्पर्क हो पाता है । इसलिये इनको कृषि प्रसार के कार्यों में ही लगाया जाय ।

इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं सदन से अपील करूंगा कि जब तक बहस में जो सुझाव मैंने दिये हैं उनके बारे में मंत्री जी निश्चित रूप से आश्वासन न दे दें तब तक मैं आशा करता हूं कि यह सदन सम्पूर्ण अनुदानों को अस्वीकार करें, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें ।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बजट का पास होना है क्योंकि बहुमत इसके साथ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहूंगा । वित्तीय संकट सरकार के सामने है इसलिये सरकार विकास और नियोजन पर पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है जैसे कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पिछले साल भी मौजूदा बजट को देखते हुए बजट का अधिकांशतः हिस्सा तनख्वाह या डी0 ए0 टी0 ए0 म जाता है। विकास के नाम पर बहुत कम हिस्सा पड़ेगा। तो जब तक वित्तीय संकट से सरकार अपने को अलग नहीं कर लेती है तब तक इस विभाग के कर्मचारियों को अपने घर पर भेज दे और वह अपने घरों का विकास करें और जो पैसा कर्मचारियों और विभाग पर खर्च कर रहे हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं है। विकास के लिये तमाम विभागों के जरिये पैसा जनता में पहुंच सकता है क्योंकि जहां 25 रुपये विकास पर खर्च करते हैं तो 75 रुपये कर्मचारियों के ऊपर खर्च करते हैं।

मान्यवर, मैं कटौती का विरोध इसलिये करता हूं कि कटौती करने से विकास तो होगा ही नहीं। इस बजट को मैं विकास और नियोजन के नाम पर यह कहूं कि लूट की छूट है। इसमें इतना भ्रष्टाचार है और इतना गलत काम हुआ है जिसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस किताब के पेज 40 पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि त्वरित योजना के अन्तर्गत 4,048 किलोमीटर सड़क बनी और उसकी व्याख्या भी आपने उसमें दिया है। इसमें से 1,040 कि0 मी0 सड़क मेन्टेड है, 818 कि0 मी0 कंकड़ वाली है और 537 कि0 मी0 सड़क कच्ची बनी है। कुल 2,395 कि0 मी0 सड़क बनी है। अब प्रश्न यह है कि बाकी 1,600 कि0 मी0 सड़क किस प्रकार की बनी है? मुझे सूचना है कि 12 हजार रु0 प्रति कि0 मी0 से मिट्टी का काम सड़क पर होता है। तो 1,600 कि0 मी0 सड़क कैसी बनी है? इस पर कम से कम 2 करोड़ रुपया का घोटाला किया गया है इसलिये सरकार को इस पर ध्यान देना होगा।

इसी प्रकार लघु सिंचाई की योजना पर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस जिले से मैं आता हूं उसके आधे क्षेत्र में गंडक की कोई व्यवस्था नहीं है। दक्षिण क्षेत्र खाली है। जो सरकारी ट्यूबवेल लगे वह नहर के क्षेत्र में लग गये उत्तर की तरफ और संयोगवश वह एक माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में लगा दिये गये। दक्षिण में नहीं लगे। हमने सोचा था कि लघु सिंचाई के अन्दर कोई फायदा मिलेगा लेकिन यह जो योजना आयी है, जिसको पेज 6 पर दिखाया है, कि विश्व बैंक से सहायता मिलने वाली है जिसमें 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे और उसमें 14 जिले लिये गये हैं जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी के 3 जिले हैं, अन्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन देवरिया जिले को पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसके अलावा और भी आपने योजनायें बनाई हैं जैसे लघु कृषक विकास योजना। इसमें कुल 20 जिले आये हैं, लेकिन इसमें भी हमारे जिले का नाम नहीं है। (लाल बत्ती जलने पर)––मान्यवर, 5 मिनट और चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष––

केवल 7 मिनट में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। इससे ज्यादा समय देना मुश्किल होगा।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र––

इसके अलावा आपने 6 सूखा-ग्रस्त जिलों के लिये योजना बनाई है, लेकिन आपने बाढ़-ग्रस्त इलाकों के लिये कोई योजना नहीं बनाई जहां लाखों की सम्पत्ति हर साल बाढ़ में बह जाती है। हरिजनों के नाम पर जो आवास के लिये जमीन छोड़ी जा रही है उसमें गड़बड़ घोटाला हो रहा है। मैं अपने जिले की बात बताता हूं जहां कि मुझे जानकारी है। ग्राम बलिया उत्तर, भागलपुर विकास खण्ड, जिला देवरिया में जहां हरिजन बसे हुए हैं, उसी जमीन को एक्वार कर रहे हैं और उसका पैसा उन भूमिपतियों और भूतपूर्व जमींदारों को दिया जा रहा

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र]

है जो लेखपाल से मिलकर अपना नाम भूमिधरी और सीरदारी में नाम लिखा लिया है। दफा 9 जमींदारी ऐक्ट के अन्तर्गत जमीन सैटिल कर दी गयी थी और सरकार के यह आदेश सन् 1974 में गये थे कि जिस जमीन पर हरिजनों ने मकान बना लिये हैं वह सैटिल कर दी जाय और वह सेटिल हो गई, लेकिन फिर भी उसको क्यों एक्वायर किया जा रहा है और भूतपूर्व जमींदारों को पैसा देने की व्यवस्था की जा रही है ? अगर ऐसा है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों के नाम पर जो भूमि है उसका भूतपूर्व जमींदारों को पैसा देने की व्यवस्था है वह उचित नहीं है।

*श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी का सम्बन्ध बहुत दिनों का है जब यह डिप्टी मिनिस्टर थे 'बी' ब्लाक में रहते थे....

श्री उपाध्यक्ष—

इस दोस्ती से काम नहीं चलेगा।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

माननीय मन्त्री जी हरिजन भी हैं लेकिन हम यह आशा करते हैं कि लोगों का कल्याण होगा क्योंकि ज्यादातर जनता लगभग 36 प्रतिशत गांव में रहती है और गांधी जी कहते थे कि हमें गांवों को उठाना है और इसी बात के लिये लोहिया जी कहते-कहते मर गये और वह यह कहा करते थे कि चौखम्भा राज्य को मजबूत बनाया जाय। विधान सभा में मैं देखता हूं कि मंत्री जी ज्यादातर गलत उत्तर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से डरते हैं और अफसरियत को छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि विभाग की बदनामी न हो लेकिन माननीय मंत्री जी में यह क्षमता नहीं है वह कुछ बोल सकें। जिस प्रकार दिल्ली की पंचायत है, फिर लखनऊ की पंचायत है, जिले की पंचायत है और फिर गांव की पंचायत है, तो जितनी आमदनी राजस्व से होती है, और अगर आपको गांवों को उठाना है तो आमदनी का 1/4 हिस्सा गांवों को दे दें। लगभग 13 अरब रुपये का बजट है और हमारे उत्तर प्रदेश में एक लाख या सवा लाख गांव हैं। अगर प्रत्येक गांव को हिस्सा देंगे तो लगभग 40—50 हजार रुपये मिलेगा। पहले साल आप को एक योजना बना लें कि स्कूल बनाना है, फिर आप सड़क बनाने का कार्य-क्रम रखें। क्योंकि आपने जो सड़कों पर खरंजा लगाया है वह सब उजड़ गया है, जो लालटेनें जलाने के लिये लगी थी, वह गायब हो गई हैं और तेल तक नहीं मिला बल्कि उल्टे प्रधानों की पिटाई होती है। वह पटवारी और लेखपाल का बस्ता ढोता है।

जिस तरह से दिल्ली की सरकार के पास फौज और हवाई जहाज है और तमाम विभाग हैं, उसी प्रकार से लखनऊ की सरकार के मातहत भी तमाम विभाग हैं, जैसे सिंचाई विभाग और यह विभाग है चाहे नियुक्ति करें या बरखास्तगी करें, वह आप के दबाब मे रहते हैं और ठीक काम करते हैं लेकिन गांव के प्रधान की पूरी पिटाई होती है लेखपाल, सेक्रेटरी, कांस्टेबिल तथा चौकीदार सब उनके मातहत रहें। योजना बना लें ठीक से काम करें वर्ना बरखास्त करें। लेकिन सब एक साथ काम करेंगे। सेक्रेटरी लेखपाल, ग्राम सेवक आपने रखे और उन सब को ढूंढ़ना पड़ता है। जब लेखपाल को ढूंढ़ लेते हैं तो आंखें दिखाते हैं। लेखपाल खेत भी गलत-सलत लिखता है। राशन कार्ड बटे। नौबीसों ग्राम के ग्राम सेवक ने राशन कार्ड बांटने में खूब पैसा लिया और प्रधान की हिम्मत नहीं पड़ी उसे रोकने की। आप एक मुकर्रर कर दें। चाहे ग्राम सेवक रहे अथवा लेखपाल रहे लेकिन एक रहे। वही खेती की देखभाल करे, खाद बांटे तथा अन्य काम करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने ब्लाक खोले हैं। ब्लाक का काम क्या है? विकास का काम उतना नहीं है जितना नक्शा, मीटिंग तथा सलाम का काम है। जिस तरह से पहले राजा महाराजा होते थे उसी तरह से आपने ब्लाक खोल कर काम किया। आलीशान मोटरें, रहने को बंगले तथा मनोरंजन के लिये तबला, नाच तथा ड्रामे। अल्प बचत योजना आपने चलाई। नसबन्दी तथा लूपबन्दी कर ई। एक लूपबन्दी में ऊपर से नीचे तक 5 हजार रुपये का खर्चा आता है। लूप के बजाय अगर नलकूप लगाया होता तो ज्यादा अच्छा होता। यह भी आप उल्टा कर रहे हैं। अगर गांव की तरक्की करनी है तो राज्य की इनकम का एक-चौथाई आप गांव में दे दें। जितने कर्मचारी हैं वे प्रधान के मातहत रहें। आप अंग्रेजों के मुकाबले ज्यादा तानाशाह हैं। नाम बदलने में भी बड़े माहिर हैं। पहले जिला बोर्ड थे। आपने नाम बदल कर जिला परिषद् कर दिया। जिला बोर्ड्स का चुनाव मेम्बरों का तथा चेयरमैन का पहले आम जनता करती थी लेकिन आपने जिला परिषद् के चेयरमैन का चुनाव मेम्बरों के जरिये कर दिया। इसी तरहसे नगरपालिका के चुनाव आम जनता के जरिये होते थे लेकिन आपने नगरपालिका के चेयरमैन का चुनाव मेम्बरों के जरिये कर दिया। इसी तरह से अदालती पंचायतों में सरपंच का चुनाव आप मेम्बरों के जरिये से कराते हैं। इस तरह से मनमानी व तानाशाही चलाई जा रही है।

आपने ब्लाक्स में सेठों के एजेंट्स को मुकर्रर किया है। गांव में जो लोग हैं वे उनकी दलाली करते हैं। मोटर खरीदना है तो सबसे थर्ड क्लास के मोटर खरीदवायेंगे जिससे उनको ज्यादा कमीशन मिल सके। पंपिंग सेट्स किर्लोस्कर, कूपर तथा रिस्टन के अच्छे होते हैं लेकिन इसे न खरीदवा कर गांव वालों के दिमाग ये एजेन्ट्स दूसरी तरफ से मोड़ देते हैं और इसी तरह से रहट के मामले में भी कमीशन का ख्याल ज्यादा रखा जाता है। इसी तरह से खाद का प्रचार किया गया लेकिन सेठों को एजेंट बना दिया। नाली बनवाई गयी तो वह भी उखड़ गयी और उसमें बालू भर गयी। इसी तरह से तरबगंज ब्लाक में एक बनवारगंज खजुरी गांव है जिसमें एक लोधा है। इंजन के लिये उससे रुपया ले लिया गया। उसका सारा रुपया निकल गया लेकिन इंजन उसको नहीं मिल सका। इसी तरह से केन्द्रीय सरकार की तरफ से सन् 70 में पेयजल योजना चली, कुवां बनाने की योजना चली लेकिन मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि आज तक हैदरगढ़ में इस पेयजल योजना के अन्तर्गत एक भी कुवां नहीं बन सका। (लाल बत्ती जलने पर।)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य का समय समाप्त। अब वह अपना भाषण समाप्त करें।

माननीय वर्मा जी अपना भाषण समाप्त करें। फिर मौका मिलेगा तो बोल लीजियेगा।

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मोड़ा)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री माननीय आर्य जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ी हुयी हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य व्यवधान न करें। बैठकर बात करें।

कुमारी रमा पन्त—

मान्यवर, महात्मा गांधी जी ने स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के लिये जिस रामराज्य की कल्पना की थी और उसी विचारधारा के आधार पर उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का अभ्युदय हुआ है। जैसा कि बजट में कहा गया है कि यह पंचायती राज आधुनिक लोकतन्त्रीय इकाई के रूप में है। उसी रूप में उसका अभ्युदय हुआ है और उसी रूप में वह प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है। सरकार ने इसी आधार को लेकर कार्यक्रम बनाये हैं, विभिन्न विभागों की स्थापना की है, उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति की है और अन्य विभिन्न काम हो रहे हैं। मुझे इस माननीय सदन से सिर्फ यही कहना है कि वह पंचायती राज सिर्फ हमारे लोकतन्त्र की एक आधारिक इकाई ही नहीं है, यह हमारे आर्थिक विकास की भी इकाई है। अगर हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, इसे आर्थिक दृष्टि से समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें अवश्य इन आधारभूत इकाइयों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

मैं सरकार की इस बात के लिये सराहना करती हूं कि उसने इन सब बातों को देखते हुए, उनके महत्व को स्वीकार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों पर पंचायती उद्योगों की स्थापना की है। जैसा कि बजट में कहा गया है जो क्षेत्र समिति और जिला परिषदों के औद्योगिक और व्यापारिक उद्यम हैं उनके विकास के लिये पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की गई है। बेरोजगारी हमारे प्रदेश में एक ज्वलन्त समस्या बनी हुयी है। एक ओर तो शिक्षित वर्ग जो कि विश्वविद्यालयों कालेजों और टेक्निकल स्कूलों से निकले हुए छात्रों की समस्या है तो दूसरी ओर ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या है। प्रदेश के गांवों की स्थिति और भी दयनीय है।

मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र से आती हूं। मुझे इस बात का कटु अनुभव है कि वह क्षेत्र औद्योगिक मामले में कितना पिछड़ा हुआ है। मैं बड़े उद्योगों की बात नहीं करती किन्तु छोटे-छोटे उद्योग भी वहां पर नहीं हैं। वहां के लोगों को बड़ी परेशानी है। गांवों की निरीह जनता के पास कोई उद्यम नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि कैसे वहां का विकास हो। सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है कि जब पंचायती राज वित्त निगम स्थापित हो जायेगा तो वहां के लोगों को कुछ रोजगार मिल जायेगा। वहां के पुरुष या तो फौज में हैं या काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। महिलाओं को ही वहां पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस पंचायती राज के माध्यम से हमारी बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो जायेगी और हम उसमें सफल हो जायेंगे . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आपके सुझाव पर नजरन्दाज नहीं कर रहे हैं।

कुमारी रमा पन्त—

मान्यवर, जिला परिषदों की हमारी जो इकाइयां हैं उनको सशक्त बनाने के लिये सर्व प्रथम उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। इस तरह से मेरा विश्वास है कि इन पंचायती राज की इकाइयों के माध्यम से हम काफी प्रगति कर सकते हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, हमारे यहां आर्थिक साधनों की बहुत कमी है। यदि हम पंचायती राज की इकाइयों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि सीमित साधनों के होते हुए भी बहुत से काम हाथ में लिये गये हैं और उनमें सफलता भी मिली है। चाहे वह सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो खड़ंजे लगाने का काम हो, गांधी चबूतरा हो वह बड़ी लगन से किया गया है। यदि इन इकाइयों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया जाय तो मेरा पूरा विश्वास है कि उनमें हमें सफलता मिलेगी और जैसा कि मैंने पहले कहा सीमित आर्थिक साधनों से अच्छा काम किया गया है। जब ग्राम सेविकायें थीं, ए० डी० ओ० महिलायें थी तो बाल-वाड़ी और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम इन महिलाओं के द्वारा ही चलता था। तब महिलाओं में काफी जागृति थी। उसमें काफी अच्छा काम चल रहा था। मैंने खुद देखा है उससे महिलाओं में जनजागृति आई। यह बात

स्वाभाविक है क्योंकि महिला कर्मचारी वहां जाती थीं और उनसे बातचीत करती थी उनसे बात करने में उनको कोई संकोच नहीं होता था। लकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक कदम उठाया गया तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा और उन बेचारी महिलाओं की सरविसें खतम कर दी गई, उन्हें निक ल दिया ग ा जो अपना पेट पाल रही थी अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थीं। उनकी कलम से उन महिला कर्मचारियों की सरविस खतम हो गई ।

हमारे यहां कृषि कार्य में महिलायें ज्यादा काम करती हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि वहां के पुरुष या तो फौज में हैं या फिर बाहर काम करने के लिये निकल जाते हैं इसलिये खेतों का काम महिलायें ज्यादा करती है । वहां की महिलायें कर्मठ और ज्यादा लगन से काम करती है । लेकिन आज के समाज में आर्थिक और सामाजिक परि र्तन आ रहा है । हमारे पर्वतीय इलाकों में कृषि योग्य भूमि अधिक नहीं है इसलिये वहां पर ह र्टिकल्चर की बात उठती है और सरकार चाहती है कि वहीं पर तरक्की हो तो वहां पर हार्टिक चर को बढ़ ावा देना होगा और उसके लिये महिलाओं को कंविंस करना होगा। अभी कुछ कैम्पस इस संबंध में चलाये गये थे। तो इस क्षेत्र में अगर महिलाओं को ग्राम सेविकायें नियुक्त किया जाय तो वह ज्यादा अच्छा रोल अदा कर सकती हैं क्योंकि महिलायें उनसे ज्यादा अच्छी तरह कंनविंस होती हैं अगर ऐसा किया जाय तो इससे प्रदेश और देश का फायदा हो ा आर्थिक प्रगति होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करती हूं ।

*श्री भ ाभी (जिला आजमगढ़)––

उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास मंत्री जी ने जो अनुदानों को प्रस्तुत किया है उसका सरकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए मैं विरोध करता हूं और जो कटाती के प्रस्ताव पेश किये गये हैं उसकी मंशा को समझते हुए उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य समय का भी ध्यान रखें। 7 मिनट हैं आपके ।

श्री भाभी––

श्रीमन् यह सर्वविदित है कि हमारे देश और प्रदेश में शासन के 4 इसके खम्भे हैं, चाहे उसे आप जगह कहिये, चाहे सभा कहिये। तो एक तो दिल्ली की बड़ी सभा है, दूसरी जो है, यह हमारी विधान सभा जो लखनऊ में चल रही है और तीसरे जो है जिला परिषद है, चौथी ग्राम सभा है । स्वराज्य के बाद बड़ी आशा लोग लगाये थे कि हमारे देश में पंचायती राज बनेगा। लेकिन क्या दुर्गति पंचायतों की हो रही है। मैं गांव प्रधान रहा हूं। तो पहले पंचायतों का गठन हुआ इसके बाद न्याय पंचायतों का गठन हुआ कुछ दिनों तक उसमें काम चलने लगा तो फिर आपके विकास बने। लेकिन मैं साफ बता देना चाहता हूं जैसे सौतेली मां पैदा होती है वैसे ही मंत्री जी आपको समझ लेना चाहिये आपको इसमें दुःख होना चाहिये, शर्म करें तो मामला ज्यादा कड़ा हो जायेगा।

आपके जिम्मे जो विभाग दिया गया है आपकी हमदर्दी रहते हुए आपके विभाग के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार होता है। आपका पंचायतों के साथ जो व्यवहार होता है जहां से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भाभी]

धन आप पैदा करते हैं, गांवों में आप टैक्स लगाते हैं चाहे विकास कर लगा कर लें या टैक्स लगा कर लें, कपड़े पर टैक्स लगा कर लें या खाने की सामग्री पर लगा कर लें वह गांवों से आता है लेकिन आज गांवों को एक पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। कैसे गांव पंचायतें तरक्की करेंगी। आज गांव पंचायतों की हालत यह है कि वह आज चुनाओं के समय में याद आती हैं क्योंकि यही बुनियाद हैं। यही वह संगठन है जिससे आपका चुनाव होता है विधान सभा और पार्लियामेन्ट के उम्मीदवारों का। यहीं तक आप उनको याद करते हैं लेकिन गांधी जी की जो मंशा थी वह पूरी नहीं हुई। लोग समझते थे कि स्वराज्य मिलने के बाद पंचायती राज बनेगा, सुन्दर और सुख का राज्य बनेगा लेकिन मंत्री जी मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि आपके गांव मर चुके हैं। न्याय पंचायत में जो शुरूआत में जितने मुकदमें रहते थे, आपके कानून से वह खत्म हो गये हैं। गांव सभाओं और न्याय पंचायतों को आपने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है जिनसे उनका कार्य सुचारु रूप से चल सके।

गांव के जितने काम हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे सिंचाई का काम हो, इन सब के लिए इन स्थानीय जनता की संस्थाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए। अपने बजट में से उनको पैसा देकर गांव का काम आपको उनके माध्यम से कराना चाहिए। लेकिन आज वास्तविकता दूसरी है, खोखली हांडी वाली बात है। मलकिन बने सब चीज का, लेकिन हांडी-भांडी छुवे न पावे। तो यह कैसी चीज है आपने उनको काम दे दिया है, लेकिन अधिकार कोई नहीं दिया है। जो विभाग अंग्रेजों के जमाने में मजबूत थे, आज भी वे विभाग मजबूत हैं। किन्तु स्वराज्य से जो विभाग पैदा हुए, वे आज भी कमजोर हैं। आपने 27 सालों में क्या किया। अंग्रेजों के जमाने के विभाग मजबूत हैं, उनके पीछे आप चले, उनके साथ आप चले, लेकिन गांधी जी द्वारा पैदा किए जो विभाग हैं, जिनकी स्थापना उन्होंने की, उनका विकास तो दूर रहा, आपने उनको चकनाचूर किया है, धुसरित किया है। मैं बताना चाहता हूं आप इसके लिए अपने दिल को जोरदार तरीके से मजबूत करें। आप सिंचाई और पानी पीने की व्यवस्था भी पूरे प्रदेश में नहीं कर पाए हैं। आज हरिजनों की बड़ी दुर्दशा है। मैं जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूं। पूर्वी जिलों की अति खराब हालत को देखकर पटेल आयोग चलाया गया। लेकिन हाय री यह सरकार पूर्वी जिलों की कोई भी दशा सुधरी नहीं। आज भी हरिजन पानी पीने के वगैर मर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके केवल दो मिनट शेष हैं।

श्री भाभी---

एक बात और कह देना चाहता हूं, मंत्री जी आप इतनी बात ध्यान में रख लें, अगर इंसानों के पानी पीने की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था गांव सभाओं के माध्यम से, ब्लाक के माध्यम से आप कर दें तो कुछ राहत मिल जाए। अन्त में मैं इस सम्बन्ध में एक शेर सुनाए देता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं, खासकर सामुदयिक विकास मंत्री जी, उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप हमारी शेर का मतलब लगा दें तो आपकी सरकार को जनता की सब बात समझ में आ जाय। मैंने "आइने अदब" में एक सबक "असरारे कामरानें" पढ़ा था, वह आपको सुनाता हूं---

अगर कामरानी के ख्वाहां हो तुम, तो मेरी सुनो क्योंकि इंसा हो तुम।
इरादा करो जब किसी काम का, न लो भूल कर नाम आराम का।।
कि पुख्ता इरादा बड़ी चीज है, नहीं जिसमें यह वस्फ, वह हेच है।
दिखाओ जमाने को यह इन्हमाक, कि हर चश्म बीना को हो जिसकी ताक।।

रियाजत करो और मेहनत करो, इसी में जिओ तुम इसी में मरो तुम।
गर मेहनती पा गये खिताब, तो जर्रे से बन जाओगे आफताब।।
मगर एक नुक्ता और भी है, नहीं सरसरी काबिले गौर है।
न करना कभी वक्त को रायगां, कि रहना नहीं है हमेशा यहां।
बकौल हसन कोई पाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।।
लिया काम मर्दानगी से अगर, समझ लो यही है कजा व कदर।
बसर क्या फरिश्ते फड़क जाएंगे, पहाड़ों के पत्थर सरक जाएंगे।।

इन शब्दों के साथ, मंत्री जी, जो आपका अनुदान प्रस्ताव है, सरकार की गलत नीतियों के आधार पर मैं उसका विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव की मंशा को रखते हुए उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, यह पंचायत की परम्परा हमारे देश में आजादी से पहले भी रही है। इसी विचार को लेकर महात्मा गांधी का स्वप्न था कि गांवों का राज्य पंचायतों द्वारा गांव के लोग ही करें, गरीब लोग करें, गांव में बसने वाले लोग करें। और जितनी भी गांव की समस्याएं हैं, चाहे खेती से सम्बन्धित हों, या उद्योग धन्धों से सम्बन्धित हों, तमाम समस्याओं को गांव के लोग गांव में बैठ कर तय करें कि हमारे गांव का विकास और प्लानिंग कैसे हो, गांव को कैसे तरक्की दें। लेकिन श्रीमन्, जिस उद्देश्य को लेकर महात्मा गांधी और देश के नेताओं ने आजादी के बाद सामुदायिक विकास और पंचायती राज को कायम किया उसका मतलब सही मानों में निकल नहीं पाया। हमारी ग्राम सभाओं में, हर गांव पंचायत के स्तर पर दो सज्जन काम करते हैं जिनको पंचायत सेवक और ग्राम सेवक कहते हैं। पंचायत सेवक ग्राम पंचायतों से ताल्लुक रखते हैं और ग्राम सेवक कृषि और विकास से सम्बन्ध रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, जहां तक मुझे आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रान्त की जानकारी है, ग्राम सभाओं की मीटिंग करने की बात पंचायत सेवक कभी नहीं करते। बहुत कम मीटिंग करते हैं। इसकी जांच कराएं। कम से कम आजमगढ़ की बात कहता हूं। यह ग्राम सेवक ऐसे हैं, आठ-आठ, दस-दस साल से ग्राम सभाओं की मीटिंग ही नहीं हुई।

पंचायत सेवक और ग्रामसेवक जिनको गांव में रखा गया है, इनके अलावा जनता और सरकार के बीच में और कोई ऐसी कड़ी नहीं है जो गांव में जमीन पर बैठ कर, पंचायत सेवक और ग्राम सेवक यह साबित करें कि वे सच्चे मानों में ग्राम सेवक और पंचायत सेवक हैं, ऐसा काम कतई नहीं हो सका। उसके भी कारण हैं। पहली बात यह है कि हमारी पंचायतों के पास न कोई अधिकार है न कोई खर्च करने के लिए धनराशि। इसलिए यह बिना अधिकार और बिना धन के पंचायतें बिल्कुल निष्क्रिय हो गयी हैं। पंचायतों के धन का स्रोत केवल यह माना गया है कि पंचायत स्वयं कर लगाएं। पंचायतें अपने गांव में कर लगाती हैं। प्रधान के पास कोई अधिकार नहीं है, पंचायत मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि 15 दिन के अन्दर कर लगा कर जुरमाना करने के लिए न्याय पंचायतों में भेज दें। न्याय पंचायतें जल्दी फैसला नहीं कर पातीं। जो हमारा स्वप्न था कि गांव का राज्य गांव में रहे, बिना अधिकार के पंचायतें निष्क्रिय हो गयी हैं।

जहां तक ग्राम सेवकों का विकास खंड से सम्बन्ध है, सौभाग्य की बात है कि मैं दस-बारह वर्षों प्रधान और दस-बारह वर्षों तक ब्लाक प्रमुख रहा हूं। पहले के जमाने में विकास

[श्री जगदीश मिश्र]

खंडों में काफी धन अनुदान का वितरण करने के लिए गांवों में आता था। इस समय विकास खंडों की कोई धनराशि ग्राम सभाओं या गांवों का विकास करने के लिए नहीं दी जाती है। पंचायत सेवकों का एक ओर सबसे खतरनाक काम होता जा रहा है कि जब आदमी पैदा होता है या मरता है, तो पहले थाने में चौकीदार जन्म व मृत्यु दर्ज कराता था। यह थाने का काम बन्द कर दिया गया है इसको पंचायत मंत्री को ग्राम सभा में दर्ज कराने का काम दिया गया है। यह काम कतई नहीं हो रहा है। बहुत से गांव मिलेंगे जिनमें पचासों, सैकड़ों आदमी मरे हुए हैं, वर्षों के बाद आज भी कागज में जीवित हैं। कौन बच्चा कब पैदा हुआ, और बच्चे का कौन मां बाप है, कतई दर्ज नहीं किया गया है। यह मसला चकबन्दी, दीवानी के मुकदमों में, खेती सम्बन्धी मामलों में उठता है। पंचायत सेवक फर्जी रजिस्टर में इनका बच्चा उनका, और उनका बच्चा इनका, मरे हुए को जिन्दा और मरा हुआ जिन्दा को जिन्दा दिखा देते हैं। यह बहुत ही भयंकर चीज होती जा रही है जैसा कि चकबन्दी में देखा जा रहा है। हमारी पंचायतें बिना अधिकार के निष्क्रिय होती जा रही हैं।

लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि पंचायतों और सामुदायिक विकास में कुछ काम ही नहीं किया। सब से बड़ी भारी उपलब्धि उनकी यही है जिस पर आप सब लोगों को गौर करना पड़ेगा कि पंचायतों का चुनाव गांव के लोग शान्तिपूर्ण ढंग से करके अपना प्रधान और सदस्य बनाते हैं। इसके बाद ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् के सदस्य बनाते हैं। यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो परम्परा बनी है कि गांव के लोग आपस में बैठें तो जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो उनमें लोग आपस में मिल कर बैठते ही हैं। चाहे क्षेत्र समिति की मीटिंग हो चाहे जिला परिषद् की मीटिंग है। यही महात्मा गांधी का स्वप्न था कि नौकरशाही के ऊपर जनता का नियंत्रण हो। यह कुछ हद तक हुआ है। जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि जिस ग्राम समाज की जमीन से जितना धन प्राप्त हो वह धन उसी ग्राम सभा को दिया जाय और उससे उसके कार्य हों। सरकार भी अपनी ओर से अपने कोष से ग्राम सभाओं को धन देकर कार्य करायें जिससे गांवों की तरक्की हो सके।

*श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी, जिस विभाग के बारे में सदन में चर्चा हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जनता में चेतना पैदा की जाय और उनका विकास किया जाय। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही इस विभाग की स्थापना की गई थी। लेकिन 27 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी जो इस विभाग की कारगुजारियां रही हैं उनको देखने से मालूम होता है कि तीनों लक्ष्य पूरे नहीं हुये हैं। जहां चौखम्भा की बात थी वहां पांच खम्भे बन गये हैं। दिल्ली, लखनऊ, जिला, विकास क्षेत्र और ग्राम सभायें हैं। लेकिन इनके बावजूद ग्रामीण जनता की मतलब की जो चीजें हैं, चाहे कृषि की हों, स्वास्थ्य की हों, सिंचाई के साधनों की हों या गरीबी दूर करने की हों, किसी भी दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। चाहे इस पद के हों चाहे उस पद के हों सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विभाग का जो बजट होता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा स्टेबलिशमेन्ट पर खर्च होता है। भ्रष्टाचार का तो जिक्र करना ही बेकार है।

अब हमें यह देखना होगा कि जिस नीति को लेकर इस विभाग को शुरू किया गया था वह दूरी क्यों नहीं हुई? मैं जनसंघ के माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था और सोच रहा था कि वह इसका कारण बतायेंगे। लेकिन वह नहीं आया। जब इस विभाग को शुरू किया गया था तो केन्द्रीय मंत्री श्री एस0 के0 डे ने कहा था कि वर्ग संघर्ष को रोकने के लिये और वर्ग सहयोग की भावना को पैदा करने के लिये इसकी स्थापना की जा रही है। जो वर्ग साधन सम्पन्न होंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वही पंचायतों, विकास क्षेत्रों तथा जिला परिषदों यानी सभी संस्थाओं पर काबिज होंगे और चाहे जितने खम्बे बन जायं सभी पर काबिज होंगे, जनता को उठाने के लिये जिस मकसद से यह रखा गया था वह पूरा नहीं हुआ।

तो मेरी जो समस्या है कि वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है उसको कुंठित बनाने के लिए अभी एक मंत्री जी कह रहे थे कि जो पंच सम्मेलन हुआ उसमें लाखों ने शिरकत किया। मुझको भी जाने का मौका मिला। आप देखें कि पंचायतों पर कब्जा पैसे वालों का है, जमीन वालों का है, भू-स्वामी का है। ब्लाक प्रमुख वही है जिनका केवल एक मतलब होता है कि किसी तरह से पैसों पर बना रहना, वह नौकरशाही का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे तत्व लड़ाकू नहीं होते हैं। कहीं-कहीं पर तो मिल मालिक भी ब्लाक प्रमुख हो गये हैं। अगर ऐसे लोग इन निकायों पर काबू किये रहेंगे तो उससे देश का लाभ होने वाला नहीं है।

समाजवादी आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता एक साधन है। इसके अन्दर एक मास्टर प्लान शुरू हुआ जिसके अन्दर गांव में ढाई रुपया जमा करा कर मेम्ब बनाया गया, जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है, उसके ऊपर कर्जा दिखाया गया है। जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है उनके ऊपर सहकारिता का कर्जा दिखाया गया है जिन्होंने कर्जा लिया तक नहीं है। यह सहकारिता विभाग बिल्कुल भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। तो आपकी यह नियत जो सहकारिता के बारे में यह जनता के प्रतिकूल है। आप गांव की तरक्की के लिए सोचिये, आप जनता की तरक्की के लिए सोचिये। जो जनता दबी हो, जो जनता शोषित हो, उसको ऊंचे उठाने की बात सोचिये। आपने एक पेयजल योजना चालू की, ग्राम अभियंत्रण योजना चालू की और तमाम आंकड़े आपने दिखाये। मैं अपनी जानकारी से यह कह सकता हूं कि शतप्रतिशत ये आंकड़े झूठे हैं। हमारा अनुभव कई तहसील के विकास खण्डों से है।

एक काम हमारे सामने जो आया था वह पेय जल योजना का था। पेय जल योजना कायम हुई। ट्यूबवेल बना, उसकी कमेटी बनी, लेकिन 10-5 गांवों में पाइप लाइन भी कामयाब नहीं हुई। पानी पीने को लोगों को मिलता नहीं है। यह फरेंदा तहसील की बात मैं कह रहा हूं। जिस स्कीम को लागू करना है, तो आपकी नियत दुरुस्त होनी चाहिए। जो नीचे के लोग हैं उनको उठाने के लिए ऐसी नीति आप अपनाएं जो विकास क्षेत्र पर कब्जा करें, ग्राम पंचायतों पर कब्जा करें। यह तभी सम्भव है जब नीचे की जनता चुन कर आयेगी और उनके माध्यम से यह काम होगा।

(श्री लालन शर्मा के पुकारे जाने पर)

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, 3 सदस्य उधर से बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। अब आप बैठें, बोलने दें।

श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं सामुदायिक विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, सामुदायिक विकास विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसने प्रदेश में बड़ी तरक्की की है।

[श्री लालन शर्मा]

इस विभाग ने हमारी जो 72,819 ग्राम सभायें और 8,791 न्याय पंचायतें चल रही हैं उनके विकास में कितना योगदान दिया है, यह कहने की बात नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष देखने की बात है। जिस समय ब्लाक बनाये गये और उनके द्वारा न्याय पंचायतों में ग्राम सेवकों की नियुक्ति हुई तो उन लोगों ने किस तरह से खाद और उन्नत बीज का प्रचार किया यह किसी से छिपा नहीं है। यूरिया खाद का इतना ज्यादा प्रचार हो गया कि आज यूरिया खाद मिल नहीं पा रहा है। आज सामुदायिक विकास विभाग ही ऐसा विभाग है जिसने जन-जन में जाकर आगे हाथ बटाया। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज इसी विभाग के परिश्रम का परिणाम है कि हमारे किसान उन्नत बीजों और कृषि के नये तरीकों को अपनाया है। उसी कारण हम देखते हैं कि आज हमारा उत्पादन भी बढ़ा है। पहले काश्तकार इतना प्रयोग नहीं करता था। पंचायतों को जो अनुदान दिया जाता था उसको हमारी सरकार ने देना बन्द कर दिया है, जिससे उनकी हालत में विपरीत प्रभाव पड़ा है। उनकी तरक्की बन्द हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि गांव सभायें जो राष्ट्र की पहली सीढ़ी का डण्डा है उनकी तरक्की के लिए उनको अनुदान देना आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि शासन इनको अनुदान देने की व्यवस्था करे और इसी तरह का जो भी प्रबन्ध हो सके करें। इससे गांव सभायें ही आगे नहीं बढ़ेंगी बल्कि जिला परिषदें भी उनके साथ ही उन्नति करेंगी।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने विकास कर लगाया है। हम लोगों ने प्रचार किया कि विकास कर से हमारी गांव सभाओं को कुछ न कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। लेकिन विकास कर का पैसा कहां गया इसका कुछ पता नहीं है। पता नहीं उस पैसे को किस मद में डाल दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस विकास कर का पैसा गांव सभाओं को देने की व्यवस्था की जाये जिनके पास पैसा नहीं है।

माननीय सदस्य, अब मैं अपने जिले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हरदोई पंचायत उद्योग है वहां पर पता नहीं कौन अध्यक्ष हुए हैं, जितना उसमें पैसा है सारा का सारा गबन हो गया है। मेरा निवेदन है कि आप उसका संरक्षण करें। विजीलेंस से आप उसकी इन्क्वायरी करायें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा के लोगों ने मेहनत करके माटवा ड्रेन का निर्माण किया, लेकिन जब से सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया है तब से आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वह ड्रेन रद्द हो गयी है। ग्राम सभाओं में हरिजनों को भूमि वितरण के सम्बन्ध में जो लेखपाल पैदा हो गये हैं उन्होंने ऐसा कोढ़ ग्राम समाज में पैदा कर दिया है कि वह गांव सभायें जो उन लोग की रीढ़ हैं उन्हीं को समाप्त कर रहा है। हरिजनों को भूमि वितरण के सम्बन्ध में सरकार की जितनी योजनायें हैं वे आज तक पूरी नहीं हुई हैं उनको पूरा कराया जाय। मेरे जिले हरदोई में भगवन्तनगर-मल्लावां-मेहरीघाट रोड पर से शाहपुर पचांर तक जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने स्वयं किया है, उसका श्री गणेश तो करा दिया गया लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष ने पार्टीबन्दी के आधार पर उसके कंट्रैक्ट ठेके कैंसिल कर दिये और आज पत्थर तो वैसा ही वहां पर लगा हुआ है लेकिन उसका काम बन्द कर दिया गया है। और वहां की जनता में उसके प्रति काफी रोष है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय।

मेरी एक और शिकायत है। हरदोई जिले में कोथावां ब्लाक से भरावन ब्लाक तक एक सड़क है। उसके सम्बन्ध में कहना है कि हजारों रुपयों का गबन है अतएव उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर उसकी ईंटें कहां बिकीं, कहां उसका मलवा पड़ा हुआ है, इसकी जांच का तत्काल प्रबन्ध करायेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, समय समाप्त हो गया।

श्री लालन शर्मा---

दो मिनट और दे दीजिये, अभी कुछ भी दो तीन बातें और कहनी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अब नहीं हो सकेगा । समय नहीं है ।

श्री लालन शर्मा---

अच्छा धन्यवाद ।

श्री मूलचन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि पंचायतें आज से नहीं वैदिक काल से चली आ रही हैं और इस बात को देखते हुए ही गांधी जी ने हिन्दुस्तान के अन्दर पुनः यह प्रस्ताव इस चीज का रखा कि पंचायतों का निर्माण हो और रामराज की स्थापना हो और एक सच्चाई का रास्ता देश के सामने आवे । लेकिन इसका जो कार्य है वह आज दूसरे रूप में पहुंच गया और जिस उद्देश्य को हम सोचते थे उस तरह से हमारे सामने नहीं आया है । ग्राम के अन्दर प्रधान और मेम्बर, न्याय पंचायत के अन्दर सरपंच और पंच और उनके अलावा पंचायत मंत्री, वी0एल0 डब्लू0 जिसको ग्राम सेवक भी कहते हैं कार्य करते हैं । ये सब है लेकिन इनके अन्दर कोआर्डिनेशन नहीं है जिसका होना बहुत जरूरी है । वी0 एल0 डब्लू0 और पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान और सरपंच के ऊपर अफसर समझते हैं और जो निर्धारित समय होता है उस पर वह नहीं पहुंचता है । तो उसके लिये समय निर्धारित होना चाहिये और उसके अन्दर न्याय पंचायत और गांव पंचायत का कार्य चलना चाहिये ।

इसके अलावा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर सन् 49 से आज तक जो कंस्ट्रक्शन्स हुए हैं, उनके प्रति देखना चाहिये कि उन कार्यों का आज क्या हाल है और खराब कार्यों के लिये कितने फंड की आवश्यकता है । गांव के अन्दर खड़ंजे लगाये गये हैं, हरिजनों के लिये पीने के पानी के लिये कुयें बनाये गये हैं, गलियों के अन्दर लालटेनें लगायीं गयी हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन का प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं चल रहा है और जो रुपया इन पर खर्च हुआ है वह बरबाद हो रहा है । हर साल बजट रखा जाता है, जो कार्य हुए हैं उनको कायम रखने के लिये रुपया अगर नहीं रखा जायगा तो मैं समझता हूं कि आप इसी तरह से खर्च करते रहेंगे और उनका कोई उपयोग नहीं होगा । मैं इसी लिये इसके लिये अलग से बजट की मांग करता हूं कि पुराने कार्य जो बिगड़ते जा रहे हैं उनके लिये बजट में व्यवस्था की जाय ।

इसके अलावा, एग्रीकल्चर के लिये वी0एल0 डब्लू0 जो कार्य करते हैं वह सुचारु रूप से गांव के लोगों के सामने नहीं आता है । वह किसानों से सम्पर्क नहीं रखता है बल्कि किसान उसको ढूंढता फिरता है और चूंकि उसकी एक जगह निश्चित स्थान नहीं होती वह मिलता नहीं, बी0डी0ओ0, ए0डी0ओ0 के पास शिकायतें की जाती हैं लेकिन वह समय पर उपलब्ध नहीं होता जिसके कारण कृषि को समय पर वस्तुयें उपलब्ध नहीं होतीं, समय पर उनको खाद नहीं मिलती और न पानी ही समय पर मिलता है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे वी0एल0 डब्लू के लिये गांव में ऐसी व्यवस्था करायें कि जिससे वह समय पर जाकर जो ब्लाक का कार्य है, उसे सुचारु रूप से कर सकें ।

[श्री मूलचन्द राजपूत]

जहां तक पशुपालन विभाग का संबंध है, उसके बारे में जो व्यवस्था की गई है उसका पालन सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या पशुपालन विभाग पंचायत विभाग के अन्तर्गत आता है ?

श्री मूलचन्द राजपूत--

जी हां, इसी हैडिंग के अन्तर्गत यह भी आता है । यह कार्य भी ब्लाकों के ही थ्रू होता है । तो मैं कह रहा था कि पशुपालन के जरिये हमारे ब्लाकों में नस्लों को सुधारा जाना चाहिये, वहां पर अच्छे सांड़ की व्यवस्था होनी चाहिये और अच्छे मढ़े दिये जायं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इसमें फैमिली प्लानिंग और लूप आदि का भी काम होता है।

श्री मूल चन्द राजपूत--

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गांवों में सफाई की ओर दिलाना चाहता हूं । गांवों में पीने के पानी के लिये कुयें और पंप लगाये हैं, और खड़ंजे बनाये गये हैं लेकिन उनकी सफाई का कोई भी प्रबन्ध नहीं है । बजट में भी कोई ऐसी आइटम नहीं है जिससे सफाई की मद में व्यय किया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सफाई के लिये वे अलग से बजट में रखें ताकि गांवों में भंगी को रखा जा सके जो इन खड़ंजों को क्रमानुसार साफ करता रहे । इसके अलावा जो पीने के पानी के कुएं हैं, उनके खड़ंजों और नालियों की भी वह सफाई करें ताकि मलेरिया जैसी बीमारियां गांवों में न फैलें।

सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी की जो बात है उसको भी मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं । वहां पर शौचालयों का और विशेषकर स्त्रियों के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । वे हमेशा ही रात के समय का इंतजार करती रहती हैं क्योंकि उनके लिए दिन में कोई व्यवस्था नहीं होती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि गांवों में टट्टियों की अवश्य व्यवस्था की जाय और विशेषकर स्त्रियों के लिए अलग से प्रबन्ध किया जाय।

इसके अलावा इस विभाग के अन्तर्गत उद्योग भी आते हैं। उद्योग चलाने के लिये जो व्यवस्था होनी चाहिये, वह ठीक से नहीं हो पा रही है । उनको न सीमेंट वगैरह ही मिल पाता है और वहां पर रोजगार जानने के लिये कोई व्यवस्था है । कौन-सी व्यवस्था किस जगह पर की जाय इसके लिये भी बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया ।

अन्त में मैं एक और बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । फाइनेन्स की आज बहुत जरूरत है । गांवों के अन्दर जो टैक्स पड़े हुए हैं, वे वसूल नहीं होते है। मेरी प्रार्थना है कि इसको वसूल कराया जाय। वी0एल0 डब्लू0 और सेक्रेटरी दोनों को लगाया जाता है लेकिन फिर भी वसूल नहीं हो पाता है। अतः अमीनों की नियुक्ति की जाय।

*श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश गांवों का देश है और हमारा प्रदेश भी गांवों का प्रदेश है । 85 प्रतिशत जनता हमारे गांवों में बसती है और जब तक गांवों की प्रगति नहीं की जायगी, सही मायने में हमारे देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है । इसीलिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

1975–76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 45– 203 सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या 66– स्थानीय निकायों का पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण तथा अनुदान संख्या 77– सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

महात्मा गांधी ने एक कल्पना की थी कि गांवों में पंचायतों की स्थापना की जायगी और उन्हीं के द्वारा देश और प्रदेश की जनता को समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो यह कल्पना थी कि इसका विकास होगा उस रूप में नहीं हो पा रहा है। वह इसलिये कि इसमें कुछ कमियां पायी जा रही हैं। जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है, उनको बहुत कम अधिकार दिये गये हैं जिसके कारण जिस तरह से गांव का विकास हो ा चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। आज हमारे प्रदेश में 72,819 गांव सभायें और 8,791 न्याय पंचायतें हैं। यदि इनको पूर्ण रूप से सक्षम बनाया जाय और इनको अधिकार प्रदत्त कर दिये जायं तो हमारे प्रदेश की बहुत तेजी से उन्नति हो सकती है। सामुदायिक विकास के अन्तर्गत जो त्वरित योजना का कार्यक्रम बनाया गया है, सरकार की बड़ी पवित्र भावना थी कि इसके द्वारा गांवों की तरक्की होगी, वहां निर्माण कार्य किये जायेंगे। बहुत से निर्माण-कार्य तमाम विभागों द्वारा गांवों में किये जाते हैं। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा उनका निर्माण किया जायगा। सरकार ने बहुत सोच समझ कर उनको यह काम सौंपा था। लेकिन खेद है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और बड़ा घपला पाया जा रहा है उन ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं के द्वारा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फैजाबाद जिले में ग्रामीण अभियंत्रण में काफी रुपया दिया गया था सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिये लेकिन उसमें बहुत अनियमिततायें बरती गयीं। लाखों-लाखों रुपये का घोटाला वहां पर पाया गया। हम लोगों ने उसकी शिकायत की थी और उस पर जांच हुई। हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे मंत्री जी ने इस संबंध में कठोर कदम उठाये और जो भ्रष्टाचार पाये गये उसमें फैजाबाद के इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर सब की सेवायें समाप्त कर दी गयीं। लेकिन जो लाखों-लाखों रुपये का घोटाला पाया गया है वह उनकी केवल सेवायें समाप्त कर देने से पूरा नहीं हो सकता है। उन्होंने फर्जी तरीके से रुपये का खर्च होना दिखाया था। आज उन सड़कों की पहले से भी अधिक दुर्दशा हो गई है। निर्माण करने से पहले तो हम उन पर चल भी सकते थे लेकिन निर्माण के बाद उनकी दशा और भी खराब हो गयी है और आज उन पर साइकिल का चलना भी दूभर हो गया है। जो रुपया बरबाद हो गया है वह संबंधित इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और अन्य बड़े अधिकारियों से वसूल होना चाहिय और उस रुपये से उन सड़कों का निर्माण करना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तबतक समस्या हल होने वाली नहीं है। यह नहीं, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर मुकदमे भी चलाये जायं क्रिमिनल आफेंस मान कर और उनको दंडित किया जाय। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा और अगर दंडित होंगे तो दूसरे लोग डरेंगे।

हमें बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने जन शक्ति संचालन निदेशालय की स्थापना की है। उससे हमें आशा है कि हमारे गांवों में श्रमिक हैं उनका सदुपयोग हो सकेगा और निर्माण कार्य हो सकेगा। हम यह भी चाहते हैं कि पंचायतों को शासन की तरफ से निर्देश दिये जायं कि हर गांव सभा महीने में कम से कम एक दिन श्रमदान करायेगी। अनिवार्य रूप से श्रम दान करेगा। इससे वहां सड़कों और गलियों का निर्माण होगा और कर देने के कारण जो उनमें उदासीनता आ जाती है वह दूर होगी।

आज देखा यह जाता है कि गांव समाज की आराजी पर लोग अपना कब्जा कर लिया करते हैं, अतिक्रमण होता रहता है। इसको रोकने के लिये गांव सभाओं को व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये ताकि गांव सभा ऐसे लोगों को हटा सके और उन पर जुरमाना भी डाल

[श्री सीताराम निषाद]

सके । इससे गांव सभा की आमदनी को भी बढ़ाया जा सकेगा । इससे जो भूमि निकलेगी उसे भूमिहीनों में बांटा जा सकेगा और निर्माण के तमाम कार्य भी हो सकेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का इस शर्त के साथ समर्थन करता हूं कि भविष्य में इसका दुरुपयोग नहीं होगा ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये आपके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समथन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह सामुदायिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता से संबंध रखता है । जनता के सम्पर्क में आने वाले सभी विभाग—पशुपालन, सहकारिता, कृषि, स्वास्थ्य आदि सभी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । इस लिये इस विभाग का महत्व और भी बढ़ जाता है । इस विभाग का कर्तव्य है कि वह 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सर्वांगीण विकास को सुनियोजित ढंग से करें । आज जो भी हमारी योजनायें रही हैं वह त्रुटिपूर्ण रही हैं । इन योजनाओं के बनाने वालों ने केवल खर्चे को महत्ता दी है आज हमारी छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक कोई स्वावलम्बी नहीं है । आज गांव सभा विकास खंड की ओर देखती है, विकास खंड जिले की ओर देखता है, जिला प्रदेश की ओर देखता है, प्रदेश केंद्र की ओर देखता है और केन्द्र अमेरिका और रूस की ओर देखता है । यह है हमारी योजनाओं का परिणाम ।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है । यहां आवश्यकता यह थी कि कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता । सिंचाई की सुविधायें हमारे प्रदेश में आज 25 प्रतिशत से भी कम है । आज भी 16 करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जो जोती नहीं जाती । सहकारिता विभाग के काले कारनामें गांव का हर व्यक्ति जानता है और वह उससे परेशान है । जिस गांव में जाइये वहां सहकारिता विभाग की शिकायत सुनने को मिलती है । सामुदायिक विकास विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूर्णतया असफल रहा है । 14 जुलाई, 1952 को डेवलपमेंट कमिश्नर ने आल इंडिया रेडियो से भाषण करते हुए कहा था "जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस प्रकार की योजनाओं का ध्येय जनता में अपने सुधार के प्रति उत्साह की जागृति पैदा करना है और दूसरा उन सुधारों में जनता का सहायक होना है । सदियों की गुलामी ने हमें भुला दिया है कि हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह अच्छा जीवन व्यतीत करे, भूख का उसे डर न हो ।" आज इस प्रकार की भावना जो हमारे सामुदायिक विकास के अन्तर्गत अधिकारी हैं, उनमें होनी चाहिये कि वे जनता में जागृति पैदा करें । पहले वे अधिकार ही चाहते हैं जिसकी वजह से मुल्क में भ्रष्टाचार पनप रहा है । जो आपकी योजना है उसके संबंध में मुख्य रूप से मैं यह बात रखना चाहता हूं कि देश के अन्दर जो हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों के समय के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सुनिश्चित होकर प्रगति में उपयोग करें । हमारे संसाधन श्रम भूमि और पूंजी तीन आवश्यक रूप से हैं । पूंजी के लिये दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है और हमारे नियोजनकर्ता पूंजी प्रधान तरीकों पर ही अधिक ध्यान देते हैं । आज श्रम और भूमि के ऊपर ही विशेष ध्यान होना चाहिये । उसके न होने से ही देश के अन्दर बड़ी बेकारी फैली हुई है । आजादी के बाद हमारी आबादी 20-25 करोड़ बढ़ी है लेकिन जहां तक नौकरी देने का प्रश्न है, इस विषम परिस्थिति के अन्दर देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है । 20 लाख व्यक्तियों को भी हम काम नहीं दे पायें हैं ।

अब मैं विकास खंडों के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । वैसे तो माननीय मंत्री जी अपने भाषण के आखिर में कह देंगे कि इन सुझावों को मानने में वे असमर्थ हैं । इस बजट के मौके पर वे भले ही मेरे सझावों को न स्वीकार करें लेकिन जो आपकी नीति

इस तरह की भविष्य के लिये ही उसे स्वीकार करें। त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत आदि के लिये जो रुपये ब्लाकों में मिले तो उनको वापस कर दिया जाता है। मैं अपने जिले शाहजहांपुर की बात बतलाऊं कि वहां कटरा और जैतीपुर ब्लाक को जो रुपये सड़क निर्माण के लिये मिले थे वे सारे के सारे रुपये वापस कर दिये गये। त्वरित योजना के अन्तर्गत तो आपका कर्तव्य है कि जनता के पास जायं और सरकार के पास पैसा नहीं है तो वह लेवी के सम न जनता को श्रमदान के लिए जोर दे सकती है। जनता से जबरदस्ती न की जाय, जनता की सहायता प्राप्त की जाय। बी0 डी0 ओ0 और ए0 डी0 ओज0 को अपना यह कर्तव्य समझना चाहिये कि उनको अपना उत्तरदायित्व निभाना है और समझा बुझा कर वे जनता को प्रोत्साहित करें कि त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण हो।

दूसरी बात यह कि हमारी कुछ गांव सभायें ऐसी हैं जिनमें 15–15 गांव शामिल हैं और जहां हजारों की आबादी है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां की आबादी केवल 200 वोटर्स की है। जहां बड़ी-बड़ी गांव सभायें हैं वहां उनके साथ इंसाफ नहीं होता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि उनको वहां विभक्त देना चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि हर जिले में परिसीमन किया जाय जिससे उनके साथ इंसाफ हो सके। माननीय मन्त्री जी को चाहिये कि वे इसके लिये जो विकास कर लगाते हैं या लगान वसूल करते हैं उसका कुछ अंश गांव सभाओं को अवश्य मिलना चाहिये ताकि गांव सभायें अपनी जगह पर स्वावलम्बी हो सकें। हर चीज के लिये जनपद की ओर या और किसी संस्था की ओर न देखें, तभी हमारे गांव सभाओं के अन्दर उन्नति हो सकती है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे यह सुअवसर दिया कि माननीय सामुदायिक विकास और पंचायती राज मंत्री जी ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है उसके संबंध में दो शब्द कह सकूं। मान्यवर, जितने भी विभाग प्रदेश में हैं, मैं यह मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग यदि कोई है तो वह सामुदायिक विकास विभाग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस प्रदेश में केवल एक ही विभाग का निर्माण हुआ है, जो उसके पूर्व नहीं था, और वह सामुदायिक विकास विभाग है। हम जानते हैं, मान्यवर, कि इस प्रदेश में 85 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये, भावनाओं के परिवर्तन के लिये, यह आवश्यक था कि सरकारी स्तर पर एक ऐसे विभाग का निर्माण किया जाय जो गावों में जाय और जो आवश्यक परिवर्तन करने की जरूरत हो उसे वहां जाकर वह करे।

मान्यवर, शुरू-शुरू में जब सामुदायिक विकास के सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ। तो गांवों में विकास के प्रति बड़ी लगन थी। गांव-गांव में श्रमदान खड़ंजा, गांधी चबूतरा, पुस्तकालय तथा शिक्षा संस्थाओं के निर्माण का युग सन् 51–52 से शुरू हुआ और वह अनवरत चलता रहा और ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया कि मान्यवर, गांव में यह कहना कठिन हो गया कि गांव के लोग जो हमारी विकास योजनायें हैं वह उनको नहीं समझा पा रहे हैं। इसका श्रेय यदि किसी को है तो जो सामुदायिक विकास विभाग के कर्मचारी हैं उन का है। मैं मानता हूं कि मान्यवर, राजनैतिक परिवर्तन 1 घंटे में संभव है। आर्थिक परिवर्तन कुछ वर्ष में संभव है। लेकिन जहां तक रुढ़िवादिता का प्रश्न है सैकड़ों वर्ष इसके परिवर्तन में लगते हैं। तो इस सैकड़ों वर्ष में जो काम संभव था उसको कुछ वर्षों में करने का श्रेय हमारे इस सामुदायिक विकास विभाग को जाता है। हमारी जो आकांक्षायें थीं उसके अनुसार इन सारे कार्यों को करने के लिये मैं इनको बधाई देना चाहता हूं।

[श्री देव बहादुर सिंह]

आप देखें, यह सूची है । कौन सा कार्य है जो उनके ऊपर नहीं दिया गया है । पशु-पालन, फैमिली प्लानिंग आदि जो कार्य हैं यह सामुदायिक विकास विभाग और पंचायती राज के कर्मचारियों के ऊपर पूरी तरह से डाल दिया जाता है । इसके बाद भी यह चर्चा होती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । आप देखें किस जोश से ये कर्मचारी इस विभाग में आये थे और किस जोश के साथ, किस चारित्रिक बल के साथ आये थे उसमें काम करने के लिये, ग्रामीण अंचलों का विकास करने के लिये । काम बड़े जोश से हुआ । 1960 में यह ज्ञात हुआ कि जो संविधान में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात है हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इसलिये सन् 1961 में क्षेत्र समिति, जिला परिषद् अधिनियम पारित हुआ और एक ऐसा अधिनियम बना जो हमारे लिये आदेश है । यदि हम इसको कार्यरूप में परिणत कर सकें तो जो विकेन्द्रीकरण के स्वरूप की कल्पना हम करते हैं उसको मूर्त रूप दे सकते हैं । यदि क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम की धाराओं के अनुसार नियम बना कर उन्हें मूर्त रूप दें तो हमारी कल्पना साकार हो सकती है । लेकिन अभी तक हम ऐसा कर नहीं पाये हैं ।

आप एक बात देखें यहां पर बोबारोमण करते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं । आप क्या चाहते हैं कि जो ग्राम सेवक हैं क्या वह ग्राम सेवक ही रह कर अवकाश ग्रहण करे । जो सहायक विकास अधिकारी है क्या वह सहायक विकास अधिकारी के रूप में ही अवकाश ग्रहण करे ? आज इन्सेंटिव उनके सामने क्या है ? जब तक उनके सामने कोई इन्सेंटिव नहीं होगा जिस उत्साह और जिस लगन से काम उनको करना चाहिये, वह उस उत्साह से काम नहीं कर पायेंगे । जगन प्रसाद रावत, जो कमेटी बनी थी वह इसीलिये बनी थी कि वह कुछ सुझाव दे कि पंचायत राज, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों में कौन सा परिवर्तन किया जाय जिससे वह सक्रिय और गतिशील बन सके । कमेटी की कई बैठकें हुईं । लेकिन शायद कमेटी भंग भी हो गयी । उसकी संस्तुतियां क्या हैं आज तक हम नहीं जान पाये ।

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज यह प्रदेश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हमें विचार करना होगा कि पंचायती राज, क्षेत्र समितियां, जिला परिषदों को जो गतिशीलता है इसको कैसे बनाया जाय । आज इनकी ओर आप देखें तो पता चलेगा कि इनके पास पैसा नहीं है । इसके लिये, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये वित्त निगम का निर्माण किया जा चुका है । आपने बजट भाषण में देखा होगा कि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि विकास कर जो पिछले साल लगा था उसमें से 1 करोड़ 44 लाख रुपया जिला निधि में आवंटित किया जायगा । 2 करोड़ 53 लाख रुपया क्षेत्र तथा ग्राम समितियों में आवंटित किया जायगा । तो यह कहना कि विकास से गांवों का विकास नहीं किया जायगा, यह गलत है । इसीलिये मैं कहना चाहता हूं, और स्वागत करता हूं, कि हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करने के लिये भी कदम उठाती है ।

माननीय, जगन प्रसाद रावत कमेटी बनी किन्तु उसका कोई सुझाव नहीं आया, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें एक कमेटी बने जो सुझाव दे कि पंचायतराज को किस प्रकार सक्रियता प्रदान की जा सकती है । गांव सभाओं के प्रधान के साथ जो प्रधान रह चुके हैं उनको पता है, कि हड्डी और कबाड़ बेचकर जो पैसा आता था वह जिला परिषद् को चला गया और ग्राम सभाओं की आर्थिक स्थिति पर इसने कुप्रभाव डाला है । मैं निवेदन करूंगा कि उसको फिर से देखें और ग्राम सभाओं को देने की कृपा करें ।

माननीय, पंचायत उद्योग की बात है तो मैं एक बात कहूंगा कि यदि उनकी शुरुआत से ही कठोर नियंत्रण और सतर्कता बरतेंगे तभी उनका विकास अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे । इसके साथ मैं मन्त्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 207 45--सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या 66- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण तथा अनुदान संख्या 77-सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं बजट के कटौती के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज से 27 साल पहले महात्मा गांधी ने यह तय किया था कि पंचायतराज हम कायम करें और वह ऐसा हो कि जिसमें 85 प्रतिशत मजदूर और काश्तकार जो देहात में रहते हैं हों। लेकिन उनका वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ जो महात्मा गांधी जी ने देखा था। आज उस पंचायतराज में हम गांव प्रधान से लेकर चलें तो गांव प्रधान में ग्राम सभायें होती हैं और उसमें मेम्बर होते हैं जो प्रधान को चुनते हैं। मीटिंग होती हैं और यदि उसमें तय हुआ कि गांव में खड़ंजा लगे तो खड़ंजा लग जाता है लेकिन फिर उसका सुधार करने वाला कोई नहीं है। नाली में पानी भर जाता है और इस प्रकार 2 महीने में ही वह खड़ंजा बेकार हो जाता है। इसी प्रकार यदि पंचायत राज से बिजली आयी तो वह सवर्णों के वहां लग जाती है लेकिन हरिजन बस्ती में और गरीब के वहां चाहे वह कहार हो, मल्लाह हो या सैनी उसके वहां खम्भे तक नहीं लगते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ग्राम समाज का मतलब पंचायत और ब्लाक होता है। ब्लाक में ग्राम सेवक और पंचायत मंत्री होते हैं जिनके हाथ में ग्राम का काम होना चाहिये था लेकिन एक अलग से संगठन हुआ लेखपाल का। यह सब अलग-अलग जगहों पर रहते हैं। ग्राम सभा का सेक्रेटरी लेखपाल को बना दिया और लेखपालों की हालत को देख रहे हैं कि ग्राम समाज की जितनी जमीन है वह आवास के लिये हरिजनों को दी गयी लेकिन उनकी हालत बेढंगी है। पटवारियों की हालत है कि जिस जगह का कब्जा मुद्दत से हरिजन का है उसको दूसरे के नाम से रसीद काट देते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि न जमीन हरिजन को मिल पाती है और न उसको। पूरी तरह से बरबादी के लक्षण हैं।

माननीय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि अगर किसान ब्लाक से खाद लेने जाता है तो कई दिनों तक लटका रहता है। मंत्री जी को याद होगा कि पिछले दिनों यह आदेश हुए थे कि जो खाद गई है वह पुराने रेट पर यानि 55 रु0 प्रति बोरी के हिसाब से दी जायगी, लेकिन काश्तकार को पुराने रेट पर खाद नहीं मिली बल्कि उन बोरियों का ब्लैक किया गया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आप जिला परिषद् का चुनाव कराते हैं और इससे पहले ब्लाक प्रमुख का चुनाव होता है। हरिजनों के लिये आपने अलग से कोटा फिक्स कर रखा है रिजर्वेशन के तौर पर, लेकिन होता यह है कि अगर कोई हरिजन जनरल सीट से चुनकर आ जाता है तो उसका कोटा रिजरवेशन की सीट से काट दिया जाता है। यह बात नहीं होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने उद्योग धंधों की बात कही। काश्तकार को अपने ही काम से फुरसत नहीं वह उद्योग-धंधे क्या संभाल पायेगा। लेकिन जिन्हें उद्योग धंधे मिलने चाहिये उन्हें नहीं मिलते हैं। आपने कहा कि नाई को उद्योग धंधा दिया है, ठीक है, लेकिन जब जिला परिषद् का मेला लगता है तो अगर नाई बाहर अपनी दुकान लगाकर बैठ जाय और टैक्स न दे तो पीट-पीट कर बाहर कर दिया जाता है। इससे सुधार कहां हुआ ?

गांव सभाओं में लालटेनें लगा दी गईं, लेकिन तेल देने वाला कोई नहीं है। अगर प्रधान से तेल के लिये कहा जाता है तो वह कह देता है कि मेरे पास बजट नहीं है तो इससे क्या लाभ। अगर आपने खम्भे लगाये हैं, लालटेनें लगाई हैं तो कम से कम तेल का भी इन्तजाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द राम]

हो जाय रोशनी के लिये । आज डकैती होती है, सरे शाम लोग घरों में घुस जाते हैं, लेकिन रोशनी का प्रबन्ध नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया ।

श्री नन्दराम--

एक मिनट और चाहिये । मेरे पास ग्राम खेड़की से कुछ काश्तकार आये । उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक से जो कर्जा पंपिंग सेट लगाने के लिये लिया था वहां से न तो कर्जा मिला और न पंपिंग सेट । होता यह है कि उस बैंक से कर्जा बिचौलियों को मिलता है और नतीजा यह होता है कि महीनों तक पंपिंग सेट नहीं लग पाता और आखिर में वह लाला कर्जा लेकर फरार हो जाता है और उन बेचारों की जमीन बिकी क्योंकि कर्जा उनके नाम से था । मैं अन्त में एक बात कहकर समाप्त करता हूं कि जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, पंचायत राज अच्छी चीज है--लेकिन,

'बरबाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पर उल्लू बैठा है, अन्जामे गुलस्तां क्या होगा ।'

श्री तेज सिंह--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । वैसे हमारे मंत्री जी बहुत ही सीधे-साधे और अनुभवी हैं लेकिन 21,85,43,200 रुपये तीनों अनुदानों में आपने स्वीकृति की जो बात कहीं यह रुपया 40 लाख के लगभग एक जिले के हिस्से में आता है । मेरा अन्दाज है कि यह सारा का सारा तनख्वाह, भत्ते और पेट्रोल पर खर्च हो जाता है, विकास के लिये पैसा है नहीं । मंत्री जी को केवल पढ़े लिखे लोगों की फौज मिली हुई है और यह पैसा उनकी तनख्वाह तथा भत्ते के लिये चाहिये । मेरे एक साथी कह रहे थ कि अगर इस महकमे को खत्म कर दिया जाय तो सारा रुपया विकास में लग सकता है । लेकिन इस महकमे को रहना चाहिये ताकि पढ़े लिखे लोगों को वेतन यह सरकार देती रहे और उनके सुझावों पर काम हो कर पंचायतराज का स्वप्न पूरा हो सके ।। आपको अपने अनुभव के आधार पर ऐसे सुझाव पेश करने हैं जिनको कार्यान्वित करने से ये पंचायतें जीवित हो सकें जो आज मर चुकी हैं । चुनाव के बाद उनमें कोई कार्य नहीं होता सिवा दो तीन मीटिंग्स के । मेरा सुझाव है कि जो सदस्य तीन बैठकों मीटिंग में न जाय उसको हटा दिया जाय और इसी तरह से जो पंचायती अदालतों में सरपंच तीन मीटिंग में शरीक न हो उसे भी हटा दिया जाय । यह नियम में तो है लेकिन उस पर अमल नहीं होता ।

आपके कर्मचारी घूम कर दस्तखत कराते हैं लेकिन आप प्रधान व सरपंच को नहीं हटा पायेंगे लेकिन सरकारी कर्मचारी जो हस्ताक्षर सदस्यों के आप रजिस्टर लेकर करा लेते हैं उन्हें तो हटाने की कृपा करें । एक महीने का प्रोग्राम हर मंत्री और ग्राम सेवक का हर प्रधान और सरपंच के पास होना अति आवश्यक है ताकि पता हो कि वह कहां रहता है और उसका एक वास्तविक निवास स्थान उसके क्षेत्र में होना भी जरूरी है ताकि प्रधानों को पता रहे कि उनका ग्राम सेवक फलां जगह रहता है । आज उनको आप पेंशन दे रहे हैं इसलिये कि महीने भर कोई काम नहीं होता और मीटिंग केवल तनख्वाह के लिये होती है । अंग्रेज के जमाने में सब 37 की मिनिस्ट्री बनी थी ग्राम सुधार विभाग स्थापित हुआ । उनका काम आज भी दिखाई देता है । 37 के खंडंजे आज भी दिखाई देते हैं लेकिन 27 साल के खडंजे कैसे हैं उन्हें भी आप देख रहे हैं । ग्राम सभा टैक्स का पैसा किस तरह से वसूल हो रहा है । मेरा सुझाव है कि जहां पर टैक्स का पैसा वसूल न हो वहां सेक्रेटरी को निकाल दिया जाय । आप यह व्यवस्था भी

करें कि अपनी तरफ से गांव में किसी तरह का टैक्स जो लगे वह गांव में ही खर्च हो और देखें कि वह किस प्रकार से खर्च हो ?

अब श्रमदान की बात मेरे मित्र ने की और कहा कि 10, 15 परसेंट सरकार उसके लिये पैसा दे लेकिन इस सरकार के पास सिवा सेक्रेटरीज और सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह देने के अलावा कोई पैसा नहीं है और तनख्वाह से अलग-अगर इसके पास कोई पैसा है तो सूद देने के लिये है उस पैसे पर जो सरकार ने ऋण के रूप में ले रखा है । इसके अलावा काम के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है । यह सोचने की बात है कि जब काम के लिये पैसा नहीं है तो कारों पर घूम कर पुलिस की सलामी लेने से मन्त्री जी की शान नहीं बन जाती । जो हालत पंचायती प्रदेश की है और वही पंचायतों की है मैं समझता हूं वही हालत आज इस विधान सभा की भी दिखाई पड़ रही है । इसी विधान सभा में हमारे कुछ माननीय मित्र कह रहे थे कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिए । होना तो बहुत कुछ चाहिये लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के बाद आपके पास कोई पैसा नहीं है तो कैसे आप इतनी योजनायें चलायेंगे । इसके लिये कोई आपके विचारों में शुद्धता है, कितने आप प्रभावशाली हैं कि लोग आपका अनुकरण करें और आपसे काम करना सीखें । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कम से कम एक-एक ब्लाक में एक-एक आदर्श ग्राम सभा बनाने की कोशिश आपके कर्मचारी करें । यह आदेश आप दे दें कि एक-एक ब्लाक में एक-एक आदर्श ग्राम सभा बना दो तो दूसरे को अपने आप ही इससे सबक मिलेगा ।

मेरे एक माननीय मित्र ने बताया कि इटावा जिले में अछल्दा ब्लाक में एक लोचन सिंह ए० डी० ओ० पंचायत हैं । एक शिकायत पर उनका तबादला किया गया और फिर रोक दिया गया । शिकायत पर तबादला आप करें और फिर उसी को आप ही रोक भी दें तो यह सब क्या है ? यदि आपका हृदय माने कि जो आपने किया वह सही किया है तो फिर उसे आप दोहराते क्यों हैं । मैं आशा करता हूं कि किसी की सिफारिश पर मंत्री जी न जायं और जो उनकी आत्मा उस सम्बन्ध में कहती हो वही करें । इसे आप पार्टी से ऊपर उठकर करें चाहे उसका पार्टी को नुकसान ही क्यों न हो । आप अपनी आत्मा को प्रबल रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए किसी का तबादला किया है तो उसे आप नहीं रोकें । इससे एक अच्छी परम्परा रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हुआ ।

*श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब अपने देश में आरम्भ किया गया तो इसको चालू करने के लिये कर्मचारियों की एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे हम मिशनरी की टीम कहते थे । जब ये कर्मचारी, यह टीम गांवों में गई सामुदायिक विकास के सन्देश को लेकर कि उससे गांवों में नई जिन्दगी आयेगी, उनके खेत अच्छे होंगे, उनके जानवर अच्छे होंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, गांवों में सफाई होगी, वहां बेकारी नहीं होगी, छोटे-मोटे उद्योग धन्धे होंगे तो तभी तक शासन और सरकार का ध्यान इन गांवों की तरफ रहा, तभी तक कर्मचारियों में उसके प्रति जोश-फरोश रहा लेकिन जैसे ही सरकार गावों की ओर से विमुक्त हुई, किसानों के लिये उसने बजट कम कर दिया, योजनाओं को काट दिया और आज हालत यह हो गई है कि इन ब्लाक के कर्मचारियों के पास कोई प्रोग्राम, कोई योजना नहीं रह गई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिव प्रसाद]

यह इन कर्मचारियों का दोष नहीं है बल्कि इस सदन में बैठे हुए, इस महल में बैठे हुए लोगों का दोष है । वे तो प्रशिक्षित लोग हैं, काम करने के लिये तैयार हैं किन्तु यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप उनकी सेवाओं का उपयोग कैसे करें ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं हम भी सन्देह करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी देखना होगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे ब्लाक प्रमुख हैं, जो प्रधान हैं, ...

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

प्रधानों को अविश्वास प्रस्ताव से निकाल दिया है, कितने ब्लाक प्रमुखों को निकाल दिया है, कितनों पर मुकदमा चल रहा है । ऐसे वातावरण में जहां भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो, जहां पर बड़े-बड़े अधिकारी आई० ए० एस० आदि अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हों वहां छोटे कर्मचारियों से इस तरह की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं । आज भ्रष्टाचार का वातावरण सारे देश में छाया हुआ है । आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि किसी विभाग में भ्रष्टाचारी कर्मचारी नहीं होंगे । लेकिन सभी ऐसे नहीं हो सकते हैं । आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें आप उनको ठीक करें, आप उनमें सुधार करें । अगर आप प्रधान या ब्लाक प्रमुख को अविश्वास के प्रस्ताव से निकालते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि पंचायती राज खत्म कर दिया जाय । बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश होनी चाहिये ।

हमारे विकास के कर्मचारी अगर कोई इस बात के लिये दोषी हैं, या उनमें कोई दोष है तो उसके लिये यह मानना होगा कि सरकार की नीतियों में कमी है । इसका आप सुधार करें, उनकी बुराइयों को दूर करें । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको कोई प्रोग्राम ही न दें, उनको आप योजनायें न दें, उनकी शक्ति का आप उपयोग न करें, उनकी क्षमता का आप उपयोग न करें । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब आपके काम 1953–54, 1955–56 में विकास के शुरू हुए तो उस वक्त के उनके कामों को देखें उस वक्त बी० डी० ओ०, ग्राम सेवक आदि ने नेकर पहन कर धूप में काम किया, बरसाती नदियां पार कर काम किया शीत में खड़े होकर काम किया । उन्होंने अपने को कर्मचारी न समझकर जनता का सेवक समझ कर काम किया और बड़ी-बड़ी योजनायें पूरी कीं । तो आज वही लोग हैं जिनके ऊपर आप निर्भर करते हैं । यह बात आपके ऊपर है कि आप उनकी क्षमता को कैसे उपयोग करते हैं । आज उनमें बड़े पैमाने पर हतोत्साह पैदा हो गया है । आपका काम है कि आप उनमें इमोशनल इंटीग्रेशन पैदा करें । अगर यह नहीं करेंगे तो उनकी शक्ति का उपयोग नहीं हो सकेगा । उन्होंने बड़ी मेहनत करके बांध और नालियां बनाई हैं, उन्होंने गांवों में जिन्दगी लाई है । आज जो ब्लाक सुनसान दिखाई देते हैं, आज जो कर्मचारियों के पास काम नहीं है, आज उनके पास बजट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है तो इसमें उनका क्या दोष है । दोष आपका है जोकि आप उनको काम नहीं देते हैं । यह आपके ऊपर है कि आप उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं ।

यही नहीं आज जिला नियोजन कार्यालयों के पास 10 साल से जीपें खड़ी हैं उसमें जो वहां के ग्राम सेवक हैं उनका दोष नहीं है बल्कि जो जिलानियोजन अधिकारी या दूसरे अधिकारी वहां जाते हैं वह क्यों नहीं देखते हैं । अगर वह समय पर नीलाम हो जातीं तो ठीक रहता लेकिन वह बाहर पानी में भीग रही हैं । 10 वर्ष बाद उनका एक पैसा नहीं मिलेगा । तो इस तरह की कमजोरी हर स्तर पर है । मैं विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस बात की कोशिश करें कि जो हमारी सामुदायिक योजनायें हैं उनका पुनरीक्षण हो । उनको प्रोग्राम दिये जायं, उनको बजट दिया जाय ताकि वह लोग गांवों में जिन्दगी पैदा कर सकें और उनकी शक्ति का सदुपयोग हो सके ।

*श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सामुदायिक विकास की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। यह सही है कि आजादी के बाद गांवों में जो तरक्की या विकास हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। गांवों में पंचायतों की स्थापना हुई, विकास हुआ, ग्राम सेवकों की स्थापना हुई, तरह-तरह के रास्ते बनाये, छोटे-छोटे स्तर पर सरकार ने ध्यान दिया और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य चलायें, किसानों को सुविधाओं के लिये, उनकी कृषि के विकास के लिये ग्राम सेवकों ने मेहनत और लगन के साथ कार्य किया वह आज किसी से छिपा नहीं है।

आज जो कृषि में उन्नति हुई है, आज जो गांवों में विकास हुआ है, यह उसी की देन है, यह सरकार की देन है। इस विभाग के द्वारा कोई भी गांव का ऐसा कार्य नहीं छूटा है, जो कि ग्रामीण विकास के लिये न किया जा रहा हो--लघु सिंचाई, कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि। लेकिन जहां तक जानकारी मिली है और देखा भी जा रहा है कि पहले की अपेक्षा इधर इसमें इतनी अनियमितताएं और लापरवाही बढ़ती जा रही है कि पहले इसका जहां जनता में गुणगान होता था, आज उस स्तर पर ग्रामों में उसकी दशा पहुंच चुकी है कि देखकर दुख: पहुंचता है और उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे पंचायत सेवकों को ले लिया जाय, ग्रामसेवकों को ले लिया जाए, बी0 डी0 ओ0 को ले लिया जाये या प्रधानों को ले लिया जाये। मान्यवर, इसमें ग्रामों का विकास तो नहीं हुआ है, सामुदायिक विकास की वृद्धि तो नहीं हो रही है, लेकिन अफसरों का विकास इधर जरूर हो रहा है। आज गांवों में जो तरह-तरह की योजनाएं हैं, उनके आंकड़े जो पुस्तिका में दिये गये हैं, वे कहां तक सही हैं यह नहीं कहा जा सकता है। जैसे लघु सिंचाई के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं-कुयें, रहट और बोरिंग आदि के सम्बन्ध में।

हमारे अधिकारी वर्ग कर यह रहे हैं, ग्राम सेवकों और पंचायत सेवकों के द्वारा किसानों को इसके बारे में जानकारी देने के बजाए, उन को प्राइवेट फर्मों पर निर्भर बना रहे हैं। सारे विभागों को चाहिए कि वे किसानों को सारी सुविधाएं प्रदान करें और उन्हें नई से नई जानकारी दें। आप देख रहे हैं, जिसकी एक छोटी सी दूकान है, पाइप की दूकान खोलकर बैठ गया है, तो थोड़े दिनों बाद वह इतना धनी होता जा रहा है कि कुछ कहना नहीं है और वहीं हमारे सरकारी विभागों को देख लें वहां घाटा ही घाटा है। इसका कारण है कि जो भी सामान एक अफसर द्वारा खरीदा जाता है, वह दूसरे अफसर के आने पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसे वैसे ही पड़े रहने दिया जाता है और नया अफसर फिर अपने मनमाने ढंग से उस सामान को पुन: खरीदता है। क्योंकि उसको इस खरीदारी पर फिर से बड़ा-बड़ा कमीशन प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, ये अधिकारी किसानों को तरह तरह की घूस लेकर परेशान करते हैं। वे प्राइवेट फर्मों से काम करवाते हैं। जैसे लघु सिंचाई विभाग में 2-3 जिलों में लाखों रुपये के सामान पड़े हुए हैं। यदि उनको बेचकर सरकार उनका अन्यत्र इस्तेमाल करे तो किसानों को बड़ा लाभ हो सकता है।

इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि सुल्तानपुर जिले में एक एम0 पी0 सिंहल, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके विरुद्ध 2 लाख 34 हजार रुपये के गबन का मामला चल रहा है। लेकिन हमारे अधिकारी लिखा- ढ़ी करने के बावजूद भी शान्त बैठे हुए हैं। यहां के एक के0 पी0 त्रिवेदी हैं, उनका भी एकमात्र यही काम है। जो इस विभाग में डेपुटेशन पर आए हैं इरीगे-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुक्मराज]

शन के ऊंचे लोगों से उनका धंधा फिट है, इसलिये इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनको छिपाया जा रहा है । इसी तरह से एक के0 डी0 अग्रवाल हैं, चाहिये यह कि उनके विरुद्ध कार्यवाही हो । लेकिन कागजात उनके खिलाफ लिखकर दिये जाते हैं, तो मंत्री जी कहते हैं कि पता नहीं क्या हुए । मेरा निवेदन है कि विभाग के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाए, जिससे जनता और किसानों का अधिक से अधिक भला हो सके । और एक बात बताना चाहता हूं । यह विभाग कई अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है । इन पर एक अधिकारी का संतुलन नहीं है । जैसे माइनर इर्रीगेशन में एक विभाग के ऊपर कम से कम तीन अधिकारी हैं । अगर शिकायत की जाय या जानकारी की जाय तो वह उनके पास भेजना चाहते हैं । इस तरह से किसान परेशान हो कर प्राइवेट फर्मों की तरफ जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अल्प सिंचाई विभाग की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय । धन्यवाद ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं कटौती के पक्ष में बोलते हुए माननीय मंत्री का ध्यान उनके विभाग की अनियमितताओं और त्रुटियों पर ले जाना चाहता हूं । मुझे याद आ गया । दो विषय हैं योजना, छोटी योजना, दूसरी तरफ नौकरशाही । हमें याद है । भूतपूर्व मन्त्री इसी विभाग के विचित्रनारायण शर्मा और दूसरी तरफ हमारे कृषि मन्त्री बाबू गेंदा सिंह थे । उनकी दो बातें याद हैं । एक तो योजना के तहत में कृषि मन्त्री बाबू गेंदा सिंह ने तीन फीट के कुएं सारे प्रदेश में खुदवाये थे और दूसरी तरफ भूतपूर्व नियोजन मंत्री विचित्रनारायण शर्मा ने कहा था कि हमारे नियोजन विभाग का अधिकारी ऐसा होना चाहिये जो गांव में जब जाय तो जनता से उसकी बराबरी हो । गांव में अगर कोई मजदूर या किसान गट्ठर बांधता हो चाहे वह बुढ़िया हो या जवान हो, वह नियोजन अधिकारी चाहे ब्लाक का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो वह कह सके कि गट्ठर उठा दो, उस किसान को गट्ठर उठा दे । लेकिन आज यह विभाग, जिसके लिये सरकारी पक्ष के सदस्य गांधी जी के सपनों की दुहाई देते हैं, मैं इस बात से गुरेज नहीं करूंगा कि माननीय मन्त्री सीधे हैं । लेकिन सिंचाई का मतलब यह नहीं है कि जो गांवों की परम्परा थी जो गांवों का परम्परागत विकास था उसे हमारे मन्त्री महोदय ने तोड़ा है ।

आज गांवों के जो छात्र पढ़ते हैं वह यूनिवर्सिटी से जब वापस जाते हैं तो अपने उस कपड़े को उतार देते हैं, घरों में जाते हैं तो अपने परम्परागत किसान मजदूर की वेशभूषा के समान होती है । मन्त्री महोदय ने कभी ध्यान नहीं दिया चूंकि उनका गांवों से लगाव नहीं है कि गांव में हीरो हीरोइन खड़े कर दिये हैं जिनको गांव की जनता दुश्मन समझती है । आपने 15-20 प्वाइंट दे रखे हैं, समय बहुत लगेगा--मधुमक्खी पालन, खादी विकास योजना, तथा अम्बर (चखा) एक तरफ गन्ने के बड़े-बड़े उद्योग हैं, जो निकलती भी हैं विदेश जा रहे है । गन्ने से शकर नहीं निकल रही है, ताड़ से गुड़ बनाने की योजना, कम्बल आदि बनाओ, कुटीर उद्योग में । पहाड़ में ऊन गांवों में तैयार करवा रहे हैं । यह हाथ से कैसे बनायेंगे ? यह सारी फैक्टरियां फैल हो रही हैं । गोबर से गैस बना रहे हैं । दियासलाई बनवा रहे हैं, इसमें शायद सफल हो । गांवों में साबुन बनवा रहे हैं, आज साबुन नहीं मिल रहा है । मधुमक्खी पालन करवा रहे हैं । नैनीताल इलाके में करवाएं तो ठीक है । लेकिन बलिया, जौनपुर, गोरखपुर में नहीं करवा सकते हैं जहां जंगल नहीं है । दाल दलवा रहे हैं । एक तरफ लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता में इतनी बड़ी-बड़ी मिलें हैं, दूसरी तरफ दाल दलवा रहे हैं । अल्प सिंचाई योजना है कुम्हार के बर्तन, और मछली पालने की बात, इस तरह से बीस योजनायें हैं । आपकी योजनाएं सब फेल हैं । एक सड़क की योजना त्वरित योजना बनी थी इन्दिरा गांधी के प्लान के अनुसार नेवादा ग्राम से बन्दीपुर घाट तक जो नैपाल ब्लाक में है ।

मेरे जिले में एक छोटी सी सड़क बन गई है उस पर मुझे चलने का मौका मिलता है। मैंने उसके बारे में एक सवाल किया था लेकिन वह रिजेक्ट हो गया। मैं जब उस पर चलता हूं तो धूल से भर जाता हूं। इस तरह से ईटें बिठाई गई हैं कि सब अलग हो गई हैं और सारा रुपया बी0 डी0 ओ0 तथा अन्य लोग खा गये हैं। आप गांधी जी के जीवन की क्या बात करते हैं। नियोजन अधिकारी एक ठाकुर हैं जो प्रतापढ़ से मंगाये गये हैं हमारे जिले में एक ठाकुर हैं, उसने ठाकुरवाद का प्वायजन सारे जिले में फैला दिया है। धर्म चन्द्र मिश्र जा ते हैं। वेद प्रकाश ने खुद मुझ को कमरे से बाहर निकाला। मैंने आपसे कमरे में कहा लेकिन आपने अनुसुनी कर दी। वह ठाकुरवाद का नारा लगाता है। पता नहीं कि वह ठाकुर है भी या नहीं।

सिंचाई योजनाओं में आपने लिखा है कि इतने ट्यूबवेल्स और इतने पंपिंग सेट्स लगाये गये। लेकिन आप बताइये कि दो एकड़ का किसान या एक एकड़ के किसान जो गरीब हैं वह कितनी सिंचाई कर सकते हैं। इसकी सिंचाई की कितनी लागत पड़ती है। इसे आप स्वयं सोचिये। अब समय भी करीब है और मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं जब गया तो मैंने आप से बात करनी चाही लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप जिला परिषद् के चुनाव के बारे में उलझे हुए थे। अगर जनता का कोई प्रतिनिधि जो सुझाव देना चाहता है, तो आप को सुनना चाहिये। वह कलक्टर तथा गवर्नर से कम हैसियत नहीं रखता है। नियोजन अधिकारी की क्या हैसियत है? उसे आपने जज की हैसियत से बिठा रखा है। आप सीधे हैं और गांधी जी की लाइन पर चलते हैं लेकिन आप यह जान लें कि आपकी सारी योजनायें फेल हो गई हैं। एक तरफ नौकरशाही को बढ़ावा मिल रहा है और दूसरी तरफ योजनायें फेल हो रही हैं। एक हमारे यहां कमिश्नर गिरिजा प्रसाद पांडेय हैं। उनके एक आदमी को तरक्की दी गई और असली आदमी को छोड़ दिया गया। इसलिये सहकारिता विभाग से आदमी बुलाये। ए0 डी0 ओ0 को आपरेटिव को तरक्की नहीं दी गई। बी0 डी0 ओ0 नहीं बनाया गया।

हरिजनों के पानी पीने की बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिये पहाड़ी इलाकों में ही क्या बल्कि सारे प्रदेश में 50 प्रतिशत हरिजन कुएं से पानी पीते हैं तो उनको चार फर्लांग दूर से पानी लाना पड़ता है या फिर किसी गढ़े से पीते हैं। मन्त्री जी आपको नौकरशाही को दबाना होगा। योजनाओं पर ध्यान देना होगा। किताबें छपाने से कोई लाभ नहीं होगा। सिंचाई की योजना पर मैंने रोशनी डाली है। आपकी त्वरित योजनायें असफल हैं। इसको पी0 डब्लू0 डी0 को देना चाहिये था। आपका सारा रुपया नौकरशाही पर जा रहा है। आपको ग्रामीण जनता का ख्याल करना चाहिये।

श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)––

अध्यक्ष महोदय, माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी ने जो बजट अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है और माननीय रामप्रकाश त्रिपाठी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं कटौती प्रस्ताव के अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं संडीला, जिला हरदोई से आता हूं। इस समय ग्राम पंचायत की जो दशा है मैं समझता हूं वह बिलकुल मृतक-प्राय है। आज भले ही रेडियो से पंचायत की खबरें प्रकाशित होती हों और वह सभी गावों गांवों तक पहुंचती हैं, लेकिन आज दशा जो है मैं समझता हूं कि किसी भी ग्राम सभा की न तो कोई नियमित मीटिंगें होती हैं और न विकास क्षेत्र की कोई मीटिंगें आपके यहां नियमित होती हैं। आज सार कार्य क्रम जो हैं आपके वे बिलकुल कोरे कागज की तरह हैं भले ही बड़ी-बड़ी योजनायें आपने

[श्री काशीनाथ मेहरोत्रा]

बनाई हैं और उन्हें आप रेडियो से प्रकाशित करवाते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी है यह आपका सही रूप है वह बिलकुल कोरे कागज पर है। आज दशा यह है कि गांवों में आज भी हमारे यहां के ग्राम सभाओं के लोग तालाब का पानी पीते हैं।

मैं मिसाल के तरीके पर कुथावों ब्लाक के अटुआ गांव सभा की तरफ मजरे कुरमिन खेरा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां पर आज पीने के पानी का कुआं नहीं है। वहां के लोग तालाब से पानी पीते हैं। उसी तरह से ब्लाक बेन्हदर शाहपुर चमरहा के मजरे दत्ता खेरा की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर लोग आज नदी के पानी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आज खाद का वितरण बिल्कुल असंतोषजनक है। आपका इंतजाम कैसा है। इस तरीके से है कि न तो लोगों को ठीक समय से खाद मिलती है और बीज आज 105 रुपये में जो आप लेवी पर गल्ला लेते हैं वहीं बीज 250 रुपये में किसानों को देते हैं। मैं जहां तक समझ पाया हूं यह बिलकुल सही है कि आपके बड़े-बड़े चमचे जो हैं, उनके फार्मों का गेहूं जो है आप बीज में वितरण करते हैं। आज स्थिति यह है कि कोई भी किसान आपका 250/50 कुंटल यह बीज लेने के लिये तैयार नहीं होता। वही आपके अधिकारी लोग उन लोगों पर दबाव डाल डाल कर लोगों से बांड भरवाकर दबाव डालकर किसी प्रकार से बीज देते हैं। यह न्याय पंचायत आपकी जो है बिल्कुल निसक्रिया हैं। मैं चार-पांच सुझाव आपको देना चाहता हूं।

कृषक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी महिला नियुक्त हैं, उन केंद्रों पर प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी समाज शिक्षा पुरुष की भी नियुक्ति करनी चाहिये, क्योंकि जहां तक सम्पर्क एवं कार्यक्रम के विस्तार के काम का संबंध है वह प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि) द्वारा अच्छी तरह से सम्पन्न नहीं हो पाता। दुसरे सामुदायिक विकास विभाग के कुछ क्षेत्र विकास–अधिकारी पिछले 10 वर्षों से स्थानापन्न रूप से क्षेत्र विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनके स्थायीकरण के लिये शासन को कोई योजना बनानी चाहिए जैसा कि सरकार के राजस्व विभाग में होता है। विकास खण्ड अधिकारी के बारे में आज स्थिति यह है कि आज आपके ब्लाकों की जीपें जो हैं आपके वहां के बी0 डी0 ओ0 या ब्लाक प्रमुख के घर पहुंचाने के लिये या उनके बच्चों को घुमाने के लिये या कोई तीर्थयात्रा के लिए जाने के लिये आज वह जीपें हैं। उनका बराबर दुरुपयोग होता रहता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि विकास खंड के जो कर्मचारी हैं अथवा प्रमुख लोगों का उनके मासिक भ्रमण का प्रोग्राम बनाया जाये और उसकी एक-एक प्रति विधायकों को भी दी जाया करें।

अध्यक्ष महोदय, ब्लाक के अधिकारी प्रमुख आदि टी0 ए 0 वगैरह जो वसूल करते हैं उसमें बहुत घपला रहता है। उसके बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसा मैंने सुझाव दिया कि विकास खंड के कर्मचारियों अथवा प्रमुखों का दौरे का कार्यक्रम बनाया जाये और उसकी प्रति विधायकों को दी जाये तो स्थिति में सुधार होगा। और गलत तरीके से टी0ए0 लेना रुक जायेगा।

मान्यवर, आज लिंक रोड की ही बात की जाती है। मैं लिंक रोड के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस योजना में सरकार का तमाम रुपया बरबाद हो रहा है और काम जितना होना चाहिये उतना हो नहीं पाता, बड़ा भ्रष्टाचार है। इस सम्बन्ध में मेरा निवदन है कि जांच के लिये एक टेकनिकल सेल बना दिया जाय जो इस बात को देखे कि कितना रुपया खर्च हुआ है और वह ठीक ठीक खर्च हुआ है या नहीं। उसका कहीं पर दुरुपयोग तो नहीं हुआ है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास विभाग इतने महत्व का है, लेकिन उसके लिये अलग से कोई सचिवालय नहीं है। इस विभाग के लिये अलग से कोई सचिव

नहीं नियुक्त किया गया है जो इस विभाग की सारी कार्यवाही को पूर्ण रूप से देखे। मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर शासन का ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक ब्लाक में एक प्रगति सहायक होता है। यह कर्मचारी क्षेत्र विकास अधिकारी के मातहत होता है। मेरा सुझाव है कि इस कर्मचारी को सीधे जिलाधिकारी से अटैच रखा जाये। इससे यह होगा कि प्रगति सहायक स्वतंत्र होकर ब्लाक की प्रगति को बता सकेगा। मैं चाहता हूं कि पंचायत सेक्रेटरी का जो क्षेत्र है उसको कम कर दिया जाये और उनकी जिम्मेदारी अधिक कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष––

अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री काशी नाथ मेहरोत्रा––

आपके माध्यम से शासन से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था की जाये। एक आदमी पर सारे गांव की जिम्मेदारी कर दी जाये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब पहले हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो जनता को यह आशा बंधी थी कि पंचायत राज कुछ काम करेगा और लोगों को न्याय सस्ता मिलेगा, लेकिन महात्मा गांधी के मरने के बाद यह एक सपना सा बन गया है। जब पंचायतें बनीं तो जनता द्वारा उन का चुनाव होता था, लेकिन अब नियम बदल किये गये हैं। अब पंचायत राज रह नहीं गया है। जब पंचायत का चुनाव होता है तो जिलाधिकारी, पंचायत अधिकारी तथा एम0एल0ए0 लोग जाकर बैठते हैं। इलाहाबाद में नाबालिग बच्चे को चुन लिया गया है और कहीं कहीं पर हिस्ट्री शीटर को चुन लिया गया है। इस तरह की अनियमितताएं पंचायत राज में होने लगी हैं।

श्री राम लखन (जिला बस्ती)––

आप क्या नाम बतायेंगे ?

श्री अठई राम––

ग्राम सियाडीह, तहसील हंडिया, जिला इलाहाबाद में नाबालिक बच्चे को चुन लिया गया है। उसका हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। हिस्ट्री शीटर को चुन लिया गया है।

श्री राम लखन––

यह वहां के ग्राम वासियों की जिम्मेदारी है।

श्री अठई राम––

वहां पर इस तरह से चुनाव किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी के हाथ में चुनाव दे दिया गया है। तो कहां पंचायती राज रह गया ? यह तो जनता का गला घोटने वाला राज्य हो गया। आप कहते हैं कि पंचायती राज में जनता का भला होगा। परतापपुर ब्लाक में सोरों एक स्थान, वहां पर ग्राम सेवक ने तीरथ राज के भाई के नाम से बैंक से रुपया निकलवाकर दे दिया। वे कहते हैं कि मैं कांग्रेस वालों का साथी हूं और बहुगुणा जी का अंग हूं। इसी प्रकार से सौदाबाद ब्लाक में सुरेश मिश्रा नाम का एक ग्राम सेवक है जिसने गरीबों

[श्री अठई राम]

के नाम से खाद ले लिया और उसे गरीबों को नहीं दिया। उनके घरों की कुर्की हो रही है। कुछ ग्राम सेवक 10--10 साल से वहां पर पड़े हुये हैं और जनता का खून चूस रहे हैं तो यह तो जनता का गला घोटने वाला राज्य हुआ। हमारे यहां पर पंचायतों के जो फर्जी चुनाव हुये हैं, उनके बारे में हाई कोर्ट में मुकदमें चल रहें हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

जब माननीय चरण सिंह के राज्य में महिलाओं को पीटा गया था क्या उस समय पंचायती राज बन रहा था ?

श्री अठई राम--

विकास के कार्यालयों के लिये लाखों रुपये की बिल्डिंग बन जाती है लेकिन जनता के लिये 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। बी० डी० ओ० पंचायत मंत्री ये सब उनमें बैठ कर तनखवाह ले रहे हैं। ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की मीटिंग भी शायद वर्ष में एक या दो बार ही हो पाती है। लेखपाल को गांव पंचायत का सेक्रेटरी बना दिया गया है।

आज कहा जाता है कि हरिजनों को आवास के लिये जमीन बांटी गई है लेकिन मैं कहता हूं कि उनको 10 ठूंठ झूठ जमीन अगर दी भी गई है तो वह खलिहानों, खोरों, रास्ते उपडोर की जगहों पर दी जाती है। कागजों में और मौके पर कुछ दर्ज है और कहा जाता है कि उनको आबादी की जगह दी जा रही है। आज हरिजनों के नाम पर धब्बा लगाया जा रहा है। आपके जो कर्मचारी हैं वे फर्जी जगहें दिखा देते हैं लेकिन उन्हें खलिहानों, रास्तों आदि में रहने के लिये स्थान दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रकार से हरिजनों की हत्या न करिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप 2--2 मिनट बोल लें। देवरिया जिले के लोग चाहे इस कोने से, चाहे उस कोने से बोल लें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जैसे 28 वर्ष में और सभी विभागों ने प्रगति की है वैसे ही आपके विभाग ने भी प्रगति की है। इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन प्रजातांत्रिक पद्धति में जनता अदालती पंचायतों को चुनती है और सभी अदालती पंचायतें सरपंच का चुनाव करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। एस० एल० ए० और कलेक्टर और कुछ प्रतिनिधि बैठ करके अदालती पंचायतों का नौमिनेशन करते हैं, जिला-स्तर पर। ऐसा नहीं होना चाहिये। चाहिये यह कि जनता सभी अदालती पंचों, पंचायतों को चुने और अदालती पंच बैठ कर अपने में से सरपंच को चुन लें। यह तो ठीक जंचता है लेकिन यह ठीक नहीं जंचता कि एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और जिलाधीश बैठ कर चुनाव करें। यह प्रजातन्त्र के विरुद्ध है।

दूसरे, विकास के नाम पर हरिजनों के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन पता नहीं वह पैसा कहां जा रहा है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र खास रामकोला में हरिजनों के पानी पीने के लिये कुयें तक नहीं हैं। जमीन उनको जो दी जा रही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं वह केवल एक भुलावा है। जो जमीन सीलिंग से निकली है उसको भी आपकी सरकार नहीं बांट सकी है। आप अखबार में बयान दे देते हैं और कलेक्टर कह देता है कि बांट दी गई।

बेवरिया जिले में सीलिंग की जमीन हरिजनों को नहीं बंटी है। जो हरिजनों के आवास के लिये मकान निर्माण हो रहे हैं, हमने मथौली में देखा, डेढ़ ईंट की दीवारें बनायी जा रही हैं जो धक्का देने से गिर जायेंगी। मगर आप मानेंगे नहीं। कहने पर बहुगुणा जी कहेंगे कि अगर आप लोग अच्छे होते तो हमारा बहुमत क्यों होता ? अल्पमत होना आपका इसमें कोई शुबहा नहीं है।

हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कई हिस्ट्रीशीटर पंचायत के सरपंच हो गये हैं, नाबालिग पंच हो गये हैं। मैं तो यह भी कहने को तैयार हूं कि उधर के बैठने वाले बहुत से लोग हिस्ट्रीशीटर हैं। अगर नम्बर 2 का रजिस्टर थाने में देखा जाय तो कई आदमी हिस्ट्रीशीटर निकलेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हरिजनों के पानी पीने के लिये कुओं का निर्माण जरूरी है। आप समाजवादी व्यवस्था ला रहे हैं, यह गलत बात है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)––

मान्यवर, वैसे तो हमारे सामुदायिक विकास मंत्री अपनी योग्यता और व्यवहार से इस लायक हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया जाय मगर इनकी चादर में एक काला दाग लग गया। वह यह है कि जैसे अभी परिवहन विभाग ने एक हेलीकाप्टर खरीदा जबकि उसके पास अपनी बसें और कारें मौजूद हैं जो सब मिनिस्टरों और कर्मचारियों को ले जाती हैं। और जब हमने सवाल पूछा कि आपको क्या जरूरत हेलीकाप्टर की पड़ गयी तो बताया गया कि बाढ़ वगैरह को देखने के लिये जाते हैं। माल विभाग खरीदता तो ठीक था लेकिन परिवहन विभाग जिसके पास तमाम साधन हैं वह अगर हेलीकाप्टर खरीदे तो समझ में नहीं आता। ऐसे ही माननीय मंत्री जी ने जिला परिषदों को एक-एक एम्बेसेडर कार खरीदवा दी। लाखों रुपये का खर्चा हो गया इस मितव्ययिता के युग में जिस तरह से परिवहन विभाग को हैलीकाप्टर की जरूरत नहीं थी उसी तरह से जिला परिषदों के अध्यक्ष, जिनके पास एक नहीं दो दो जीपें हैं और वे देहात में जायेंगे, शहर में नहीं रहेंगे उनके लिये जो प्रदेश के 54 जिलों में एक-एक एम्बेसेडर कार खरीदवा दी गयी यह विकास मंत्री जी की चादर के ऊपर एक काला दाग है और इनको एम्बेसडरकार की स्वीकृत वापस लेनी चाहिये।

इसके अलावा हमारी जो न्याय पंचायतें बनी हुई हैं इनकी बनावट में भी आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। आज होता यह है कि गांव सभा से नाम आता है। एस0डी0ओ0 साहब रिकमेंड करते हैं और कलेक्टर के यहां जिला परिषद् के अध्यक्ष बैठ कर बनाते हैं और जब कोई पेटीशन होती है तो वही जिलाधीश जो रेकमेंडेटरी बाडी है वह उस पेटीशन को सुनता है। वही उसका निर्णायक भी होता है। अतः यह एनामली दूर होना चाहिये।

परिवहन मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)––

क्या माननीय सदस्य का यह कहना है कि परिवहन विभाग को फीयट कार के इस्तेमाल का अधिकार नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल––

आप तो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, आपकी भी जिम्मेदारी कम नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के प्रधान की हैसियत बहुत कम कर दी गयी है। उसके पास आर्थिक साधन भी कुछ नहीं हैं। वह गांव की उन्नति का कोई कार्य नहीं करा सकता है। मै चाहूंगा कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये विकास कर में से कुछ न कुछ धनराशि उनको अवश्य दी जाय। इससे वे खरन्जे या छोटे-मोटे विकास के कार्य कर सकेंगे।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। इन पंचायतों के द्वारा तब तक विकास कार्य नहीं हो सकता जब तक कि एक आफिसर मौके पर मौजूद न रहे। आज होता यह है कि जब भी भूमि प्रबन्धक समिति की मीटिंग होती है उसमें कोई आफिसर मौजूद नहीं होता। इसका सेक्रेटरी लेखपाल होता है, गांव सभा का सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी होता है, और छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, अगर मौके पर कोई मौजूद नहीं रहता है। इन सब की जगह अगर एक आफिसर रख दिया जाय जो वहीं मौके पर रहे तो उससे बड़ी सुविधा हो सकेगी। प्रत्येक गांव सभा में एक ऐसा आदमी अगर रख दें तो उससे काफी तरक्की के काम हो सकते हैं।

गांव सभा के संबंध में जो पंचायराज ऐक्ट बना हुआ है इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। आज गांव सभा की सम्पत्ति रक्षित नहीं है। दंड की जो प्रक्रिया उसमें दी गयी है उसको लोग इगनोर करते हैं। आप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनायें जिससे गांव सभायें अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर सकें। आज न्याय पंचायतों का गठन हुये वर्षों हो गये मगर 30 प्रतिशत न्याय पंचायतें ऐसी हैं जहां आज तक चार्ज नहीं दिलवाया गया है। यह आपकी एफीशियेन्सी है? इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे समय दिया।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)---

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। हम गांव से चुन कर आये हैं। हमारे यहां जब भी विकास की बात चलती है तो इस विभाग के तीन काम बताये जाते हैं--बैठक, मीटिंग और सलाम। पंचायत राज, हरिजन कल्याण और राजस्व विभाग इन तीनों का आपस में मेल नहीं है। सामुदायिक विकास मंत्री कहते हैं कि हम हरिजनों को भूमि देंगे, उसकी वे घोषणा करते हैं, मगर जमीन आयेगी कहां से? अगर आप विकास करना चाहते हैं तो तीनों विभागों को चाहिये कि वे आपस में बैठ कर तरक्की के बारे में सोचें। उसी तरह से गांव पंचायत और गांव समाज की सम्पत्ति दो हिस्सों में बंटी हुई है। जब तक इनमें आमूल परिवर्तन नहीं होगा, गांवों की तरक्की नहीं हो सकती। पंचायत मंत्री जी ने कहा था कि पंचायत सम्मेलन हुआ था जिसमें आंकड़े दिये कि 50 हजार के आसपास लोग जुटे थे। जहां तक लोगों को जुटने का सवाल है लोग जुटे होंगे, माननीय मंत्री जी की आवभगत के लिये जुटे होंगे। लेकिन आखिर में उस सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार कौन सी कार्यवाही की गयी? सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुआ कि गांव सभा और गांव समाज दोनों हिस्सों को समाप्त करके एक तरीके पर लाया जाय। मैं चाहता हूं कि विकास कर और मालगुजारी जो वसूल होती है उसका एक हिस्सा गांव पंचायतों को दिया जाय। स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि हमारे देश के गांव तभी तरक्की कर सकते हैं जब सत्ता को 4 हिस्सों में बांट दिया जाय। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद भी ये सत्ताधारी दल के लोग हमारे माननीय मंत्री जी के कहने के अनुसार प्रदेश के 80 हजार हरिजनों को अभी तक पानी भी देने की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। माननीय मंत्री जी और सरकार के लिये यह शर्म की बात है जब उन्हीं के आंकड़े यह कहते हैं। आपके लिये यह बड़ी शर्म की बात है कि आज प्रदेश का हरिजन कल्याण विभाग हरिजनों के लिये पानी तक देने की व्यवस्था नहीं करा सका है।

जहां भी प्रदेश के अन्दर हरिजनों के नाम पर उनके भवन बने हैं या हैन्ड पम्प बने हैं वे कागज पर ही बने हैं और अगर कहीं बने भी हैं तो उनकी छत ही नहीं है। हमारे ही इलाके में कौड़िया गांव म एक हरिजन बस्ती बनी, उसकी ईंट खड़ी है लेकिन छत ही नहीं है। कुछ जगहों पर हैंड

पम्प, मुर्गी पालन, चर्म उद्योग को समाज के अधिकतर प्रभावशाली बड़े-बड़े लोग हरिजनों के नाम पर हरिजनों की श्रम शक्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं चाहूंगा कि इस विभाग के द्वारा 28 वर्ष स जो व्यापक भ्रष्टाचार चलता रहा है, जिसकी वजह से आपकी योजना फेल हुई है और गांव भुतहा बने हुये हैं, आमूल परिवर्तन करने के लिये गांव पंचायतों को अधिकार देने का काम करना पड़ेगा।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और कुछ को छोड़ कर हर एक माननीय सदस्य न प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया है। विशेष कर उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जिहोंने मेरे वक्तव्य के कुछ हिस्से को छोड़ कर, तमाम सबने इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया। कुछ माननीय सदस्यो ने इस बजट के समर्थन में आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश की, जैसा कि माननीय मंत्री जी के विभाग की इस छोटी सी पुस्तिका के माध्यम से पंचायत उद्योगों की गिनती करायी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह विभाग सामुदायिक विकास विभाग न रह कर बिलकुल आंकड़ा विभाग रह गया है। उसके कौन कारण हो सकते है उसके मूल में जाना होगा। मेरी समझ में उसका सबसे मूल कारण यह है कि जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हरगिज कोई प्रयत्न नहीं करते। इसके लिये जो आपके अधिकारी है या नौकर, है, अपने प्रमाशन लेने के लिये उनको फर्जी काम करने पड़ते हैं। यह बात केवल मैं ही नहीं कहता बल्कि आपका मुख्य पत्र "नवजीवन" जो है, उसके 16-6-74 के सम्पादकीय में साफ तौर से यह बात कही गयी है। उसके दो तीन वाक्य मैं पढ़ देना चाहता हूं। "योजना की असफलता के जो अनेक कारण बतलाये गये हैं, मेरी समझ से उन छोटे छोटे कारणों में यह भी शामिल हैं।

सामुदायिक विकास योजना की असफलता के अनेक कारण बताये गये हैं, जिनमें यह कारण भी शामिल है कि हर काम के लक्ष्य निर्धारित करने और अधिकारियों का कारगुजारी लक्ष्य प्राप्ति से नापने की वजह से फर्जी या कागजी सफलतायें दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। लखनऊ में सांख्यिकी सहायक विकास अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें यह बात खुल कर सामने आयी कि छोटा सिंचाई, सहकारिता, हरिजनों के लिये कुयें, पशुपालन, परिवार नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत हद तक फर्जी है।"

तो, मान्यवर, यह आंकड़ों की नुमाइश कब तक की जाती रहेगी आप इन आंकड़ों पर बजट मांग रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रदेश की जनता कब तक आपके नुमाइशी, लुभावने आंकड़ों पर विकास की प्रतीक्षा करती रहेगी।

दूसरी बात, मान्यवर, अधिकांश माननीय सदस्य जिन्होंने इस बजट का प्रबल समर्थन किया उन्होंने बार-बार महात्मा गांधी जी के गीत गाये। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लेकर के इस विभाग का हिमायत करने की कोशिश की। जो महात्मा गांधी का स्वप्न था उसको सब जानते हैं। मैं माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के नाम को इस बजट के साथ घसीट कर कलंकित करने की कोशिश न करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द जी एक बार विदेश गये थे और वहां पर वे क्रिश्चियनों को एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पर क्रिश्चियन, क्रिश्चियनटी, क्राइस्ट के बारे में बहुत कुछ कहा था। मैं उसका एक वाक्य यहां पर करना चाहता हूं। "Christ would not find even a stone in the whole Christianity to put his head."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

ईसा मसीह इस सम्पूर्ण ईसाई धर्म में एक पत्थर भी ऐसा नहीं ढूंढ़ पायेंगे जहां अपना सर रख सकें और इसी तरह में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उधर बैठे हुये माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि "Gandhi would not find even an inch in this currupt Congress to put his foot."

महात्मा गांधी किस स्वराज्य की कल्पना करते थे, कौन से ग्राम स्वराज्य की कल्पना करते थे, यह शायद अब भुला दिया गया है। महात्मा गांधी कहते थे कि जिस दिन हमारी बहनें, औरतें आधी रात को 12 बजे सोने चांदी की आभूषणों को पहने हुए एक गांव से दूसरे गांव को सुरक्षित चली जायंगी उस दिन सच्चा ग्राम स्वराज्य होगा। लेकिन आज कौन सा स्वराज्य है, आजादी के 27 सालों के बाद आज ग्राम स्वराज्य की क्या हालत है इसको सभी जानते हैं। गांवों में रहने वाले गांवों को छोड़ छोड़ कर शहर भाग रहे हैं। ग्राम जीवन की जो कल्पना साहित्य में की जाती थी, वह खत्म हो गयी है।

मान्यवर, मैं 2 मिनट में समाप्त करूंगा। अभी एक माननीय सदस्य बोले थे, उन्होंने कहा था कि इस विभाग द्वारा यदि ऐसा किया जाय, यदि यह किया जाय तो तस्वीर बदल सकती है। यह यदि शब्द लाने की क्या बात थी? सरकार आपकी है, बहुमत आपका है, सरकारें आपकी रहीं हैं तो किस चीज की कमी थी कि अब तक ऐसा नहीं किया। किस बात की कमी थी? आप बजट मांग रहे हैं। पिछली बार आपने बजट लिया था। मेरा तो कहना है कि करप्शन, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त करें जो यह देखे कि ऋण प्रोग्राम में किस किस जिले में कितना भ्रष्टाचार हुआ है या और कौन कौन से भ्रष्टाचार किये गये हैं तो सब पता चल जायगा। एक दो उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बुलन्दशहर में डिबाई नाम का एक ब्लाक है। उस ब्लाक म एक गोकुलपुर नाम का गांव है। ग्राम सभा की जो जमीन थी उस गांव की उसको एस0 डी0 एम0 ने पैसा लेकर दूसरे गांव के लोगों के नाम एलाट कर दी। मान्यवर, अभी अखबारों में निकला था कि वही एस0 डी0 एम0 रिश्वत लेते पकड़े गये और जेलखाने भी गये। तो ग्राम सभाओं की स्थिति यह है।

मान्यवर, कम से कम एक आश्वासन अवश्य मंत्री महोदय देने की घोषणा करें कि गांव सभाओं का जो हजारों, लाखों रुपया तहसील फंड में जमा है उसको रिलीज करने के बारे में वह शीघ्र आर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटो को देंगे जो ग्राम सभाओं का पैसा 115 डी और जो जुर्माने का पैसा है वह ग्राम सभाओं को दिया जाय क्योंकि ग्राम सभाओं के पास पैसा नहीं है। दूसरे अभी विकास कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो पैसा आये उसको आप ग्राम सभाओं के विकास पर लगाये। मेरा तो कहना है कि इस भूमि विकास कर से जो पैसा आये उसका 75 प्रतिशत गांव सभाओं को देने की घोषणा करें नहीं तो यह सदन कटौती के प्रस्ताव का सर्व सम्मति से समर्थन करे और बजट अनुदान को पेश करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माननीय सदस्यों ने इन तीन अनुदानों पर जो विचार प्रकट किये हैं और जो सुझाव दिये हैं उसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये जनसंघ दल के सदस्य ने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं मैं समझता हूं कि उनके कुछ सुझाव उपयोगी हैं और उन पर उपयुक्त अवसर पर विचार किया जाना जरूरी है। कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचना की है तो विरोध में बैठने की वजह से, आलोचना करना उनके लिये

एक स्वाभाविक बात थी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो उपयोगी सुझाव दिये हैं उन पर विचार अवश्य किया जायगा और उनके अनुकूल हम विभाग में सुधार करने का विचार करेंगे।

मान्यवर, सबसे बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि जो माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं कि पंचायतों के अधिकार और उनके साधन उपलब्ध कराये जायं। एक तो अधिकार का प्रश्न और दूसरा साधन देने की बात है। यह दोनों बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। मान्यवर, लोकतंत्र के साथ में अधिकारों का या शक्ति का विकेन्द्रीयकरण लगा हुआ है। बगैर शक्ति के विकेन्द्रीयकरण के लोकतांत्रिक संस्थायें तरक्की नहीं कर सकती हैं, उनके काम में वृद्धि नहीं हो सकती है। मान्यवर, शासन बराबर इस संबंध में विचार कर रहा है कि जिला परिषद् क्षेत्र समितियां और ग्राम पंचायतों को एक ऐसे अधिकार दिये जायं जिससे वे अपनी अपनी जगह पर सक्रिय रूप से कार्य कर सकें।

मान्यवर, एक सुझाव यह था कि राजस्व से जो आमदनी सरकार को होती है उसमें से 1/4 सरकार इन पंचायतों को दे। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर किसी समय विचार किया जायगा। यहां पर अभी कुछ बताना सम्भव नहीं है। पर मैं माननीय सदस्यों की भावना को अपने सहयोगियों के अपने मंत्रि परिषद् के सदस्यों के समक्ष रखूंगा कि अगर पंचायतों को सक्रिय रूप से चलाना है तो उनकी स्थिति को सुदृढ़ करना होगा और उनको कुछ न कुछ साधन अवश्य दिये जाने चाहिये।

मान्यवर, विकास कर की चर्चा हुई है तो इसके संबंध में हम पहले भी बता चुके हैं कि विकास कर से 40 प्रतिशत जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों को धन दिया जायगा। इस वर्ष के आय-व्ययक में उसका प्राविधान कर दिया गया है और इस वर्ष क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों को वह मिलेगा। जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के हाथ से, विकास में, उस पैसे को खर्च करेंगे। शेष जो 60 प्रतिशत बचता है उसकी योजना प्रदेश की सरकार बनायेगी वह भी देहात के लिये जैसे बिजली लाईन निकालना, सड़कों के निर्माण का कार्य, सिंचाई की गूले और नहरों का सवाल है उनको करने के लिये शेष पैसा खर्च होगा।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, इस 40 प्रतिशत में कितना क्षेत्र समितियों और कितना जिला परिषदों का दिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, एक बात कही है कि 40 प्रतिशत जो है वह जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों में बंटेगा। क्षेत्र समितियां ग्राम पंचायतों में उस धन को खर्च करेंगी और जिला परिषद् भी जिले के अन्दर उस धन को ग्रामों के विकास में खर्च करेगी।

मान्यवर, एक बात की चर्चा यहां बड़े जोरों पर रही है कि त्वरित योजना में बड़ा घुटाला हुआ। वह योजना 1971 में 2 अक्टूबर से प्रारम्भ हुई थी और 31 मार्च, सन् 1974 को वह योजना खत्म हो गई। यह भारत सरकार ने ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिये इस योजना को चलाया था। अब वह योजना समाप्त हो गई है, पर उसके बाद भी यहां चर्चा है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें अनियमितता नहीं हुई है। अनियमितता तो हुई है और उसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई है। उसके लिये जहां-जहां से शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों पर त्वरन्त कार्यवाही हो रही है। कुछ तो सतर्कता विभाग को शिकायत दे दी गई हैं,

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

वह उसकी छानबीन करेगा, कुछ हमने अपने यहां इसी विभाग में एक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में एक विजिलेंस (टेक्निकल) सेल कायम किया है। उसमें इन्जीनियर हैं, वह जाकर जहां कहीं ऐसी शिकायतें माननीय सदस्यों के द्वारा, क्षेत्र समितियों के द्वारा, जिला परिषदों के द्वारा और कुछ व्यक्तिगत लोगों के द्वारा आयेंगी, उन शिकायतों पर जांच होगी। यह ठीक बात है कि जो दोषी पाया जायगा उनके साथ किसी प्रकार की हमारी सहानुभूति नहीं है, लेकिन खामखांह किसी को यह कह दिया जाय कि अमुक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया और इतना ही कह देने पर किसी को सजा दे दी जाय, यह तो न्याय संगत न होगा। उसकी छानबीन करनी पड़ेगी और बगैर छानबीन से किसी को सजा नहीं दी जा सकती। उनकी तरफ से इस सदन में बोलने वाला कोई नहीं है। जो ठीक व्यक्ति है और सही कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करना भी हमारा काम है और जो गलत काम करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का भी हम अपना फर्ज समझते हैं।

इसलिये माननीय सदस्यों ने जो यह घुटाला की बात कही है, भ्रष्टाचार की बात कही, सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाय और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय। लेकिन चूंकि एक स्वभाव बन गया है ऐसी चर्चा का और उस तरह की चर्चा यहां हो जाया करती है। यहां हर माननीय सदस्य को बोलने की स्वतन्त्रता है और हर माननीय सदस्य किसी के विरुद्ध कोई भी आरोप लगा सकता है.....

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मैंने और श्री कल्याण सिंह ने सन् 1974 में आपको इन्क्वायरी के लिये लिखा था। क्या आपने इनक्वायरी कर ई है? जो चर्चा होती है, वह ऐसे ही थोड़े ही हो जाया करती है।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, यहां एक बात की और चर्चा हुई है और वह आदर्श गांवों के बारे में। हम भी इन आदर्श गांवों को बनाने के पक्ष में हैं और प्रदेश में 875 जयंती ग्राम का चयन हमने किया है और उन ग्रामों में विकास के अनेक कामों को करने की हमारी योजना है। यह ठीक बात है कि उनके लिये अलग से कोई प्राविधान नहीं है। परन्तु विभिन्न विभाग जो देहातों में काम करते हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि उन 'जयन्ती ग्रामों' में अपने विभाग के विशेष काम को प्रारम्भ करें और सचमुच में एक आदर्श ग्राम बनाने में हमारी मदद करें और हम यह आशा करते हैं कि वह हमारी सहायता करेंगे। परन्तु हम अपनी ओर से भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे गांवों में बिजली की लाइन पहुंच गई है, वहां सड़कें बन गई हैं, वहां पीने के पानी की व्यवस्था हो गई है। इस तरह से हम उन गांवों को 'आदर्श गांव' बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं

एक बात की यह चर्चा की गई है कि गांव पंचायतों की नियमित बैठकें होनी चाहिये पंचायत राज एक्ट में इसका प्राविधान है कि समय-समय पर ग्राम विकास के संबंध में, स्वायत्तता के सम्बन्ध में नियमित रूप से बैठकें करके विचार करते रहें। अगर वह बैठकें नहीं होती हैं तो हम इसके लिये प्रयास करेंगे कि वह बैठकें नियमित रूप से हुआ करें। हमारे एक मित्र ने कहा जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव मूव किया कि चुनाव निर्विरोध कराये जांय अगर लोकतंत्र कायम रखना है तो। लेकिन निर्विरोध चुनाव उन्हीं का हो सकता है जो सर्वप्रिय व्यक्ति हों। जब 72 में चुनाव हुये थे तो 19072 प्रधान निर्विरोध चुन लिये गये थे और यह भी खूबी है कि 4442 हरिजन प्रधान चुने गये और 563 महिलायें भी प्रधान चुनी गयीं। लोकतन्त्र की यह खूबी है कि जो लोग जनता के हित का काम करेंगे उनको जनता अपना मत देकर चुनेगी। इस तरह से पंचायतें बड़ा उपयोगी कार्य कर रही है लेकिन सरकार के पास साधनों की कमी है और जब साधन उपलब्ध होंगे तो निश्चित ही इन ग्राम सभाओं को अधिक धन सरकार देगी। गंगवार जी ने अपनी बात मेरे सर डाल दी। बरेली में उन्होंने बहुत कोशिश की कि जिला परिषद् में अपने अध्यक्ष को

ले आयें लेकिन काम नहीं हुआ और असफलता का नजारा यहां आकर दिखाया कि साहब एम्बेसेडर कार क्यों दे दी गयी। यह परस्पर विरोधी बातें हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

जब संसाधनों की कमी थी तो फिर जिला परिषद् के अध्यक्ष को एम्बेसेडर कार क्यों खरीद कर दी गयी ?

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मेरा मतलब यह था कि जीप जब मौजूद है तो कार खरीद कर क्यों दी गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् में आपके अध्यक्ष चुन कर नहीं आये इसलिये ये परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं। मेटल रोड बननी चाहिये यह बात कही गयी। कारों का इस्तेमाल न हो तो पेंटेड रोड बनाने से क्या फायदा होगा। इसीलिये गांवों में अब काफी सड़कें मेंटल रोड्स बन गयी हैं ताकि इन सड़कों पर जिला परिषद् के अध्यक्ष एम्बेसेडर कार से चल सकें। यह कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री बांके लाल—

कितनी ऐसी न्याय पंचायतें हैं जिनके सरपंचों को चार्ज नहीं मिला है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

एक बात मुझे अन्त में यह कहना है कि परिवार नियोजन का कार्य भी ग्राम पंचायतों के सुपुर्द किया गया है और पी० आर० ए० आई० टाइप के शौचालय घरों में लगाने की योजना है ताकि बहनों को मैदान में जाना न पड़े और बहनों को सुविधा मिल सके।

अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वाले माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और इन अनुदानों को सर्वसम्मति से पास होने दें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45 के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,37,49,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66 के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होनेवाले वर्ष में अनुदान संख्या 76—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,84,65,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77 के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)--

अध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी विधान सभा की कल छुट्टी है लेकिन मालूम हुआ है कि यह छुट्टी कल के बजाय परसों है ।

श्री अध्यक्ष---

जैसा आपको पहले से मालूम है और जैसा कि सदन ने अपने निर्णय के द्वारा घोषित किया है वही रहेगा ।

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी---

क्या सचिवालय की छुट्टी परसों एलान की गई है ? यह दोनों चीजें अलग-अलग चलेंगी । (व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

आपका मतलब विधान सभा सचिवालय के कार्यालय से है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

जो त्योहार कल था वह परसों है ।

श्री अध्यक्ष---

जो कार्यक्रम सदन द्वारा पूर्व में घोषित किया गया है जिस पर सदन की मोहर लग गई है उसके बारे में आप आशंकित क्यों हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय---

कार्यक्रम तो बदला जा सकता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 108, 109 व 110 के अधिकार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को देने का संकल्प

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं--"दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 478 के खन्ड (क) के अनुसरण में यह सदन यह संकल्प करता है कि राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उच्च न्यायालय इलाहाबाद से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे कि उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह किसी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है।"

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, इसमें एक वैधानिक आपत्ति है। नियमावली के नियम 95 में संशोधन के लिये 36 घंटे का समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आपको एक हफ्ते पहले नोटिस मिल गयी है। यह पहले दिन छपा था।

श्री अवधेश कुमार--

नियम 95 आप देख लें। मान्यवर प्रस्तुत होने के बाद ही संशोधन दिया जायेगा। मान्यवर यह प्रस्तुत नहा हुआ था।

श्री राज मंगल पांडेय--

यह तो सोमवार को ही एजेन्डा में था।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर यह प्रश्न पहले भी उठा था। हमने एमेंडमेंट दिये थे जो छपे नहीं थे।

श्री अध्यक्ष---

उसका दूसरा कारण है।

श्री मधुकर दिघे--

नियमावली में दिया हुआ है कि प्रस्तुत होने के बाद दिया जा सकता है। या तो फिर नियमावली मे सुधार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी शंका का समाधान करता हूं। यह जो इसमें लिखा हुआ है यह जो कार्यक्रम है इसी को आप नोटिस मान कर चलें। नियम 95 में आप देखें "यदि संशोधन की एक प्रति संकल्प पर चर्चा के लिये निश्चित दिन के 36 घंटे पूर्व सचिव को न दी जा चुकी हो तो कोई सदस्य उस संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकेंगे और यह आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें।" इसलिये जैसा आप करते हैं यह एक दफा छप गया है आपकी इच्छा पर यह उस दिन नहीं लिया। जब नोटिस दे दिया जाता है तब वाकई आपका हक होता है। अगर आप चाहे तो संशोधन दे सकते हैं। 36 घंटे की अवधि आपके समक्ष थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, अवधेश कुमार जी ने जो आपत्ति उठाई है मैं समझता हूं कि वह मुनासिब है। संशोधन देने का अधिकार विपक्ष का है तो उसके लिये 36 घंटे का समय दिया जाना चाहिये। हां उसमें आपको अंत में अधिकार का अवसर दिया है। लेकिन यह बात सही है कि निश्चित प्रोग्राम आज नहीं था इसलिये 36 घंटे का समय नहीं मिला। इसलिये इस पर आज विचार न किया जाय और संशोधन प्रस्तुत करने से पहले यह अवसर न देना मुनासिब नहीं है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय यह 31 मार्च को विधान सभा में आया था....

एक सदस्य---

प्रस्तुत नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष---

आप सुन लें। यह जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 है उसके नियम 86 के अनुसार यह आता है। यह 25 मार्च को चिट्ठी है तो नियम 86 को आप देखें दिनांक 21 मार्च को विधान सभा में संकल्प प्रस्तुत करने की सूचना दी है। (व्यवधान) यह सूचना आपको मिली है। 31 मार्च को कार्य सूची में यह था उस दिन आपकी इच्छा से हटा दिया था और आज के लिए स्थगित किया था। इसलिये 36 घंटे की अवधि का प्रश्न नहीं है (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

यहां पर तो संकल्प प्रस्तुत हो रहा है इसलिए यह लागू नहीं होता है।

श्री अवधेश कुमार ---

संकल्प प्रस्तुत करने पर हम लोगों के लिए समय नहीं है कि हम संशोधन दे सकें....

श्री अध्यक्ष---

आपको इतना समय था और मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट रूप से आपको समय दिया गया था। अब जो यह आपत्ति है वह निर्मूल है।

श्री राज मंगल पांडेय---

अध्यक्ष महोदय यह जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के बिलगाव के बाद कुछ समस्याएं पैदा हुई है। देश में कुछ ऐसी भी शक्तियां पनपीं जिन्होंने हिंसा में विश्वास करना शुरू कर दिया। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे उभड़ने लगे जिससे जो नियम उस समय बनाये गये थे वे शायद कारगर ढंग से कार्य न कर सकें ऐसी संभावना पैदा हो गई। यह आशंका पैदा हुई कि हम उन तत्वों को उस हद तक नियन्त्रित न कर सकें जैसी कि किसी प्रदेश की जनता किसी सरकार से उम्मीद रखती है। इस प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन ने गौर किया और उसने इसकी जरूरत समझ कर दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से यह परिवर्तन आपने यहां किया। जूडिशियल मैजिस्ट्रेट जहां 478 आयेगा, का मतलब एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ही होगा। इस तरह से 108, 109 व 110 की दफाएं जो सेक्शन में दी हुई हैं ये प्रिवेन्टिव सेक्शंस हैं। ये उनके जुर्मों के होने के पहले ही एहतियाती कदम उठाने के लिये हैं। यह कहा कि इसे हम जूडिशियल मैजिस्ट्रेट से किसी कारणवश हटा रहे है वैसी कोई बात नहीं है। हमें उनकी ईमानदारी निष्पक्षता और कार्यक्षमता में कोई नहीं है। लेकिन परिस्थितिवश यह कदम उठाना पड़ा दफा 107, 117 में जमानती मुचलके पर छोड़ने के बाद जमानत के साथ-साथ

मुचलके मांगने की बात पड़ी, क्योंकि इसकी आवश्यकता अनुभव की गई और तदनुसार उसमें उसका प्राविधान हो गया ।

उसी तरीके से आज यह प्रश्न आया कि 108, 109 और 110 के अन्दर हम उनके केस जूडिशियल मैजिस्ट्रेट के बजाये एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से करा सकें, जिससे कारगर ढंग से उनका असर हो सके । इसके बारे में उधर से कहा गया है और तमाम लोगों का ऐसा विचार है कि यह कदम अपने स्वार्थ के लिये या विरोधियों का दमन करने के लिये उठाया गया है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वैसी सरकार की कोई मंशा नहीं है। 110 में जो संशोधन हो रहे हैं, उसमें समय-समय पर होर्डर्स, ब्लैक मार्केटियर्स आदि तमाम असामाजिक तत्व शामिल हैं, जिनको हम नियन्त्रित नहीं कर सके थे और उनके खिलाफ हमें गवाही नहीं मिल पाती थी । इसी दृष्टि से हमें 108, 109 और 110 से संबंध में यह लेकर आना पड़ा । जिससे सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से नोटीफिकेशन कर सके और जो लोग देश और प्रदेश की जनता की किस्मत के रास्ते में बाधक बने हुये हैं, उनसे निपटा जा सके । इसलिये मैं विरोधी लोगों से चाहूंगा (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय, सदन का समय बढ़ाया नहीं गया है और समय 5 बजे तक का ही रहता है, इस लिए जो वह बोल रहे हैं, वह निरर्थक है । क्योंकि हमारी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में लिखा हुआ है-- उपवेशन का समय--(1) सभा का उपवेशन 11 बजे पूर्वान्ह से 5 बजे अपरान्ह तक होगा । तो 5 बजे तक समय था, इस बीच आप अपनी इच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, आपकी इच्छा का इस्तेमाल किया जा सकता था ।

श्री अध्यक्ष--

15 मिनट का तो यों है--
(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

15 मिनट के लिये बढ़ा देना चाहिये, वह यहां लागू नहीं होता है । आपने पहले समय बढ़ाया नहीं । इसलिये यह कार्यवाई उचित नहीं है, वैधानिक नहीं है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

5 बजे के पहले जब यह सदन उपवेशन में हो, चल रहा हो, उस समय आप इसको बढ़ा सकते हैं । जब वह समय खत्म हो गया तो उसके बाद आप नहीं बढ़ा सकते हैं ।
(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

5 बजे के बाद इनका भाषण बेकार है ।

श्री अध्यक्ष--

जब अभी, नियम 51 के बारे में, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों के बारे में सूचना बाकी है और बिजनौर जिले के कालागढ़ स्थित रामगंगा परियोजना से सम्बन्धित जो दो घंटे की चर्चा स्वीकार की गई है वह बाकी है--तो इसका मतलब यह हुआ कि समय बढ़ाया जाना है बहुमत के द्वारा बहुमत इसे माने । यह स्वीकार मैं करता हूं। यह समय बढ़ाने का अधिकार अध्यक्ष को है इसलिये पिछली दफा जब माननीय राममूर्ति ने सवाल उठाया था दो घंटे की चर्चा ली जाय या न ली जाय.....

श्री बांके लाल---

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष---

इस पर बहस नहीं।

आज हम हटा देंगे। लेकिन आपके सब हटेंगे। आपका नुकसान होगा। अगर आप गम्भीर हैं और टेक्निकल हैं तो मैं इसको आपके कहने पर हटा सकता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

खत्म मत कीजिये। हम लोग गम्भीर हैं।

श्री बांके लाल---

15 मिनट का समय आप बढ़ा सकते हैं। आपको वैसे अधिकार है ही। मान्यवर, आपका अधिकार सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष---

दो घंटे की चर्चा अभी आने वाली है। इसके अलावा पांच बजे जो नियम 51 वाला.....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

यदि आपके कुछ विशिष्ट अधिकार नहीं रहेंगे तो बहुमत पशुबल में बदल जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जैसा आपने कालागढ़ का कहा, हम भी कहते हैं अगर नियम के अनुसार आज नहीं लिया जा सकता है तो निश्चित रूप से कल लिया जायगा। यह जो तर्क है, कि चूंकि दो घंटे की चर्चा हमारी भी निश्चित की है इसलिये यह मान लिया जाय कि समय जीवित है, तो यह नहीं लिखा गया है कि दो घंटा कब से शुरू होगा। मान लीजिये तीन बजे कार्य खत्म हो जाता तो क्या पांच बजे तक इंतजार करते और तब पांच बजे से सात बजे तक लेते। यह लिखा हुआ नहीं है कि दो घंटा कब से शुरू होगा। अगर लिखा होता तो हम मान लेते। पांच बजे तक इस सदन का समय जीवित है। पांच बजे के बाद जीवित नहीं है। जब उपवेशन चल रहा है उस समय में आप अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप विवेक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, जहां तक यह प्रश्न है कि हम लोगों की कालागढ़ की जो चर्चा है वह भी चली जायगी, जब उनके हित की चिन्ता करेंगे अगर उनका प्रस्ताव कर लिया जायगा और हमारा बिलकुल सही हो तो हमारे हित की चिन्तन नहीं करेंगे?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

यह बिलकुल टेकनिकल मामला है मैं कहता हूं कि जो प्रश्न माधव बाबू ने उठाया है उस पर आप व्यवस्था भी नहीं दे सकते। अगर सदन है ही नहीं। आप पीठासीन हैं ही नहीं तो व्यवस्था जो उठायी गयी है, उस व्यवस्था के बारे में भी आप कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। सब का सब अल्ट्रावायरस हो जायगा।

श्री कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सही नेगी साहब ने कहा, जो कुछ कह देंगे सब बेकार हो जायगा। बिलकुल चारो खाना चित हो जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उसका भी निदान है। इन नियमों के बारे में पूरा सदन सक्षम है। उनमें संशोधन भी कर सकता है। इस समय जो नियम है जिसको माधव बाबू न बतलाया है इसको निलम्बित कर दीजिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप अध्यक्ष हैं ही नहीं ।

एक सदस्य--

अध्यक्ष नहीं हैं तो व्यवस्था आप क्या देंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

अनेक बार ऐसा हुआ है कि 15 मिनट स्वतः बढ़ गया है। तो आज क्या बात हो गयी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

इम्पलाइड कंसेंट है आपकी जब तक सदन की प्रोसीडिंग चलेगी, 15 मिनट तक स्वतः चलेगा, आप नियम देख लें ।

अनेक सदस्य--

नियम पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

यह एक प्रथा है, परम्परा की बात है, जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा । जो कार्यक्रम है वह अभी दो घंटे की चर्चा का, बीच में संकल्प और फिर तीसरा नियम 51 का है। अगर आपको गम्भीरता से आपत्ति है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपका मतलब समझ रहा हूं। लेकिन मैं आपका प्रोटेक्शन सीक करता हूं। अगर ऐसा अवसर आया तो सरकार बे लगाम हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप ऐतराज करते हैं तो मैं इसको हटा दूंगा। दूसरे दिन लिया जायेगा। लेकिन यह सब खत्म हो जायंगे। जब तक सदन नहीं बढ़ेगा कोई भी चर्चा नहीं होगी। यह हमारा निर्णय सदन के निर्णय पर अविलम्बित रहेगा यह एक नई प्रथा निकल रही है। इसकी जो सम्भावनायें होंगी, आशंकायें होंगी उससे आप अपने को आगाह कर लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप किस चीज की दवा हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राममूर्ति जी ने सवाल उठाया था। मैंने कहा था कि दो घंटे की चर्चा मैंने दी थी तो मैं स्वयं उसका समय निश्चित करूंगा। लेकिन माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी कहेंगे कि नियम अक्षरशः ही चलने चाहिये तो मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। लेकिन चर्चा की स्वीकृति सदन देगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, जो नियम बने हुये है उन पर ही चलना चाहिये। इसमें आवेश की कोई बात नहीं है। यह तो बराबर नियमों का उल्लंघन करते चले जायंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, सदन के ऊपर कोई बात मत छोड़िये। आप स्वयं अपने विवेकानुसार निर्णय करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

नियम हैं, समय के अन्दर ही तय करना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, आप सदन का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

बढ़ा सकता हूं। लेकिन मैंने बढ़ाया गया कहा नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब आप माननीय राज मंगल पांडेय को सुन रहे थे तो इम्पलाइड है कि समय बढ़ा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---

यदि अध्यक्ष ठीक समझें तो ग्रहण कर सकेंगे। नियम 53 में यह है कि वह तिथि को तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो कोई घंटे से अधिक न हो। हमने दो घंटे रखे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप इस तरह से देखिये कि आपने दो घंटे का समय रखा लेकिन सदन का कार्य समाप्त हो जाता तो आप क्या करते ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो काल्पनिक है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आपके डिस्क्रीशन दो तरह के हैं। आपने इसको कंटीन्यू होने दिया। इसमें इम्पलाइड है कि सदन का समय बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको सुन लिया। मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख रहा हूं। अब काम चलेगा। मैं इस पर व्यवस्था बाद में दूंगा।

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली प्रशासन को भी जो कुछ कठिनाई हुई, उनकी कठिनाइयों के अधीन उच्च न्यायालय ने यह नोटिफिकशन निकाला। इस तरह से हरियाणा और पंजाब ने भी निकाला। मान्यवर, उसी परिस्थितियों के हिसाब से हमें भी आना पड़ेगा।

यह सदन ही निश्चित करेगा। तो हम हाई कोर्ट की परामर्श से यह कर सकेंगे। इसलिये प्रदेश की समस्याओं को देखते हुए आज कल जो स्थिति है और उस स्थिति से मेरा खयाल है सारा सदन अवगत है। यह जो जनहित में है, जिसके प्रति सदन का उत्तरदायित्व है उसको देखते हुए दफा 108, 109 व 110 को हम देखें और जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसको और ज्यादा बिगड़ने न दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी माननीय न्याय मंत्री जी ने बड़ी लम्बी चौड़ी बात कही। मान्यवर, मैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने भी फौजदारी की वकालत की है दफा 109 क्या होती है? वही तास छाप की माचिस और वही आरा नकब, कभी वह तास छाप की माचिस के अलावा चिड़िया छाप की नहीं होती है। बराबर इसका दुरुपयोग हुआ है। 107, 116 की आपने बात की। कौन नहीं जानता कि आपने इन धाराओं का इस्तेमाल जन आन्दोलन को कुचलने के लिये, राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को कुचलने के लिये आपने 107, 116 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। 108, 109 की धाराओं को इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं कि उनका दुरुपयोग नहीं होगा। ये ऐसी दफाएं हैं जो सिविल लिबरटीज को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। मैं आपसे यह कहता हूं कि दुबारा पुलिस को ऐसा डंडा न दीजिये कि वह इन दफाओं का दुरुपयोग करें। कृपा करके इस संकल्प को आप वापस ले लीजिये।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संकल्प के द्वारा और जनहित की दुहाई देकर माननीय मंत्री जी जो संशोधन चाहते हैं वह बहुत ही इस प्रदेश के लिये घातक होगा। आपने हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली का अदभव यहां पर प्रकट किया, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किसी भी दशा में 109, 110 के प्रति सदन की क्या भावना है? हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या लिखा है? उसको आप क्यों भूल जाते हैं? 108 धारा के अन्तर्गत कितने सेक्शन्स आते हैं? आज आप देखें कि जितने भी आन्दोलन हुए, आपने आदेश दे दिये, जमानत नहीं हुई। इसका परिणाम यह निकला कि आपने पोलिटिकल पार्टी को कुचल देने का पक्का इरादा है कर लिया है। 110 के अन्तर्गत 6 ऐक्ट आते है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं। सारा काम जुडिशियरी से निकाल कर इग्जीक्यूटिव के अन्दर रखना चाहते हैं। आज कितने मुकदमे किस भावना से दायर किये जाते है, उसको जमानत भी नहीं होती। एक जूडिशियल मैजिस्ट्रेट आर्य साहब आ गये जो जमानत भी नहीं करते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जिस काम को आप कर रहे है वह कितना पवित्र है? एक उदाहरण आपको दे दूं।

एक नाई की दूकान पर तीन आदमी हजामत कटाने के लिये गये, तो नाई ने कहा कि नम्बर से हजामत काटेंगे। फिर इतने में मारपीट होने लगी और रिपोर्ट भी हो गई। ऐसे ही गांव में पार्टी बाजी के आधार पर चालान हो रहे हैं। दरोगा और एस0 पी0 कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सही बात करते है तो नौकरी जाती है। ऐसे इसेन्सियल कमेडिटी एक्ट की धारायें हैं। अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो चालान होता है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो आप यह संकल्प लाये हैं यह जनहित में नहीं है। यह जो पहले का ऐक्ट बना है उसको ऐसे ही रहने दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, श्रम मंत्री जी और न्याय मंत्री जी जब यह संकल्प प्रस्तत कर रहे थे तो उनके मन में चोर था। ऐसा मुझे आभास हुआ। मान्यवर, दफा 108, 109 और 110 ऐसी धाराये हैं जिनका प्रयोग जब-जब राजनैतिक विरोधियों का आन्दोलन होता है तो उनको कुचलने में प्रयोग किया जाता है। न्याय पालिका के मजिस्ट्रेट इनके अधीन नहीं होते है बल्कि उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय न्याय मंत्रीजी ने यह कहा कि देश और प्रदेश में हिंसा की भावना और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसीलिये वह मजबूर हो गये है कि ऐसा प्रस्ताव लाया जाय। मैं चाहूंगा कि सरकार इसके मूल में जाय, 27 सालों का निकम्मा प्रशासन उसका एक कारण है। किसान आज भूख से ग्रसित है, गरीब को खाना नहीं मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जयप्रकाश बाबू का आन्दोलन बहुत जोर पकड़ रहा है और यह उनके समर्थकों को कुचलने के लिये संकल्प लाया गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसको वापस ले।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इधर के लोगों को भी बोलने दें।

श्री अध्यक्ष--

आप अकेले हैं। आपको आखिर में दूंगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई और सरकार होती तो इस महान सदन में इस तरह का संकल्प लाने की हिम्मत न करती। मैं मान्यवर, इसमें दो हिस्से करता हूं। एक तो पाप इनका यह है कि घटिया और रद्दी किस्म के तथ्य जो हैं इनको सरकार चलाना चाहती है इतना ही नहीं जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव जो अलग-अलग थी। आप उनका दुरुपयोग करना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

क्या इन धाराओं पर यहां बहस हो सकती है?

श्री मधुकर दिघे--

इसने एक काम और भी किया है जिसका जिक्र नहीं किया है। इन्होंने जो पुलिस प्राजीक्यूटिंग इंसपेक्टर हैं उनको पुनः पुलिस के मातहत कर दिया गया है और इनका पूरा प्रयत्न है कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव जो कि हमने 1967 में पहलीबार संविद सरकार के जमाने में अलग करने का प्रयत्न किया है उसको ये अपने को समाजवादी कहने वाले नकलची लोग मिटाने पर तुल गये हैं। लोग नकलची इसलिये है श्रीमन्, क्योंकि ओरीजिनल नहीं है और कम्युनिस्टों की नकल करने की लालच में यही सब हुआ करता है कि ये रूस की बुराइयां तो ले लेते हैं और अच्छाइयां नहीं लेते और यही नतीजा है कि आज बुराइयों पर बुराइयां लादते चले जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने कमिटेड जुडीशियरी कर दी और फिर इसके बाद जुडीशियरी खत्म करके सब ताकत एक्जीक्यूटिव के मातहत ले आये, इसी मामले का यह भी एक पहलू है इस मामले में मैं उस दल के सदस्यों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस थाती को लेकर आप इतने वर्षों तक आजादी के जमाने में चले हो और जिसका प्रचार आपने किया था और एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलहदा करनेका वादा आपने किया था देश और प्रदेश की जनता के सामने उसको ध्यान में रखते हुये इस संकल्प का विरोध बगैर पार्टी का खयाल किये हुये करना यही मेरा निवेदन है और मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपने इस संकल्प को वापस लें क्योंकि यह बहुत बड़ा कलंक इस देश और प्रदेश के वास्ते है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प माननीय मंत्री जी ने दंड प्रक्रिया संहिता में जो अभी सुधार हुये हैं उसकी तहत में लाये है और माननीय मधुकर दिघे ने इस तरह का भाषण किया है जैसे कोई नया संकल्प लाये हों नयी विचारधारा को लेकर विधान सभा के अन्दर यह नया संकल्प नहीं लाया गया है।

(व्यवधान)

108, 109 और 110 दफा के मातहत क्या कमियां हैं लेकिन वह इस स्वतंत्र हिन्दुस्तान में कोई इम्पार्टेन्स नहीं रखता, लेकिन इसकी बहस की जगह भी लोक सभा है यह सदन नहीं है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

लेकिन जब तक धारा 108, 109 और 110 सी0 आर0 पी0 सी0 है उस धारा के रहते उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है और वह उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकार है और यह प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको नियंत्रित किया जाय। अब उसको नियंत्रित करने के लिये जो संकल्प आया है उसका विरोध किया जाय इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 27 या 28 सालों में दफा 108, 109 और 110 सी0आर0पी0सी0 के तहत किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का चालान नहीं हुआ, वह अंग्रेजों के वक्त में हुआ हो तो हो लेकिन कांग्रेसी राज्य में कभी किसी में राजनीतिक आदमी का चालान नहीं हुआ हां इन दफाओं का इस्तेमाल हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं जो बराबर क्राइम्स करने के आदी हैं उन्हीं के खिलाफ किया गया है और जब तक इसका नियंत्रण नहीं होगा तब तक इसकी बुराइयां रहेंगी इसलिये यह संकल्प जरूरी है और इसको पारित कराइये और अब इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, माननीय न्याय मंत्री ने जो संकल्प पेश किया है उससे मैं समझता हूं कि उन्होंने सदन के प्रति और प्रदेश के 10 करोड़ लोगों के प्रति अन्याय किया है और न्याय मंत्री के मन में जो पाप है उसको उन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि इस प्रदेश में हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं उन पर नियंत्रण आवश्यक है। मेरा, मान्यवर, स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार धीरे-धीरे नागरिकों के हकूक को छीनती चली जा रही है, उसको कर्ब कर रही है और यह सरकार जो अपने को सोशलिस्ट और वेलफेयर स्टेट की सरकार कहती है वह सीधे-सीधे पुलिस तानाशाही की ओर बढ़ रही है। मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि इस समय 35 हजार लोग नैक्सलाइट के नाम से जेलों में बंद है। ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, मजदूर नेताओं की कमी नहीं है जिन्हें इन धाराओं के अन्तर्गत जेलों में बन्द कर दिया गया है। आज जो अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो उन्हें इन धाराओं के अन्तर्गत जेलों में बन्द कर दिया जाता है। मैं न्याय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अन्याय न करें। आज वे उधर बैठे हैं, कल इधर भी बैठ सकते हैं। तो आज पुलिस के साथ में जितनी शक्ति है उसके तहत पुलिस के डंडे उन्हीं के सर पर पड़ेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, एक्जीक्यूटिव आफिसर्स, को ये अधिकार देकर नागरिकों के अधिकारों के प्रति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]
घोर अन्याय न करें। आज जो वर्किंग क्लास के लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, उन पर अंकुश करने का, कर्ब करने का यह घिनौना प्रयास है। इसलिये जनहित में माननीय न्याय मंत्री जी ऐसा अन्याय न करें और न्याय की दृष्टि से इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

मान्यवर, मैंने माननीय काशीनाथ मिश्र के भाषण को सुना और मेरा विश्वास है कि श्री राज मंगल पांडेय, ला मिनिस्टर होने की हैसियत से, उनके हाथ में अधिकार होगा कि दफा 108, 109, और 110 की किस प्रकार से लागू किया जायगा, किसके खिलाफ किया जायगा और कितने दिनों तक लोगों को जेल में रखा जायगा। माननीय मिश्रा जी ने कहा कि यहां पर जो आपने एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, लिखा है, उसके बजाय श्री राज मंगल पांडेय लिख दिया जाय और इस समझ के साथ इसका समर्थन कर रहे थे आपने समर्थन करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को यह बता दिया है कि एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस सरकार के गुलाम होंगे। बात साफ है कि अगर आप एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के जरिये से सरकार को चला रहे हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बिल्कुल हनन कर रहे हैं।

यहां पर इस बात का सवाल नहीं है कि आपके कितने अधिकार हैं। संविधान में कहा गया है कि हम जुडिशिरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करेंगे और उसके पीछे यह बात कही गयी है कि क्योंकि हमने फन्डामेन्टल राइट को लिबर्टी दी है। और इसमें हमने कहा है कि प्रोसीजिर फालो किया जाना चाहिये। अगर प्रोसीजर फालो किया जाना है तो आपको एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बजाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स फालो करें। इसमें यह भी कहा गया है कि परामर्श आप हाई कोर्ट से करेंगे लेकिन अगर हाई कोर्ट की रिकमेन्डेशन आपके खिलाफ होती है तो आप उसको ठुकरा देंगे, नहीं मानेंगे। इसे अन्याय होगा। तब तो माननीय राज मंगल पांडेय के आदेश पर जो वे चाहेंगे, वही एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स करेंगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू को जब दफा 109 में गिरफ्तार करके कपूरथला जेल में रखा गया। उस समय अंग्रेजों का राज्य था। जब उन पर मुकदमा चला तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम अपना डिफेन्स नहीं करेंगे तो पंडित जी ने अपना डिफेन्स नहीं दिया। उस समय एक गवाह से जिसे पेश किया गया था पूछा कि क्या यह पंडित का हैन्ड राइटिंग है तो पता चला कि वह गवाह उस कागज को उल्टे पकड़े हुआ था पंडित जी को एक साल की सजा हो गई। यदि इस संकल्प को मान लिया जाता है तो पता नहीं कि कल क्या होगा। आप भी इस धारा के अन्तर्गत जेलखाने में हो सकते हैं।

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, मुझे गर्ग साहब से केवल एक शिकायत है कि मेरे साथ रहने के बावजूद भी उनको अपने ऊपर खतरा महसूस हो रहा है। मेरे ऊपर उन्हें विश्वास नहीं है अफसोस इस बात का है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

बात यह है कि आपको भी इन लोगों के ऊपर विश्वास है, अपनी बात पर विश्वास नहीं है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि शक्ति का नशा जनरल यहिया खां को था। जनरल यहिया खां ने जिस तरीके से मुजीब के साथियों के साथ बरताव किया तो आज जनरल यहिया खां कहां हैं और काशीनाथ जी मिश्र कहां से कहां पहुंच गये हैं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ये कहते हैं कि किसी आजाद देश के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दफा 108, 109 और 110 नहीं होनी चाहिये। वह होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये, लेकिन अगर यह विश्वास रखते हैं तो इनको वहां नहीं होना चाहिये, इनको यहां बीच में खड़े होना चाहिये और जबाव देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इनकी बड़ी दुर्गति हो रही है।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

यह इन्होंने इस सरकार के मुंह पर कालिख पोत दी। और इन दोस्तों से अगर आप बच कर नहीं रहेंगे तो दोस्त और दुश्मन में तमीज करना बड़ा मुश्किल है। राजनीतिक लोगों से आपने कहा कि इस धारा को मान लीजिये, कोई राजनीतिक नहीं पकड़ा जायगा। फिर पकड़ा कौन जायगा ? जिनको खाना नहीं देते हैं उनको गुंडा कह देते है और जिनको कपड़ा नहीं देते हैं उनको कह देते हैं कि बेकार हैं। 27 वर्षों तक उनको भूखा मारा है और लोगों को भूखे मरने की आदत हो गयी है। उन्हीं को आप सजा देते हैं। आप बताइये कि किन लोगों को गुंडा ऐक्ट और मीसा में पकड़ा। उन लोगों को पकड़ा जो दो किलो चावल लिये जा रहे थे और जिन्होंने 5-5 हजार मन गोदाम में भर रखा है उनका सिर्फ लाइसेंस कैन्सिल कर दिया। सरकार के कोष में कितना पैसा जमा हो गया। गुंडा ऐक्ट बनाया था इन्होंने और इस्तेमाल आपने किया। वह तो नहीं रहे, आप भी नहीं रहेंगे। अगर वह गुन्डा ऐक्ट न बनवाते, अगर विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन न करते, अगर स्त्रियों के साथ वह न करते जो किया और हरिजनों के साथ वह बर्ताव न बरते जो उन्होंने किया तो आज सरकार में बैठे होते। लेकिन आपने उनसे कुछ भी नहीं सीखा। अब मैं चाहता हूं कि इसको आप सोच समझ कर वापस ले लीजिये।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, दफा 108 और 109, यह बात सही है, जैसा कि माननीय गर्ग जी और काशीनाथ जी ने कहा है, अंग्रेजों के जमाने में मुझे खूब मालूम है कि इस दफा का इस्तेमाल अधिकतर उन्हीं लोगों के खिलाफ हुआ। मैं मानता हूं कि आज जितने लोग यहां बैठे हैं इनमें से जो आजादी की लड़ाई में भाग लिये होंगे उनमें से ज्यादातर लोगों का चालान 108 और 109 में हुये होंगे। सरकार पता लगा ले, जिन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी होने की पेन्शन दी जा रही है उनमें से आधे लोगों की सजा अंग्रेजों के जमाने में 109 में हुई होगी। इस कांग्रेसी राज्य में डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब में लिखा है और अपने भाषणों में कहते थे और पूज्य महात्मा गांधी हमेशा कहते थे....

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं .....

एक सदस्य---

109 में माचिस, लाठी व सबरी जरूरी होती है ...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम अधार---

पंडित जवाहर लाल नेहरू जिनके त्याग के कारण आज आप उधर बैठे हैं उनकी पाकिट में माचिस और तबरी रख कर उनका चालान किया जाता था। (व्यवधान) मान्यवर, मुसहर और हरिजन लोगों को जेलों में टट्टी साफ कराने के लिये गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनसे माफी मंगवायी जाती है। यह संकल्प गरीब लोगों को ही परेशान करने और उन पर इस्तेमाल करने के लिये लाया गया है। मैं यह साफ बता देना चाहता हूं कि माननीय जय प्रकाश नारायण जी का आन्दोलन किसी धमकी से या इन 108, 109, 110 दफाओं से दबने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार---

मान्यवर, सरकार ने जानबूझ कर धारा 478 (क) के अन्तर्गत यह संकल्प रखा है, उसको उपधारा (ख) के अन्तर्गत यह संकल्प नहीं रखा है। 1 अप्रैल, 1974 से यह जाब्ता फौजदारी कानून लागू किया गया है। उसके पहले विभिन्न फैसलों में हाई कोर्ट के यह निर्णय हो चुके हैं कि इन धाराओं 108, 109, 110 को इंजिन आफ आपरेशन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि पार्लियामेंट के अन्दर जो नया सी० आर० पी० सी० बना उसके अन्दर धारा 108, 109, 110 का कागनीजेन्स न्यायिक मैजिस्ट्रेटों को दिया गया। अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पार्लियामेंट में भी जो पास किया गया है उस पर कुल्हाड़ी चलाने के लिये कटिबद्ध है। अभी थोड़े दिन पहले धारा 107, जाब्ता फौजदारी में एक संशोधन किया गया था जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। आज इस संकल्प के द्वारा कार्यपालिका मैजिस्ट्रेटों को जो अधिकार यह सरकार देने जा रही है यह बहुत ही अनुचित है। इसका दुरुपयोग होगा। आज गुंडा ऐक्ट तथा मीसा का प्रयोग भी विद्यार्थियों तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के लिये किया जा रहा है। मैं इस संकल्प को काले संकल्प की संज्ञा देता हूं क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस काले संकल्प को कृपया वापस ले लें।

(व्यवधान)

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके दूसरे पहलू की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कार्यपालिका को क्यों यह शक्ति दी जा रही है। इस वजह से उनकी आशंका है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मजिस्ट्रेट कितना इंडिपेंडेंटली फक्शन करता है, यह इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि उसे कौन मुकर्रर करता है। माननीय सदस्यों ने इतने बड़े कांड जो वाटर गेट कांड के नाम से सारे विश्व में विख्यात रहा है, वहां भी कमिटेड जुडिशियरी है। वहां पर कार्यपालिका के जो अधिकारी थे, जो उनके जज थे उन्होंने उस निक्सन के खिलाफ फैसला दिया जिनको निक्सन ने खुद एपायन्ट किया था। यह किसी मजिस्ट्रेट के एपायन्टमेन्ट पर निर्भर नहीं करता कि किसने उसका एपाइन्टमेंट किया बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसका नेशनल करेक्टर क्या है, कैसे लोगों को बनाया गया है। यह बात सही है कि जैसाकि श्री काशीनाथ जी ने कहा---पंडित जवाहर लाल से लेकर दूसरे लोगों को बराबर किसी न किसी दफा में पकड़ा गया और इस वजह से जैसा कि पार्लियामेंट में भी हुआ, इसका विरोध होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो हम अपना विरोध रजिस्टर्ड करना चाहते हैं लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अगर कार्यपालिका मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाता है तो यह कोई अनुचित काम नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि श्री राजमंगल पांडेय जी जो वकील हैं और बहुत से माननीय सदस्य वकील रह चुके हैं, और वकालत कर चुके हैं, वे जानते हैं और हम लोग भी जब जेल में रहते थे तो बहुत बार जेल के अन्दर सफाई करने वालों की कमी होने पर मुसहर आदि लोगों के खिलाफ दफायें लगाकर पकड़वा मंगाया जाता था। तो इस संकल्प का समर्थन करते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि पुलिस को भी और मैजिस्ट्रेट को भी इस तरह की हिदायत दे दें कि मुसहर आदि इस तरह के कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको सताया न जाय। इन शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय दंड प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वास्तव में यह बड़ा ही खोटा है। किसी भी शासन को चलाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीन शक्तियों का होना आवश्यक है। जैसे शब्दों का अर्थ निकालने के लिए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का होना आवश्यक है। इन तीनों की परस्पर एक दूसरे का पूरक होना चाहिये। आये दिन सरकार न्यायपालिका को कमजोर करती जा रही है।

मैं इस सम्बन्ध में दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक मध्य युग का और दूसरा प्रागैतिहासिक काल का। एक मर्तबा बादशाह मुहम्मद बिन तुगलक जो झक्की तुनक-मिजाज और पागल था, उसी का उदाहरण है कि वह हाथी पर चढ़ कर गांव के रास्ते से जा रहा था। बच्चों की जैसी कि आदत होती है कि वे हाथी को चिढ़ाया करते हैं, दो तीन बच्चे जो नटखट थे, उन्होंने जब हाथी को चिढ़ाया तो पहले तो बादशाह मुहम्मद बिन तुगलक ने उनको मना किया लेकिन जब वे नहीं माने तो हाथी से उतर कर उसने एक बच्चे को एक बेंत मार दी। इसके बाद लड़के के अभिभावक अपनी फरियाद लेकर काजी के पास पहुंचे, तो सारी बातें सुन कर काजी ने अपना फतवा दिया, अपना निर्णय दिया कि जिसने भी इस बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया हो उसे 4 बेंत की सजा दी जाय। वह बादशाह जो झक्की, तुनक मिजाज और पागल कहा जाता था, उसने काजी के दिये हुए दंड को अपने पर बर्दाश्त किया। अब मैं उस मुहम्मद बिन तुगलक बादशाह को पागल कहूं या इस सरकार को पागल कहूं।

उधर जो बैठे हुए सदस्य हैं, आज अगर यहां एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत कर दिया जाय कि विरोधी दल के लोगों की गर्दन काट ली जाय तो उधर बैठने वाले सब कह देंगे कि 'हां'। एक दूसरा उदाहरण प्रागैतिहासिक काल का रावण का है। लोग कहते हैं कि रावण राक्षस था लेकिन आप देखिये कि उसके राज्य में न्याय की क्या व्यवस्था थी। एक उदाहरण लें।

मान्यवर, जब हनुमान जी रावण की सभा में गये तो रावण ने उनके तर्कों को देने और स्पष्टीकरण देने का मौका दिया।

(शोर)

एक सदस्य--

मान्यवर, यह संकल्प पर बोल रहे हैं या कथा हो रही है।

(व्यापक हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मान्यवर, यही उदाहरण देकर खत्म कर दूंगा। इसके बाद रावण ने उनको मृत्यु दंड सुनाया तो रावण की मंत्रि परिषद् के वरिष्ठ सदस्य विभीषण ने प्रतिवाद किया कि इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिये यह दूत हैं। यह अनुचित है।

महाकवि बाल्मीकि ने कहा है :--

"क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र! धर्मार्थ युक्तं वचनं श्रणुस्व।
वधं न कुर्वन्ति परावरक्षः, दूतोऽतिसन्तो वसुधाधियेन्द्र :॥"

इससे यह सिद्ध हुआ कि रावण राज्य में न्याय व्यवस्था स्वतंत्र थी किन्तु आज नहीं है...

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

यह बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, जो संकल्प आज सरकार की ओर से पेश किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि सी0आर0पी0सी0 की धारा 478 में श्रीमन, पार्लियामेंट ने एक प्राविधान किया, वह मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

"कुछ मामलों में न्यायायिक और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपबंधित कृत्यों में परिवर्तन करने की शक्ति"

यदि राज्य विधान मंडल दल संकल्प द्वारा इस प्रकार की अपेक्षा करे तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि:---

धारा 108, 109, 110 में ऐसे प्रथम वर्ग न्यायायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि कार्यपालिका के मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश :---

तो मान्यवर, जब पार्लियामेंट में यह चीज आचुकी है और पार्लियामेंट ने एक पावर दे दिया है तो इसके तहत राज्य विधान मंडल को संकल्प लाने का अधिकार है और आज यह संकल्प लाया गया है। इसको लाने के पीछे दो तर्क दिये जा रहे हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेटों की संख्या कम है और मुकदमें ज्यादा हैं। इसलिए आवश्यक हो गया कि यह सारे मुकदमें कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को दिये जायं। जहां तक इसका सवाल है कि मैजिस्ट्रेट कम हैं और मुकदमें ज्यादा हैं, जनता की सुविधा के लिए यह किया जा रहा है तो यह समझ में आ सकता है कि इस तरह से मुकदमें उनको ज्यादा दिये जायं। लेकिन मेरी आपत्ति यहां पर है श्रीमन्। इसमें 108 में श्रीमन एक बात का कानून है जिस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से पकड़ कर बन्द किया जा सकता है और उसकी जमानत ली जा सकती है।

124, 153(क)...के अधीन दंडनीय है। इसके अन्दर यह कहा गया है कि कोई ऐसी बात बोलता है या ऐसी कोई बात छापता है या ऐसी कोई बात फैलाता है तो उसको राज्य सरकार डिस कन्फेक्शन मानेगी। इसके ऊपर बहुत से केसेज हुये हैं। मान्यवर, बाल गंगाधर तिलक का केस हुआ है। आगे चल कर बंग वासियों के बारे में ऐसे केसेज हुये हैं। यह उस समय की बात है जब अंग्रेजों का राज्य था। उस समय जो नेता अंग्रेजी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन के खिलाफ नारा लगाते थे या जो अंग्रेजी शासन के जोड़ खोलने की कोशिश किया करते थे उनके ऊपर धारा 108 का प्रयोग किया जाता था। मान्यवर, मेरा कहना है कि आपकी नियत साफ हो सकती है कि हम मैजिस्ट्रेट को यह पावर दे रहे हैं। हाई कोर्ट की पावर कन्सेट लेकर, एप्रूवल लेकर हम मैजिस्ट्रेट को पावर देंगे। लेकिन जिस परिवेश मे यह संशोधन होने जा रहा है, जिस समय होने जा रहा है उस समय ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि धारा 108, 109 और 110 में बन्द कर देंगे। आप गुण्डा ऐक्ट और मीसा में बन्द कर रहे हैं, ऐसी दफाओं में बन्द कर रहे हैं, 395 में बन्द कर रहे हैं। तो यदि आपकी नीयत साफ है तो मैं समझता हूं कि जुडिशियरी इक्जी क्यूटिव से अलग हो गयी तो इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप इतना संशोधन करें कि यह व्यवस्था उस समय तक करेंगे जब तक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क एप्वाइन्टमेंट नहीं हो जाते हैं। लेकिन यह लगातार लागू रखें तो यह धातक होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इस पर मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं। बहुत अच्छी तरह माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं ऐसा समझता था कि माननीय पांडेय जी यह सोच करके कि यह विरुद्ध आरोप लग रहे हैं यह राजनीति से पीड़ित हैं। इसलिए जुडिशियरी में विश्वास करेंगे और विरोधियों की दमन की नीति से इस दलील को मान लेते। लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया है। इसलिए मैं इस काले कानून को पास नहीं होने देना चाहता हूं। अतः हम दो मिनट के लिए सदन त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मधुकर दिघे--

हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री मधुकर दिघे अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर यह यहां विरोध कर रहे हैं और सदन के बाहर समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 478 के खंड (क) के अनुसरण में, यह सदन यह संकल्प करता है कि राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे कि उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाए

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में श्री कमला प्रसाद वर्मा की सूचना को, जो वक्तव्य के लिए पहले स्वीकार किया गया है, जोड़ दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया का जो सवाल है वह चीनी पर जो बजट आयेगा उसमें यदि संशोधन आपका नहीं होगा तो वक्तव्य के लिये सोचेंगे।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)---

मान्यवर, मैंने नियम 51 में प्रतिभा सिनेमा के बारे में दिया है। आपको मालूम होगा यह एक साल से मामला लटक रहा है। लाखों रुपये लगा दिये, सरकार ने बनने की इजाजत भी दिया है।

श्री अध्यक्ष--

यह एक सिनेमा का मामला है, इसलिये अल्पसूचित प्रश्न आप करलें

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, अखबारों में निकला है कि 30-35 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, चीनी मिलों के बारे में....

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया कि जब अनुदान में गन्ना बजट आयगा तो इस पर मौका मिलेगा। यदि मौका न मिला तो, तब हम वक्तव्य के लिए सोचेंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी की सूचना चिनहट के अन्तर्गत विभिन्न गांवों की भूमि पर अवैध कब्जे के बारे में है। आपको कुछ कहना है क्या ?

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, आपने स्वयं 24 तारीख को कहा था कि दुबारा अगर लिखकर दे देंगे तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे तत्काल। बड़ी तैयारी के साथ हमने चिनहट ब्लाक में तमाम गांवों के नाम दिये हैं ताकि मन्त्री जी को भ्रम न हो। वहां पर धनवान लोग, मन्त्री जी और अफसर इन्क्रोचमेंट किये हुये हैं और उस जमीन पर अवैधानिक कब्जा किये हुये हैं। सैकड़ों बीघे जमीन का मामला है।

श्री अध्यक्ष---

एक तो वह अंश था जो आज सबेरे हुआ और अगर आप बिना किसी आरोप और प्रत्यारोप के सूचना मांगने की नीयत से नोटिस देंगे तो.....

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, लगता है आपने उसे पढ़ा नहीं है। उसमें आरोप की कोई बात नहीं है। उसमें सारी बात जनहित की है और आप बचन दे चुके हैं कि आप स्वीकार कर लेंगे। मन्त्री जी स्वयं उत्तर देने को तैयार हैं।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है तो बहस कैसे होगी।

श्री मोती लाल देहलवी---

जनहित का मामला है, बड़ा भेद खुलेगा ।

श्री अध्यक्ष---

यह आपको नियम 51 में नहीं उठाना चाहिये । अगर आपकी सूचना सही है कि अवैध कब्जा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं । लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप बिना किसी आरोप और प्रत्यारोप के सूचना चाहेंगे तो हम दिला देंगे ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

आपने स्वयं कहा था कि उसको स्वीकार कर लेंगे, फिर हमारी हिफाजत कैसे होगी . . .

श्री अध्यक्ष---

जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप लिख कर देंगे तो हम सूचना दिलवा देंगे ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

आप स्वयं बना दें, हम दस्तखत कर देंगे,

श्री अध्यक्ष---

यह मेरा काम नहीं है ।

बिजनौर जिले में कालागढ़ स्थित रामगंगा परियोजना हेतु क्रय की गई मशीनों को अनुपयोगी घोषित करके नीलाम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, इसके पूर्व भी कई बार यह विषय आया था संयोगवश मैं उपस्थित नहीं रह सका । उसी बीच सिंचाई का मद आया बजट से सम्बन्धित और उस पर भी चर्चा हुई और सम्भवतः जिस पहलू पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था, उस पहलू पर हमारे माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया होगा । यह विषय महत्व का इसलिये भी हो जाता है कि हमारे प्रदेश की स्थिति बड़ी गम्भीर है . . .

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, हाउस में कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

अब दूसरे दिन इसको देखेंगे । हम 4 अप्रैल, 1975 को प्रातः 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 10 मिनट पर शुक्रवार, 4 अप्रैल, 1975 को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
2 अप्रैल, 1975 ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 123 पर)

प्रश्न के पहले हिस्से का संलग्नक

शारदा सहायक परियोजना का तखमीना 99.61 करोड़ रुपए की लागत का 1967 में बनाया गया जिससे 16.77 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित थी। इसके प्रथम चरण की 64.34 करोड़ रु० की स्वीकृति केन्द्रीय जल योजना आयोग व शासन द्वारा दी गई थी। दिसम्बर, 1971 में पूर्व योजना के निर्माण कार्यक्रम को संशोधित एवं तीव्रतर किया गया है जिससे इसका लाभ कई वर्ष पहले से ही मिलना आरम्भ हो गया है। अधिक सिंचाई सुविधा एवं तब तक बढ़ी हुई मूल्यों के अनुसार इसके प्राक्कलन 109.87 करोड़ रुपए के लिए पुनरीक्षित करके अक्तूबर, 1972 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। इस योजना को 1968-69 से प्रारम्भ कर 1978–79 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। परियोजना पर अब तक लगभग 111.06 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। परियोजना के प्रथम चरण का कार्य जून, 1974 में सम्पन्न किया जा चुका है जिससे वर्ष 1974–75 में 1.27 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता "इरीगेशन पोटेन्शियल" सृजित की जा चुकी है। द्वितीय चरण के कार्यों एवं अन्य चरणों के कार्यों पर काम चल रहा है।

प्रश्न के दूसरे हिस्से का संलग्नक

इस खंड के अन्तर्गत कुल 171 अनुबन्ध किये गये थे जिनमें 78 अनुबन्धों का कार्य पूर्ण हो चुका है जिनके अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। 36 अनुबन्धों पर कार्य प्रगति पर है। 42 अनुबन्धों पर ठेकेदारों द्वारा कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया है एवं 15 अनुबन्धों पर समय वृद्धि की कार्यवाही की जा रही है। गत वित्तीय वर्ष में वांछित 'कैश क्रेडिट' उपलब्ध न होने के कारण इन कार्यों का भुगतान इस वर्ष अप्रैल–मई, 1975 में किया जायगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 138 पर)

तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर में उद्धृत तालिका

शिकायतें मुख्यतः निम्नवत हैं :--

1--श्री राजदेव दुबे लिपिक को अनियमित रूप से विद्यालय के 20 प्रतिशत शुल्काय से 60 रु0 प्रति मास का भुगतान किया जाना।

2--उपस्थिति संदिग्ध पंखा कुली को 300 रु0 का भुगतान किया जाना।

3--हरिजन क्षतिपूर्ति अनुदान को सम्बन्धित निधियों में जमा न किया जाना।

4--वर्ष 1969-70 में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप प्राप्त अनुदान के धन को अध्यापकों में वितरित न किया जाना।

5--वर्ष 1973 में उन छात्रों से पूर्ण शुल्काय वसूल करके उन्हें नहीं लौटाना जिनको कि शुल्क मुक्ति प्रदान की गई।

6--मार्च, 1971 के वेतन का भुगतान न किया जाना।

7--श्री राजदेव दुबे लिपिक के सम्बन्ध में गलत सूचना देकर 1969 में गलत वेतन निर्धारण करा लेना।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 155 पर)

साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सूचना

क्रम-संख्या	विषय	अभ्यर्थी का नाम	योग्यता	शैक्षिक अनुभव	नियुक्त किये गये या नहीं, यदि हां, तो कब से
1	2	3	4	5	6
1	जीव विज्ञान	श्री विजय बहादुर सिंह	बी 0एस–सी 0, बी 0एड 0	..	नहीं
2	,,	श्री पृथ्वी पाल सिंह	एम 0एस–सी 0, बी 0एड 0	1 वर्ष	हां, 4-9-74 से
3	,,	श्री सत्येन्द्र नाथ सचान	एम 0एस–सी 0, एल 0टी 0	..	नहीं
4	,,	श्री गोरे लाल गुप्त	बी 0एस–सी 0, बी 0एड 0	6 वर्ष अप्रशिक्षित तथा 1 वर्ष प्रशिक्षित	नहीं
5	अर्थशास्त्र	श्री बलवीर सिंह	एम 0ए 0, बी 0एड 0	5 वर्ष अप्रशिक्षित	नहीं
6	,,	श्री विजय सिंह चौहान	बी 0ए 0, बी 0एड 0	6 वर्ष बी 0टी 0सी 0 ग्रेड पर	हां, 4–9–74 से
7	,,	श्री ओम प्रकाश वर्मा	बी 0ए 0	1 वर्ष	नहीं
8	सी 0टी 0 ग्रेड	श्री विश्वम्भर सिंह	बी 0ए 0, बी 0एड 0	3 वर्ष स्नातक ग्रेड पर	हां, 4–9–74 से
	,,	श्री प्रेम सिंह चौहान	बी 0ए 0, बी 0एड 0	..	नहीं
10	संस्कृत	श्री केशपाल यादव	बी 0ए 0, बी 0एड 0	..	नहीं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11	संस्कृत	श्री चतुर्भुज सिंह	बी0ए0, बी0एड0	..	नहीं
12	,,	श्री अमर सिंह	बी0ए0	..	नहीं
13	,,	श्री जागेश्वर सिंह सेंगर	एम0ए0, बी0एड0	4 वर्ष अप्रशिक्षित स्नातक ग्रेड पर।	हां, 4-9-74 से
14	,,	श्री राम विशाल सिंह	बी0ए0, बी0एड0	2 वर्ष जू0हा0 स्कूल	नहीं
15	हिन्दी	श्री शालिग्राम पाण्डे	बी0ए0, बी0एड0	3 वर्ष	हां, 4-9-74 से
16	,,	श्री फूल सिंह चौहान	बी0ए0, बी0एड0	2 वर्ष	नहीं
17	,,	श्री अरिमर्दन सिंह	बी0ए0, बी0एड0	..	नहीं
18	गणित	श्री राजनारायण सिंह सचान	बी0एस-सी0, बी0एड0	12 माह एल0टी0 2/3 अप्रशिक्षित तथा 1 वर्ष प्रशिक्षित एल0टी0 ग्रेड।	हां, 4-9-74 से
19	,,	श्री हरिपाल सिंह परिहार	बी0एस-सी0, बी0एड0	..	नहीं
20	,,	श्री अभिमन्यु सिंह	,,	26 माह एल0टी0 2/3 अप्रशिक्षित स्नातक ग्रेड पर	हां, 4-9-74 से
21	,,	श्री शिव सिंह सेंगर	बी0एस-सी0	..	नहीं
22	,,	श्री दुर्गेश बहादुर सिंह	एम0एस-सी0	..	नहीं
23	,,	श्री सिद्धगोपाल कुशवाहा	..	..	नहीं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 156 पर)

प्राथमिकता-नुसार क्रम-संख्या	प्रस्तावित मार्ग का नाम	लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3
1	जट्टारी बिसवा मार्ग	18
2	हाथरस से दाऊजी वाया कोटा	17
3	पनेटी से पिलखना बौरहा	12
4	जमालगढ़ी से गोधा वाया छलेसरा	8
5	बाजना से टप्पल	11–5
6	साकरा से रामघाट	18–00
7	जवा से गभाना	20–00
8	बेलोरा से बरवाना	15–00
9	टप्पल से पोपली	8–00
10	सासनी से बेलोरा	14–00
11	इसाइन बाइबोनई अहन	13
12	नरोना से बरला	18
13	दादो जिरोली आलमपुर वाया राजमऊ	12
14	साधु आश्रम से कासिमपुर	12
15	इगलास से सादाबाद वाया मुरसान	28
16	जी०टी० मार्ग से पिसावा	20
17	चन्डोस से नगला पट्टम	3
18	हाथरस जलेसर मार्ग से अल्लहपुर चुरसेन वाया केमार परसारा	8
19	गोर्पा से भिसावली	14
20	भीकमपुर से अतरौली कासगंज मार्ग वाया बूढ़ागांव बिलोना ..	10
21	साकरा हारनूपुर कला	5
22	नगला वीर सहाय से जरेरा	1–5
23	रतीमानपुर से मैकुरी	15
24	चन्दपा से वमनई वाया रोहई	6–5
25	गभाना से बरेली वाया टमकोली	10

प्राथमिकता-नुसार क्रम-संख्या	प्रस्तावित मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0)
1	2	3
26	पलसेरा से जेबर	10
27	बेलवा से मुरसान	6
28	अलीगढ़ से बरौली	22
29	बिजौली से दादो	7
30	गंगीरी से बढ़ारी सुजंग	7
31	जवा से हरदुआगंज	10
32	भेड़ूं से रुहेरी वाया बरवईपुर	18
33	लाडपुर से लाखनू	6
34	चन्डोल से कसेर	10
35	अफराबाद पिलसना चौराहा	6
36	लोहगढ़ से लहरा वाया नरुपुरा	14
37	हरदुआगंज से जलाली	15
38	गोंडा से गोरई	16
39	गोपी से विजयगढ़	11
40	चौधना से जी0 टी0 रोड	11–5
41	रतीभानुपुर से अगसोलीर कचौरा	13
42	सासनी से महुआ	14
43	पुरदिलनगर से हसायन	10
44	गोंडा से वृन्दावन	1
45	नगला जलाल से वाजिदपुर	15
46	इगलास से सासनी	7
47	कचौरा से जी० टी0 रोड	8
48	पुरदिलनगर से सिधौली	3
49	नौनऊ से कोमरी	15
50	हसावन से सकरा	12

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 56 वि० सभा--(4459)--1975--840 (प्रो०)।